



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के तृतीय तल लगी एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू)
की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए ई-निविदा

तकनीकी वाणिज्यिक
भाग - I

आरबीआई/लखनऊ/संपदा/225/22-23/ईटी/343

फर्म का नाम : _____

पता : _____

ई-मेल : _____ टेलीफोन: _____

संपर्क व्यक्ति का नाम: _____

मोबाई नंबर: _____

ई-मेल: _____

बोली-पूर्व बैठक दि. 28.10.2022 को 11.00 बजे संपदा विभाग में

ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय: 09.11.2022 को 14:00 बजे तक

नोट: यह एक-ई निविदा है, अतः हस्ताक्षरित और स्कैन किए गए भाग I को एमएटीसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। भाग II/दरें सीधे एमएसटीसी साइट पर भरी जाएंगी।

बोलीदाता/ठेकेदार/निविदाकर्ता का अर्थ वे लोग हैं जो निविदा प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। सफल बोलीदाता/ठेकेदार/निविदा का अर्थ है जो निविदा के भाग I और भाग II का मूल्यांकन करने के बाद सबसे कम दर उद्धृत करता है।

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना, उक्त उद्देश्य के लिए आरबीआई को जवाब देने के उद्देश्य को छोड़कर, इसे किसी भी माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य माध्यमों से इसे कॉपी, वितरित अथवा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। इस दस्तावेज़ की सामग्री का उपयोग, यहां तक कि अधिकृत कर्मियों / एजेंसियों द्वारा यहां निर्दिष्ट उद्देश्य के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए, कड़ाई से प्रतिबंधित है और कॉपीराइट उल्लंघन की राशि होगी और इस प्रकार, भारतीय कानून के अंतर्गत दंडनीय होगा।

अनुसूची

क्र.सं.	विवरण
1.	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)
2.	निविदा की अनुसूची (एसओटी)
3.	ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
4.	खंड-I निविदा का फार्म
5.	खंड-II निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश तथा विशेष शर्तें
6.	खंड-III सुरक्षा कोड, अग्नि सुरक्षा
7.	खंड-IV इसमें पूर्व में उल्लिखित शर्तें
8.	खंड-V विशेष शर्तें
9.	खंड -VI इससे पहले परिशिष्ट का उल्लेख किया गया है
10.	खंड -VII तकनीकी विनिर्देश
11.	खंड-VIII बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला डाटा
12.	खंड - IX सामग्री के अनुमोदित निर्माताओं की सूची
13.	अनुबंध 'ए' – जांच सूची वाणिज्यिक शर्तों की अनुसूची
14.	अनुबंध 'बी'- ग्राहक के प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा
15.	अनुबंध 'सी'- बैंकर के प्रमाण पत्र के लिए प्रोफार्मा
16.	अनुबंध 'डी'- बयाना जमा राशि के एवज में बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा
17.	अनुबंध 'ई' – करार की शर्तें
18.	अनुबंध 'एफ' – पूर्ण किए गए कार्यों की सूची
19.	अनुबंध 'जी' – शिकायत एस्कलेशन मैट्रिक्स
20.	अनुबंध 'एच'- प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्तारनामा का प्रारूप
21.	अनुबंध 'आई' – ई-भुगतान करने के लिए बैंक खाते का विवरण
22.	मात्रा का मूल्यरहित बिल

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ

ई- निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

1. यह एक खुली निविदा एनकायरी है। तथापि, केवल वे बोलीदाता/विक्रेता जो निविदा में निर्धारित पूर्व-योग्यता मानदंड के अनुसार कार्य के लिए योग्य हैं, इस निविदा में भाग लेने के लिए पात्र हैं। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने के दौरान अपनी पात्रता के समर्थन में दस्तावेज अपलोड करें।

बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के तृतीय तल पर एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इस काम पर 8.8 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है और इसे दो महीने के भीतर पूरा किया जाना है। ई-टेंडरिंग फॉर्म वेबसाइट <https://www.mstcecommerce.com> से डाउनलोड किए जा सकते हैं और टेंडर के वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में उल्लिखित सभी सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ अपलोड किए जा सकते हैं।

पूर्व-योग्यता मानदंड :

3. ऑनलाइन निविदाओं को सभी फर्मों को दि. 29.09.2022 को 15.00 बजे से बजे से देखने/डाउनलोड करने की अनुमति दी जाएगी। **जो फर्म निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों का पालन नहीं करती हैं और ईएमडी जमा नहीं करती हैं, उनकी निविदा भाग- II को खोलने पर विचार नहीं किया जाएगा।**

i) इच्छुक निविदाकारों के पास बड़े कार्यालय भवन/वाणिज्यिक परिसर/औद्योगिक घरानों/सरकारी संगठनों/पीएसयू के लिए एएचयू स्थापना कार्यों को 30 जून 2022 को न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

ii) इच्छुक निविदाकारों ने 30 जून 2022 को पिछले पांच वर्षों के दौरान उपरोक्त वर्णित समान कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पादित किया हो और इनमें से कोई एक होना चाहिए-

ए) तीन कार्य जिनमें प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम न हो।

या

बी) दो कार्य प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होनी चाहिए।

या

सी) एक कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो।

तथा

30 जून 2022 को पिछले तीन (03) वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत (10 लाख रुपये) का न्यूनतम वार्षिक कारोबार लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित हो।

iv) आवेदक के बैंकर द्वारा विशेष रूप से कार्य के उद्देश्य के लिए जारी किया गया बैंकर / सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र, **10 लाख रुपये की राशि के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। (अनुलग्नक 'सी')।**

v) निविदाकर्ताओं को विस्तृत कार्य आदेश की प्रतियां प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें कार्य का दायरा और मूल्य और अर्हक कार्यों के लिए समापन प्रमाण पत्र दर्शाया गया हो।

vi) निविदाकर्ताओं को **अनुबंध 'एफ' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सभी विवरणों सहित पूर्ण किए गए कार्यों की एक सूची भी प्रदान करनी चाहिए।**

vii) बिक्री के बाद सेवा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कार्य (लखनऊ/कानपुर/दिल्ली एनसीआर) के स्थान पर सर्विस सेटअप होना चाहिए।

निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपनी पात्रता के बारे में बैंक को संतुष्ट करने के लिए ठेकेदार निरपवाद रूप से नीचे दी गई जानकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा और निविदा के भाग I के साथ संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करेगा। इसके अलावा, ठेकेदार को आगे की निविदा प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए मांगे जाने पर दस्तावेजों की मूल प्रति बैंक के पास प्रस्तुत करनी चाहिए।

5. इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा बैंक को संतुष्ट करने में विफल होने की स्थिति में, बैंक के पास उन्हें निविदा प्रपत्र/दस्तावेज जारी करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित है।

6. इच्छुक निविदाकारों की प्री-बिड मीटिंग दि. 28.10.2022 को 11.00 बजे संपदा विभाग में आयोजित की जाएगी।

7. देखने के लिए निविदा फॉर्म वेबसाइट www.mstcecommerce.com से दि. 29.09.2022 को 15.00 बजे से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

8. प्रमाणपत्र क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, लखनऊ को संबोधित किया जाना चाहिए जिसे निविदा के साथ अपलोड किया जाएगा।

9. निविदाओं के भाग I को 09.11.2022 को 15:00 बजे पर उन निविदाकारों के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित होना चाहते हैं। पात्र निविदाकारों का भाग-II (मूल्य बोली) बाद की किसी तारीख को खोली जाएगी जिसकी सूचना निविदाकारों को अग्रिम रूप से दे दी जाएगी।

10. क्रम संख्या (एल) के तहत उल्लिखित योग्यता कार्य के लिए ग्राहक का प्रमाण पत्र केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब उस पर सरकारी / अर्ध सरकारी संगठन या पीएसयू के संबंध में अधिशासी अभियंता या समकक्ष के पद के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों और केवल जब वे ठेकेदार द्वारा उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए प्राप्त भुगतान के पर्याप्त प्रमाण द्वारा समर्थित हों। निजी संगठनों द्वारा जारी किया गया ग्राहक का प्रमाणपत्र भी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र के साथ होगा। उपरोक्त प्रमाणपत्रों के बिना प्राप्त आवेदनों/निविदाओं को अस्वीकार किया जा सकता है। बैंक को इन प्रमाणपत्रों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का अधिकार होगा। ग्राहकों की रिपोर्ट के लिए प्रारूप निविदा के भाग I में **अनुबंध 'बी' के रूप में निर्धारित किया गया है।**

11. निविदाओं की मूल्य बोली के मूल्यांकन से पहले बैंक उक्त रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा। यदि किसी निविदाकर्ता को किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक पात्रता नहीं मिलती है और/या उसके ग्राहकों और/या उसके बैंकों से प्राप्त उसकी प्रदर्शन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक उसके प्रस्ताव को निविदा का भाग-I खोले जाने के बाद भी अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।

12. बैंक न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

हस्ता/-
क्षेत्रीय निदेशक
संपदा विभाग
लखनऊ

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

ई-निविदा सं.	भा.रि.बैं./लखनऊ/संपदा/225/22-23/ET/343
निविदा का माध्यम	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi) के माध्यम से ऑनलाइन भाग I -टेक्नो-कमर्शियल बोली और भाग-II मूल्य बोली
अनुमनित लागत	₹8.80 लाख
पक्षकारों के लिए एनआईटी डाउनलोड करने की तिथि	दि. 29.09.2022 को 15.00 बजे से
बोली-पूर्व बैठक	दि. 28.10.2022 को 11.00 बजे संपदा विभाग में
(i) बयाना जमा राशि डीडी / एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी और लेनदेन विवरण (यूटीआर नंबर, एनईएफटी के केस में) mukeshraj@rbi.org.in , edlucknow@rbi.org.in को भेजें और www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर अपलोड करें।	₹17,600.00
(ii) निविदा शुल्क- (शून्य)	
ईएमडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	09.11.2022 को 14:00 बजे तक
भारतीय रिज़र्व बैंक लखनऊ में ऑनलाइन टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा प्रारंभ होने की तिथि www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi	29.09.2022 को 15:00 बजे से
टेक्नो-कमर्शियल बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के बंद होने की तिथि	09.11.2022 को 14:00 बजे तक
भाग-I (अर्थात् टेक्नो-कमर्शियल बोली) के खुलने की तिथि और समय	09.11.2022 को 15:00 बजे
भाग-II मूल्य बोली: भाग-II के खुलने की तिथि	सूचना अलग से दी जाएगी।
लेन-देन शुल्क (ई-टेंडर में भाग लेने के लिए वेंडरों को एमएसटीसी ई-पेमेंट गेटवे के माध्यम से एमएसटीसी को अलग से प्रस्तुत करना है)	लेनदेन शुल्क राशि का भुगतान एमएसटीसी लिमिटेड को एमएसटीसी पेमेन्ट गेटवे/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से किया जाना है।

भाग I
वाणिज्यिक नियम और शर्तें
निविदा प्रपत्र

प्रति
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ - 226010

हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों से संबंधित आवश्यकताओं, शर्तों और मात्राओं की अनुसूची की सावधानीपूर्वक जांच की है और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों की साइट का दौरा और जांच की है और इससे संबंधित अपेक्षित जानकारी भी प्राप्त की है जो कि निविदा कार्य को प्रभावित करती है। मैं/हम उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को मात्रा की संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दरों पर निष्पादित करने की पेशकश करते हैं और अनुबंध के लेख में संदर्भित लिखित रूप में सभी प्रकार से, निविदाकर्ताओं को सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, यहां पहले संदर्भित शर्तें निविदा की शर्तों के साथ विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची और अनुबंध की शर्तों को पूरी तरह से लागू किया जा सकता है, जहां तक वे लागू हो सकते हैं, के अनुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा।

ज्ञापन

(ए)	कार्यों का विवरण	:	बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के तीसरे तल पर एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग
(बी)	अनुमानित लागत	:	₹ 8.80 लाख
(सी)	बयाना राशि	:	भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित डीडी/एनईएफटी/बीजी के माध्यम से निविदा के साथ बोलीदाताओं द्वारा ₹. 17,600/- जमा किए जाने हैं। एनईएफटी के लिए विवरण: लाभार्थी का नाम: आरबीआई लखनऊ लाभार्थी खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBISOLKPA01 (0 = शून्य)
(डी)	प्रत्येक ऑन-अकाउंट बिल से कटौती की जाने वाली प्रतिधारण राशि	:	5%
(ई)	काम शुरू करने के लिखित आदेश की तारीख के बाद दसवें दिन से काम पूरा करने की समय सीमा	:	दो महीने

(एफ)	अदायगी की शर्तें	पैरा 2.22 का संदर्भ लें
------	------------------	-------------------------

- हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा भाग I निविदा के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगा और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जो बैंक और हमारे बीच पारस्परिक रूप से लिखित में सहमति हो। हम बयाना जमा की बैंक गारंटी को निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान वैध रखने के लिए सहमत हैं।
- यदि यह निविदा स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और किसी भी चूक की स्थिति में, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या समनुदेशितियों या नामांकित व्यक्तियों से अनुबंध की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा दस्तावेज में निहित शर्तों में निर्धारित धनराशि जप्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
- मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमने रुपये 17,600/- बयाना राशि के रूप में जमा की है। भारतीय रिज़र्व बैंक को इस राशि पर कोई ब्याज नहीं देना है। यदि हम ऐसा करने के लिए अनुबंध निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि हमारी यह राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जप्त कर ली जाएगी।
- निविदा दो भागों में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाती है। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

दिनांक 2022 को

मैसर्स के लिए और उनकी ओर से

(मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम -----पदनाम

स्थान -----

दिनांक _____

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के बोर्ड संकल्प या अधिदेश या मुख्तारनामे की प्रमाणित सत्य प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।

साक्षी (1) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

साक्षी (2) नाम, पता और तारीख के साथ हस्ताक्षर

खंड - II

निविदाकार (निविदाकारों) के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें

1. बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के तृतीय तल पर एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के लिए ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य पर 8.80 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है और यह कार्य दो महीने के भीतर पूरा किया जाना है। निविदाएं एमएसटीसी ईकॉमर्स साइट पर ऑनलाइन तरीके से अपलोड/जमा की जाएंगी।

2.1 पात्रता मापदंड

केवल वे ठेकेदार जिनके पास बड़े कार्यालय भवन/वाणिज्यिक परिसरों/औद्योगिक घरानों/सरकारी संस्थाओं/पीएसयू के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट्स (एएचयू) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के क्षेत्र में 30 जून 2022 तक इसी तरह के कार्यों को निष्पादित करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और समान लागत वाले समान कार्यों को व्यक्तिगत रूप से सफलतापूर्वक निम्नानुसार निष्पादित किया हो:

(ए) समान प्रकृति के तीन कार्य पूर्ण किए गए हों जिनमें से प्रत्येक की लागत, अनुमानित लागत के 40% से कम न हो।

अथवा

(बी) समान प्रकृति के दो कार्य पूर्ण किए गए हों जिनमें से प्रत्येक की लागत, अनुमानित लागत के 50% से कम न हो।

अथवा

(सी) समान प्रकृति का एक कार्य पूर्ण किया गया हो जिसकी लागत, अनुमानित लागत के 80% से कम न हो।

(डी) 30 जून, 2022 को समाप्त होने वाले पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 100% अथवा उससे अधिक का न्यूनतम वार्षिक कारोबार होना चाहिए, यह लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और आईटीआर द्वारा समर्थित होना चाहिए।

और

(ई) बिक्री के बाद सर्विस प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कार्य के स्थान पर अर्थात् लखनऊ/कानपुर/दिल्ली एनसीआर में एक सर्विस सेटअप होना चाहिए।

निविदाकर्ताओं को उनकी पात्रता के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं:-

- i. योग्यता वाले कार्यों के लिए कार्य का दायरा और मूल्य के संबंध में सूचना प्रदान करने वाले विस्तृत कार्य आदेशों की प्रतियां।
- ii. योग्यता वाले कार्यों के लिए कार्य समापन प्रमाण पत्र।
- iii. प्रोफार्मा के अनुसार सभी विवरणों के साथ पूर्ण किए गए कार्यों की सूची।
- iv. आईटीआर के साथ पिछले 3 वित्तीय वर्षों के टर्नओवर के संबंध में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण।
- v. बैंकर / सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट
- vi. ग्राहक / कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र।

vii. जीएसटी पंजीकरण और पैन विवरण।

उपरोक्त के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता ही कार्य के लिए निविदा देने के पात्र होंगे। उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।

सभी इच्छुक निविदाकारों को सूचित किया जाता है कि इंस्टॉलेशन साइट का दौरा करें और दरों को उद्धृत करने से पहले स्वयं को साइट की स्थितियों से परिचित करा लें।

2.2 निविदा प्रक्रिया

निविदा दस्तावेजों को बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in और एमएसटीसी की वेबसाइट www.mstcecommerce.com से डाउनलोड किया जा सकता है। सभी शुद्धिपत्र, परिशिष्ट और आगे के संचार केवल इन वेबसाइटों पर अपलोड किए जाएंगे। उपरोक्त कार्य के लिए निविदा दो भागों में है अर्थात् भाग I में तकनीकी विनिर्देश और नियम तथा शर्तें शामिल हैं। भाग II में केवल आइटमों के रेट हैं।

2.3 निविदा जमा करना

"बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के तृतीय तल पर एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए निविदा एमएसटीसी साइट पर दो भागों में अर्थात्, "भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक" और "भाग II - मूल्य बोली", क्रमशः अपलोड/प्रस्तुत की जाएगी और टेलीग्राफिक, फैक्स एवं ई-मेल द्वारा भेजी गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। निविदाकर्ता का पूरा नाम, डाक पता, ई-मेल पता और टेलीफैक्स/टेलीफोन नंबर निविदा (भाग-I) पर लिखा जाना चाहिए। सम्मिलन, पोस्ट स्क्रिप्ट, परिवर्धन और परिवर्तन तब तक मान्य नहीं होंगे जब तक कि निविदाकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा पुष्टि नहीं की जाती। निविदाओं की सभी प्रतियाँ सभी प्रकार से सभी अनुबंधों/संलग्नकों/अनुलग्नकों के साथ पूर्ण होनी चाहिए।

2.4 निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे केवल बैंक द्वारा जारी प्रपत्रों (निविदा दस्तावेज) का ही उपयोग करें। यदि एमएसटीसी/आरबीआई वेबसाइट से डाउनलोड किए गए निविदा फॉर्म में निविदाएं जमा की जाती हैं, यदि बाद में कोई परिवर्तन/संशोधन किया हुआ पाया जाता है, तो ऐसी निविदाएं अयोग्यता के लिए उत्तरदायी होंगी। हालांकि, यदि वे अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे अपने स्वयं के लेटर हेड/कागज पर ऐसा कर सकते हैं। प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और लौटाए जाएंगे।

(ए) फर्म प्रस्तावित उपकरणों के निर्माताओं के प्रासंगिक कैटलॉग/पत्रक/ब्रोशर संलग्न करेगी। अधूरी निविदाएं अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं।

2.5 बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ की तीसरी मंजिल पर स्थित "एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग" के लिए निविदा आवेदन जैसा भी मामला हो और क्षेत्रीय निदेशक, संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के नाम से संबोधित करते हुए अपलोड किया गया हो, इसे _____ (समय) _____ (दिनांक) के पश्चात अपलोड नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में _____ को (दिनांक) _____ (समय) के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

2.6 सभी इच्छुक निविदाकारों/बोलीदाताओं को ईएमडी जमा करना आवश्यक है। रु. 17,600/- (रुपए सत्रह हजार छह सौ मात्र) की बयाना जमा राशि डीडी/एनईएफटी/बैंक गारंटी के रूप में (अनुबंध-'डी') बैंक को स्वीकार्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में, निविदा अपलोड/प्रस्तुत करने से पहले एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित। सफल निविदाकर्ता की बयाना जमा राशि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा के निष्पादन और उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति के रूप में रखी जाएगी। उक्त जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बयाना जमा राशि किसी भी परिस्थिति में सावधि जमा रसीदों अथवा बीमा गारंटी या चेक अथवा नकदी के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। आभासी (वर्चुअल) कार्य पूरा होने के पश्चात ईएमडी रिलीज़ कर दी जाएगी। सफल बोली लगाने वाले को कार्य सौंपने के बाद असफल बोलीदाताओं की ईएमडी बिना

किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

2.6.2 बैंक से उसकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता उसके चौदह दिनों के भीतर संविदा को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकार मसौदा करार और शर्तों की अनुसूची के अनुसार एक करार पर हस्ताक्षर करेगा परन्तु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक करार बाद में निष्पादित किया गया हो अथवा नहीं।

2.6.3 यदि सफल निविदाकार कार्य के लिए उपस्थित नहीं होता/ इनकार कर देता है और निर्धारित समय सीमा के भीतर काम शुरू करने और पूरा करने में विफल रहता है तो ऐसे मामले में उसकी ईएमडी जब्त कर ली जाएगी। इस संविदा की शर्तों के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय सभी मुआवजे या अन्य धनराशि को उसकी बयाना जमा राशि और प्रतिभूति सुरक्षा जमा राशि से घटाया जा सकता है यदि राशि इतनी अनुमति देती है और ठेकेदार, जब तक कि ऐसी जमा राशि अन्यथा देय नहीं हो जाती, ऐसी कटौती के बाद दस दिनों के भीतर इस तरह से कटौती की गई राशि को नकदी जमा कर ठीक कर देगा।

2.7 निविदा को दो भागों में अपलोड किया जाएगा अथवा भाग I में प्रस्ताव के तकनीकी और वाणिज्यिक विवरण शामिल हैं और भाग II में केवल कीमतें हैं। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे निविदा के भाग I को प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर लगाकर हस्ताक्षर के साथ पूरी तरह से भरें और इसे MSTC साइट पर अपलोड करें। जबकि भाग I _____ को (दिनांक) _____ (समय) पर उन इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपस्थित होना चुनते हैं। पात्र बोलीदाताओं का भाग II बाद की तारीख में खोला जाएगा, जिसकी सूचना बोलीदाताओं को अग्रिम रूप से दे दी जाएगी।

2.8 भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए किसी अथवा सभी निविदाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी फर्म की निविदा को स्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे यूनिट रेट और राशि अलग से उद्धृत करें।

2.9 निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए निविदाएं बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध होंगी और इन्हें ऐसी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है जो कि पारस्परिक रूप से सहमत हो।

2.10 उद्धृत दरों में सभी कर, शुल्क, परिवहन, पैकिंग, अग्रेषण, बीमा इत्यादि शामिल होंगे और साइट पर विधिवत स्थापित और कमीशन किए गए पूर्ण कार्य के लिए होंगे। उद्धृत मूल्य संविदा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेंगे और विदेशी मुद्रा में किसी भी बदलाव, श्रम दरों में भिन्नता अथवा किन्हीं अन्य करों, शुल्कों, ड्यूटी आदि में बदलाव के अधीन नहीं होंगे। बैंक द्वारा कोई आयात लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं को काम को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी हिस्से अथवा घटकों, यदि कोई हो, के आयात के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

2.11 भाग I - तकनीकी और वाणिज्यिक

2.11.1 भाग I में ड्रॉइंग और दस्तावेजों सहित पूर्ण तकनीकी विनिर्देश और निविदा के तकनीकी पहलुओं जैसे उपकरण डेटा शीट, परीक्षण और निरीक्षण, सामग्री तकनीकी विवरण के निर्माण, आरेखण को निम्नलिखित के साथ अपलोड किया जाएगा, जिसमें पूर्ण तकनीकी विनिर्देश शामिल होंगे:

- भारत की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी एनईएफटी/डीडी/बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में बयाना जमा राशि।
- निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ मुख्तारनामा/प्राधिकार।
- वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में विचलन, यदि कोई हो, की सूची।

- iv. तकनीकी विनिर्देशों से विचलन, यदि कोई हो, की सूची।
- v. कोई अन्य तकनीकी जानकारी जो निविदाकर्ता प्रस्तुत करना चाहता है।
- vi. संपूर्ण निविदा दस्तावेज पर फर्म द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और मुहर लगाई गई है।

2.11.2 निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे स्थापना स्थल का दौरा करें और निविदा देने से पहले स्वयं को स्थल की स्थितियों से परिचित करा लें।

2.11.3 निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे निविदा दस्तावेजों में निहित संविदा की सामान्य शर्तों और तकनीकी विनिर्देशों के आधार पर निविदा प्रस्तुत करें, और किसी भी विचलन को निर्धारित न करें। मूल्य निहितार्थ वाले किसी भी नियम और शर्तों पर विचार किया जाएगा और निविदाकार द्वारा उद्धृत मूल्य में शामिल किया जाएगा। नियम और शर्तों से विचलन वाली निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

2.11.4 निविदाकर्ताओं को डिजाइन या सिस्टम के किसी भी हिस्से के संबंध में पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार, उनके द्वारा धारित या किसी तीसरे पक्ष द्वारा उपयोग किए गए औद्योगिक संपत्ति अधिकारों का पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा।

2.12 कार्य का दायरा

2.12.1 कार्य के दायरे में निम्नलिखित शामिल होंगे-

लखनऊ में साइट पर पैकिंग, हैंडलिंग, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग सहित लखनऊ में बैंक की साइट पर सभी उपकरणों की सामग्री का डिजाइन और वितरण।

- पाइपलाइन, डक्टिंग, कैनवास कनेक्शन आदि में आवश्यक संशोधन के साथ एएचयू का निर्माण, परीक्षण, कमीशन और यूनिट को बैंक को सौंपना।
- वारंटी अवधि के दौरान सभी पुर्जों आदि सहित सर्व-समावेशी सर्विस प्रदान करना।
- अपर्याप्त मार्ग क्षेत्र के कारण, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें एएचयू कमरे के अंदर लाने के लिए ब्लोअर को अलग करना और फिर से जोड़ना।
- मौजूदा इकाई को डिस्कनेक्ट करना, स्थानांतरण के उद्देश्य से स्थान से हटाने के लिए डिसमेंटल करना, वांछित स्थान पर साइट से दूर ले जाना।
- एएचयू की स्थापना को सौंपने से पहले एएचयू निर्माता द्वारा निरीक्षण और प्रमाणित किया जाएगा।

2.13 उपकरणों के निर्माण के संबंध में, बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सिस्टम आवश्यकताओं/विवरण और सामग्री/ उपकरणों के अनुमोदित निर्माण की सूची (अनुभाग IX) को देखें।

2.14 यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही पीस वर्क संविदा है, बल्कि एएचयू की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के संबंध में कार्य करने का संविदा है, जिसका भुगतान वास्तविक मापी गई मात्रा के अनुसार दरों में किया जाएगा जैसा कि दरों और संभावित मात्राओं की अनुसूची या उक्त शर्तों में प्रदान किया गया है।

2.15 बोलीदाताओं को सख्ती से बीओक्यू के अनुसार उद्धृत करना होगा। मात्राओं की अनुसूची संभावित अनुमानों/मात्राओं पर आधारित है। अलग-अलग मर्दों की मात्रा बिना किसी प्रतिबंध के घट या बढ़ सकती है, जो साइट की स्थिति और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है और यह पूरी तरह से बैंक के विवेक पर निर्भर करता है।

2.16 **समापन अवधि** : समय संविदा का महत्वपूर्ण तत्व है। सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने का संपूर्ण कार्य कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 10वें दिन से **दो महीने** की अवधि के भीतर पूरा किया

जाएगा, जिसमें विफल रहने पर प्रति सप्ताह संविदा राशि के **0.25% की** दर से परिनिर्धारित हर्जाना लिया जाएगा। संविदा मूल्य के अधिकतम **10%** के अधीन, निर्धारित अवधि से अधिक के विलंब पर शुल्क लगाया जाएगा।

2.17 सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के **चौदह दिनों के भीतर स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक संविदा निष्पादित करना होगा।** हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करना एक बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा जैसे कि इस तरह के एक समझौते को निष्पादित किया गया है और इस संविदा पर सभी नियम और शर्तें लागू होंगी। संविदा की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जानी है।

2.18 वारंटी/दोष दायित्व अवधि:

बैंक को उपकरण सौंपने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आपूर्ति किए गए पूरे उपकरण/प्रणाली की सभी प्रकार की खराबी के लिए गारंटी दी जाएगी। गारंटी अवधि के भीतर पाए गए सिस्टम/सब-असेंबली में कोई दोष, बोलीदाता द्वारा बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के सुधारा/प्रतिस्थापित किया जाएगा। दर तिमाही अंतराल पर या उससे पहले की सर्विसिंग के लिए शामिल होनी चाहिए, जैसा कि निर्माता द्वारा निर्धारित किया गया है और इस अवधि के दौरान परस्पर सहमति के अनुसार, यह निःशुल्क किया जाएगा।

बोलीदाताओं को स्थापना और तकनीकी व्यवस्था के स्थान पर उपलब्ध सेवा सुविधा, संपर्क टेलीफोन नंबर और उनके सेवा केंद्रों का पता भी बताना होगा। यदि बोलीदाता के पास कार्य स्थल पर कोई मौजूदा सेवा केंद्र नहीं है, तो बोली लगाने वाले को ऐसे सेवा केंद्र का विवरण देना होगा जहां से प्रस्तावित प्रणाली की सेवा ली जाएगी, उस केंद्र पर कर्मचारियों की संख्या और उस केंद्र पर प्रणाली के लिए पुर्जों की उपलब्धता का विवरण देना होगा। यदि किसी फर्म के पास किसी केंद्र में सर्विसिंग करने के लिए फर्म की ओर से किसी तीसरे पक्ष के साथ समझौता **ज्ञापन या समझौता है, तो समझौते या समझौता ज्ञापन की प्रति** निविदा के साथ जमा की जाएगी।

2.19 बोलीदाता को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के सिस्टम सौंपने से पहले एक सप्ताह की अवधि के लिए कार्य स्थल पर बैंक के कर्मचारियों को सिस्टम पर प्रशिक्षण देना चाहिए।

2.20 बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्थापना स्थल पर जाएँ और बोली लगाने से पहले स्वयं को साइट की स्थितियों से परिचित करा लें। बोलीदाताओं को विशिष्ट होना चाहिए और केवल तभी टिप्पणी करनी चाहिए जब उनकी प्रणाली किसी भी तरह से बैंक के विस्तृत विनिर्देशों/विशेषताओं से भिन्न हो। सफल बोलीदाता, काम पूरा होने पर, बैंक को योजनाबद्ध और लेआउट ड्राइंग और रखरखाव मैनुअल के तीन सेट प्रस्तुत करेगा।

2.21 **सिस्टम का परीक्षण: उपकरण को साइट पर भेजने से पहले, बैंक के विवेकानुसार निर्माता के कार्यों पर बैंक के इंजीनियर द्वारा उपकरण का निरीक्षण किया जा सकता है और फिर शिपमेंट के लिए मंजूरी दे दी जाती है। ओईएम परिसर/कारखाने में बोलीदाता और ओईएम की उपस्थिति में सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण आयोजित करने की व्यवस्था की लागत, यदि कोई हो, बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी और उद्धृत दरों में शामिल की जाएगी। हालांकि, यह किसी भी तरह से निर्दिष्ट साइट पर स्थापना और कमीशनिंग के बाद सिस्टम/घटकों के उचित प्रदर्शन के बारे में अपनी जिम्मेदारी से ठेकेदार को मुक्त नहीं करेगा।**

3.22 भुगतान की शर्तें:

भुगतान की निम्नलिखित शर्तें, प्रतिधारण धन के रूप में कार्य के मूल्य के 5% की दर से वैधानिक कटौती और प्रतिधारण के अधीन, अनुबंध पर लागू होंगी:

- सभी सामग्री की डिलीवरी और साइट पर जांच के बाद, यथानुपात आधार पर उद्धृत दर का 60%
- निविदा शर्त के अनुसार कार्य पूरा होने के बाद उद्धृत दर का 35%
- सिस्टम को पूरा करने और सौंपने पर और समान राशि की बैंक गारंटी **(पीबीजी प्रारूप संलग्न है) का प्रदर्शन प्रस्तुत करने पर उद्धृत दर का 5% अर्थात् 1 वर्ष के लिए वैध। यदि फर्म पीबीजी जमा**

नहीं करती है तो समान राशि एक वर्ष के लिए रोक दी जाएगी। • काम पूरा होने के बाद ईएमडी राशि भी जारी की जाएगी।

(d) सभी बिल टीडीएस @ 1% या अनुबंध राशि का 2% (व्यक्तिगत फर्म के मामले में 1% और कंपनी के लिए 2%) और टीडीएस पर प्रत्येक सीजीएसटी और एसजीएसटी के अनुबंध मूल्य का 1% कटौती करने के अधीन हैं। • बिल का भुगतान बैंक को जमा करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।

3.23 सिस्टम के लिए भुगतान उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा जहां सिस्टम की आपूर्ति और स्थापना की गई है। इस अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवाद को भी उसी राज्य में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में सुलझाया जाएगा जहां उक्त प्रणाली स्थापित की गई है।

3.24 स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के पूरा होने पर, स्वीकृत विनिर्देशों के साथ-साथ उनके प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए उपकरण का परीक्षण किया जाएगा।

3.25 ठेकेदार निविदा के भाग I के साथ सिस्टम के सभी तकनीकी विवरण प्रस्तुत/अपलोड करेंगे। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे केवल इस उद्देश्य के लिए संलग्न प्रोफार्मा का उपयोग करें (और अपने स्वयं के प्रारूपों और डेटा शीट का उपयोग न करें)। हालांकि, यदि वे कोई अतिरिक्त जानकारी/विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वे इसे निविदा के भाग I के साथ एक अलग शीट पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

3.26 बोलीदाताओं को उन ग्राहकों का पूरा नाम, संपर्क नंबर, ईमेल आईडी और डाक पता देना होगा जिन्हें उनके द्वारा इसी तरह के उपकरण की आपूर्ति की गई है।

3.27 बोलीदाताओं से अनुबंध के नियमों और शर्तों पर संलग्न प्रोफार्मा भरने का अनुरोध है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे केवल "हाँ" या "नहीं" इंगित करके पुष्टि करें कि क्या वे बैंक के नियमों और शर्तों से सहमत हैं। यदि "नहीं" तो केवल वे अपने द्वारा प्रस्तावित विचलनों को उपयुक्त कॉलम में सूचीबद्ध करें।

3.28 बीमा:

उपकरण /सामग्रियों के विनिर्माता के काम छोड़ने से लेकर सिस्टम को बैंक को सौंपने तक, भारतीय रिज़र्व बैंक के संयुक्त नामों में (प्रथम नाम होने के कारण) सभी प्रकार के जोखिमों को कवर करने के लिए ठेकेदार काम शुरू होने से पहले अपनी लागत पर सभी बीमा लेने होंगे और यह निम्नलिखित जोखिमों को कवर करेगा।

- निर्माता के कार्यों से साइट तक परिवहन के दौरान क्षति, अग्नि बीमा, भंडारण, निर्माण परीक्षण और पूर्ण अनुबंध मूल्य के लिए कमीशनिंग नीति सहित सभी जोखिम बीमा।
- साइट पर ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए कामगार मुआवजा पॉलिसी।
- कुल रु. 10.00 लाख के लिए तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी और रु. 2.00 लाख प्रति की सीमा के साथ दुर्घटना।

नोट: ये पॉलिसियां काम पूरा होने तक मान्य होंगी, यहां तक कि कोविड-19 या किसी अन्य देरी के कारण विस्तारित अवधि के लिए भी। यदि ठेकेदार इन पॉलिसियों को प्रदान नहीं करता है, तो बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल से उसकी लागत वसूल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.29 किसी भी प्रकार के सभी विवाद और मतभेद, जो अनुबंध या कार्य के निष्पादन के संबंध में या के संबंध में उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या उनके पूरा होने के बाद और अनुबंध के परित्याग या उल्लंघन के निर्धारण से पहले या बाद में) बैंक द्वारा संदर्भित और तय किया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाणपत्र या अन्यथा के रूप में हो सकता है। अपवादित मामलों में से किसी के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बिना अपील के होगा जैसा कि यहां बताया गया है। लेकिन अगर ठेकेदार किसी भी मामले पर असंतुष्ट है, जिस पर बैंक द्वारा उपरोक्त निर्णय लिया गया है, तो किसी भी अपेक्षित मामले को छोड़कर, ठेकेदार इस तरह के फैसले की सूचना प्राप्त करने के 28 दिनों के भीतर बैंक को एक लिखित नोटिस दे सकता है, जिसमें कहा गया है कि मामले में मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना में उन मामलों को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद या मतभेद में हैं, जिसके लिए ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत होते हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक ही मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पार्टियों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जो भी लागू हो, के पास किसी भी प्रमाण पत्र, राय, निर्णय, मांग या नोटिस को खोलने, समीक्षा करने और संशोधित करने की शक्ति होगी, अपवादित मामलों के संबंध में, पूर्ववर्ती खंड में संदर्भित, और सभी निर्धारित करने के लिए विवाद के मामले जो मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और जिनमें से पूर्वोक्त के रूप में नोटिस दिया जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों द्वारा, जो भी लागू हो, संदर्भ प्राप्ति के एक वर्ष के भीतर अपना निर्णय दिया जाएगा (या ऐसा आगे बढ़ाया गया समय जैसा कि उनके द्वारा तय किया जा सकता है या जैसा भी मामला हो, पार्टियों की सहमति से हो सकता है)। यदि मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान पक्ष परस्पर अपने विवाद या मतभेद को सुलझा लेते हैं या समझौता कर लेते हैं, तो पार्टियों द्वारा समझौते का संयुक्त ज्ञापन दाखिल करने पर मध्यस्थ इस तरह के समझौते के संदर्भ में एक निर्णय देंगे।

ऐसे किसी भी संदर्भ पर, संदर्भ और अवार्ड के लिए आकस्मिक लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जो राशि का निर्धारण कर सकते हैं या उस पर पार्टी के बीच कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं तथा किस पार्टी को और किसके द्वारा और किस तरीके से वहन और भुगतान किया जाएगा, इसका भी निर्देश दे सकते हैं।

इस निवेदन को भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी भी वैधानिक संशोधन के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाना माना जाएगा।

मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय, जैसा भी मामला हो, अंतिम और पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। यह सहमति है कि ठेकेदार ऐसे किसी भी मामले, प्रश्न या विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने के कारण कार्यों को पूरा करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित परिश्रम के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों के निर्णय तक करेगा, बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी निर्णय ठेकेदार को कार्यों के वास्तविक निष्पादन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता और ठेकेदार इस बात से भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता अनुबंध के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए पूर्व शर्त होगी।

2.28 **बोली-पूर्व बैठक** : निविदा के संबंध में उठाए गए किसी भी बिंदु / संदेह को स्पष्ट करने के लिए संपदा विभाग में इच्छुक निविदाकारों की एक बोली-पूर्व बैठक _____ को _____ बजे आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। सभी इच्छुक निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे उपस्थित रहें और निविदा दस्तावेजों का अध्ययन करें। वे ऐसे किसी भी बिंदु/शर्तों/विनिर्देशों का संकेत दे सकते हैं जिन्हें बैठक के दौरान स्पष्ट करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और सभी निविदाकारों को उचित सलाह दी जाएगी। निविदाकर्ताओं से इस बैठक के दौरान सभी मुद्दों को स्पष्ट कर लेने की अपेक्षा की जाती है और इसलिए उन्हें अपनी तकनीकी (भाग I) और मूल्य बोलियों (भाग II) में बैंक की निविदा शर्तों/विनिर्देशों से विचलित होने से बचना चाहिए।

दिनांक:

स्थान:

बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर

खंड - III

सुरक्षा कोड

1. स्टेरलाइज़ ड्रेसिंग और कॉटन की पर्याप्त आपूर्ति सहित प्राथमिक चिकित्सा उपकरण आसानी से सुलभ स्थान पर प्रदान करने होंगे।
2. ऐसे मामलों में जहां पर चोट के कारण अस्पताल में भर्ती किए जाने की आवश्यकता होन पर, घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए एक सार्वजनिक अस्पताल में ले जाया जाएगा।
3. वर्कमैन स्टाफ के लिए उन सभी कार्यों के लिए, जो कि जमीन से नहीं किए जा सकते हैं उनके लिए उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
4. कोई पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से अधिक लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 सेमी (स्पष्ट) से कम नहीं होगी और दो आसन्न पायदानों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होगी। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाता है तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मजदूर लगाया जाएगा।
5. खुदाई की गई सामग्री को खाई के किनारे के 1.5 मीटर अथवा खाई की गहराई के आधे, जो भी अधिक हो, के भीतर नहीं रखा जाना चाहिए। सभी खाइयों और उत्खनन में आवश्यक बाड़ और प्रकाश व्यवस्था प्रदान करनी होगी।
6. किसी भवन के फर्श अथवा वर्किंग प्लेटफॉर्म की प्रत्येक ऑपनिंग में उपयुक्त बाड़ अथवा रेलिंग लगाकर व्यक्तियों अथवा सामग्री को गिरने से रोकने के लिए साधन प्रदान किए जाएंगे; न्यूनतम ऊंचाई एक मीटर होगी।
7. कोई भी फर्श, छत अथवा स्ट्रक्चर का अन्य भाग सामग्री के मलबे से इतना अधिक भरा हुआ नहीं होना चाहिए कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट मोर्टार अथवा कंक्रीट और लाइम मोर्टार जैसी सामग्री को मिलाने और संभालने पर कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते और रबर के हाथ के दस्ताने प्रदान करने होंगे।
9. वेल्डिंग कार्य में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षात्मक आई-शील्ड और दस्ताने प्रदान किए जाएंगे।
 - i) पेस्ट अथवा रेडीमेड पेंट के अलावा लेड अथवा लेड उत्पादों वाले किसी भी पेंट का उपयोग नहीं किया जाएगा।
 - ii) श्रमिकों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त फेस मास्क की आपूर्ति तब की जाएगी जब पेंट को स्प्रे अथवा सतह के रूप में लगाया जाता है जिसमें लेड पेंट को सूखा रगड़ा जाता है और स्क्रेप किया जाता है।
10. ठेकेदार द्वारा पेंटों को चौरा की आपूर्ति की जाएगी और काम की समाप्ति की अवधि के दौरान काम करने वाले पेंटों को धोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
11. कार्यों में उपयोग की जाने वाली उत्पादन मशीनें और टैकल, जिसमें उनके संलग्नक, लंगर और समर्थन शामिल हैं, सही स्थिति में होने चाहिए।
12. सामग्री को उठाने अथवा उनको कम करने या सस्पेंशन में शामिल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता और पर्याप्त ताकत की और दोषों से मुक्त होनी चाहिए।
13. सांविधिक मानदंडों के अनुसार ठेकेदार काम करने के लिए श्रमिकों को सभी सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।
14. कार्य निष्पादन के दौरान अग्नि सुरक्षा के आवश्यक उपाय भी किए जाएंगे।
15. गृह मंत्रालय, भारत सरकार/राज्य सरकार/बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वेंडर को उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए COVID-19 संबंधित सभी उपाय/सावधानियां जैसे मास्क जारी करना और हर समय मास्क पहनना, हाथों को बार-बार साफ करना आदि का पालन करना होगा।

अग्नि सुरक्षा

- i. साइट पर प्रयुक्त किए जाने वाले कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और अन्य विद्युत चालित उपकरणों को सही ढंग से रेटेड विद्युत आउटलेटों में प्लग किया जाएगा।
- ii. केवल आईएसआई मार्क वाले 3 पिन प्लग और अन्य एप्लाइंसें तथा उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।
- iii. उपयोग किए जाने वाले बिजली की पावर केबलों/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और वे उचित रूप से रेटेड होने चाहिए।

- iv. सभी विद्युत उपकरण अर्थात वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन आदि को संचालन के दौरान लीकेज करंट को रोकने के लिए अच्छी तरह से और सुरक्षित रूप से अर्थ किया जाना चाहिए।
- v. पहली बार वेल्डिंग का काम शुरू करने से पहले, प्रथम दिवस को अग्निशमन विभाग को सूचित किया जाएगा और अग्निशमन अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात ही कार्य आरंभ किया जाएगा।
- vi. साइट पर आसानी से सुलभ क्षेत्र में दो बाल्टी पानी और रेत रखी जाएगी।
- vii. अग्निशामक अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक साइट पर उपलब्ध रखने होंगे।
- viii. उपयोग किए गए पेंट ड्रमों को ठीक से बंद करने के पश्चात निर्दिष्ट स्टोर में ही संग्रहित किया जाएगा।
- ix. ठेकेदार द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों को रोकने के लिए सुरक्षा हेतु जूते, हाथ के दस्ताने, वेल्डर का मुखौटा, ईयर प्लग आदि जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप कर्मियों को प्रदान किए जाएंगे।
- x. सुरक्षा बेल्ट ठेकेदार द्वारा प्रदान की जाएगी और कामगारों द्वारा जमीनी स्तर से 10' से अधिक ऊंचाई से काम करते समय उपयोग किया जाएगा।
- xi. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास किसी भी मार्ग का उपयोग किसी भी प्रकार की सामग्री/अपशिष्ट के ढेर/डंपिंग के लिए नहीं किया जाएगा।
- xii. सीढ़ियों के दोनों दरवाजे सामान्य रूप से बंद रखे जाएंगे।
- xiii. किसी भी अग्निशामक को उसके निर्धारित स्थान से हटाया/स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
- xiv. जब उपकरण उपयोग में न हो तो बिजली की आपूर्ति मेन स्विच से बंद करके रखनी होगी।
- xv. कार्य से उत्पन्न लकड़ी की छीलन और चूरा दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और निर्दिष्ट स्थान पर उचित तरीके से संग्रहित किया जाएगा।
- xvi. कार्य से उत्पन्न किसी भी मलबे को दैनिक आधार पर एकत्र किया जाएगा, साइट से हटा दिया जाएगा और निर्धारित स्थान पर उचित तरीके से संग्रहित किया जाएगा।
- xvii. कार्यालय समय के बाद काम करने के दौरान ठेकेदार द्वारा कामगारों को बैटरी चालित आपातकालीन लाइट/टॉर्च उपलब्ध कराई जाएंगी।

खंड - IV
इसके बाद संदर्भित शर्तें

व्याख्या खंड

1. इन शर्तों, विनिर्देशों, मात्राओं की अनुसूची और संविदा समझौते को समझने में, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ यहां दिए गए अनुसार होंगे, सिवाय इसके कि जहां विषय या संदर्भ अन्यथा आवश्यक हो।

ए) "नियोक्ता"	इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें इसके समनुदेशित और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
बी) "ठेकेदार" (साझेदारी के मामले में) (व्यक्ति के मामले में) (कंपनी के मामले में)	"ठेकेदार" का अर्थ होगा _____ और _____ के नाम और शैली में व्यापार करना और _____ पर व्यवसाय करना और इसमें उक्त फर्म के साझेदार और मृत भागीदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे। "ठेकेदार" का अर्थ श्री _____ के नाम और _____ स्टाइल में व्यापार करना होगा और इसमें उनके उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे। "ठेकेदार" का अर्थ _____ के तहत निगमित एक कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है और इसमें इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे।
सी) "साइट"	इसका मतलब होगा कि ठेकेदार के उपयोग के लिए नियोक्ता द्वारा आवंटित कोई भी इमारत और निर्माण स्थल और किसी भी अन्य भूमि (सहित) सहित ठेका कार्यों का स्थल।
डी) "यह संविदा"	इसका मतलब होगा करार की शर्तें, विशेष शर्तें, परिशिष्ट, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशन आदि, जो कि यहां संलग्न और विधिवत हस्ताक्षरित की गई हैं।
ई) "लिखित में नोटिस"	या लिखित नोटिस का अर्थ होगा लिखित, टंकित या मुद्रित अक्षरों में एक नोटिस (जब तक कि व्यक्तिगत रूप से वितरित या अन्यथा प्राप्त साबित नहीं हुआ) पंजीकृत डाक द्वारा अंतिम ज्ञात निजी अथवा व्यावसायिक पते पर प्राप्त किया गया हो, जब इसे पोस्ट के सामान्य क्रम में सुपुर्द किया गया हो।
एफ) "दिवालियापन अधिनियम"	इसका मतलब प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट या प्रांतीय इन्सॉल्वेंसी एक्ट या ऐसे मूल में संशोधन करने वाले किसी भी अधिनियम द्वारा परिभाषित दिवालियेपन के किसी भी अधिनियम से होगा।
जी) "निवल कीमतें"	यदि ठेका राशि की गणना करते समय, ठेकेदार ने निविदा में कुल मदों में से किसी भी राशि को प्रतिशत के रूप में जोड़ा या घटाया होगा, तो निविदा में किसी भी वस्तु का शुद्ध मूल्य प्राप्त राशि वह होगी जो उस वस्तु की कीमत के रूप में निविदा में दिखाई देने वाले वास्तविक आंकड़े को जोड़कर या घटाकर ठेकेदार द्वारा इस प्रकार जोड़ी या काटी गयी राशि का एक समान प्रतिशत या अनुपात किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल राशि और अनंतिम राशि निविदा की कुल राशि से काटी गयी राशि होगी। अभिव्यक्ति "शुद्ध दरें" या "शुद्ध मूल्य" जब संविदा या खातों के संदर्भ में उपयोग की जाती है, तो इसका मतलब दरों या कीमतों से होता है।

एच) "कार्य"	इसका अर्थ "बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग" होगा।
-------------	---

शब्द आयात करने वाले व्यक्तियों में फर्म और निगम शामिल हैं। केवल एकवचन आयात करने वाले शब्द में बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल होता है, जहां संदर्भ की आवश्यकता होती है।

2. संविदा का दायरा

कार्य में शामिल हैं: "बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के लिए एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग" जैसा कि विवरण दिया गया। ठेकेदार इस संविदा के अनुसार और नियोक्ता के निर्देशों और संतुष्टि के अनुसार हर तरह से उक्त कार्य को करेगा और पूरा करेगा। नियोक्ता अपने पूर्ण विवेकाधिकार में और समय-समय पर आगे के ड्रॉइंग और/अथवा लिखित निर्देश, विवरण और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "नियोक्ता के निर्देश" के रूप में संदर्भित किया गया है:

(ए) गुणवत्ता या कार्यों की मात्रा में बदलाव या संशोधन या किसी काम का जोड़ या चूक या प्रतिस्थापन।

(बी) चित्र में या मात्रा की अनुसूची और/या चित्र और/या विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति।

(सी) ठेकेदार द्वारा उस पर लाई गई किसी भी सामग्री को साइट से हटाना और उसके लिए किसी अन्य सामग्री का प्रतिस्थापन।

(डी) ठेकेदार द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना।

(ई) उस पर नियोजित किसी भी व्यक्ति के कार्यों से बर्खास्तगी।

(एफ) किसी भी कार्य के निरीक्षण के लिए उसे खोलना।

(जी) इसके खंड 28 और 29 के तहत किसी भी दोष का संशोधन और सुधार करना।

3. संविदा के दायरे में निम्नलिखित शामिल हैं, परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

ए) घटक आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों के काम का समन्वय, समय-निर्धारण और प्रबंधन।

बी) तकनीकी विशिष्टताओं में निर्दिष्ट सामग्री प्रदान करना।

सी) विनिर्दिष्ट किए अनुसार सभी आइटमों की असेम्बली, इंस्टालेशन और कमीशनिंग और पूर्ण एएचयू सिस्टम को नियोक्ता को सौंपना।

4. ठेकेदार के कर्तव्य

ठेकेदार के कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

ए) श्रम, सामग्री और उपकरण, औज़ार और अन्य सुविधाएं प्रदान करना और भुगतान करना और निर्दिष्ट कार्यों के उचित निष्पादन और समापन के लिए आवश्यक उपकरण व सेवाएं प्रदान करना।

बी) आवश्यक परमिट, वैधानिक कामगार के मुआवजे के बीमा, उचित निष्पादन और आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक शुल्क और लाइसेंस के लिए सुरक्षित करना और भुगतान करना।

सी) आवश्यक नोटिस देना।

डी) कानूनी आवश्यकताओं से विनिर्देशों में पायी गयी भिन्नता पर नियोक्ता को तुरंत लिखित नोटिस देना।

ई) कर्मचारियों के बीच सख्त अनुशासन और अच्छी व्यवस्था लागू करना। सौंपे गए कार्य के लिए अकुशल व्यक्तियों को नियोजित न करना।

4. नियोक्ता द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले बदलाव

ठेकेदार दरों, वाउचरों आदि के विश्लेषण द्वारा समर्थित मात्रा और दरों को देते हुए भिन्नता का एक विवरण प्रस्तुत करेगा। नियोक्ता द्वारा जांच और अंतिम स्वीकृति पर दरें एक पूरक निविदा का निर्माण करेंगी। नियोक्ता इस तरह के बदलाव के भुगतान के लिए तब तक उत्तरदायी नहीं होगा जब तक कि इन विवरणों को उसके द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता है।

5. ड्राइंग (चित्र), मात्रा और करार की अनुसूची

संविदा डुप्लीकेट में निष्पादित की जाएगी और ठेकेदार अपने उपयोग के लिए एक निष्पादित प्रति के हकदार होंगे। ठेकेदार को अंतिम प्रमाण पत्र जारी करने से पहले वह सभी चित्रों और विशिष्टताओं को तुरंत आर्किटेक्ट को वापस कर देगा।

6. कार्य का क्रम

सफल ठेकेदार को कार्य अनुसूची तालिका में उसके द्वारा दी गई समय सारिणी में कार्यों को पूरा करने के लिए सभी लागतों को निविदा में शामिल करना होगा। निविदा जमा करके, ठेकेदार सहमत है कि उन्होंने परियोजना विनिर्देशों और चित्रों की समीक्षा की है, कार्यस्थल का दौरा किया है, और अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार समग्र समय अवधि के अनुसार सभी काम पूरा करेंगे। नियोक्ता से आगे बढ़ने या संविदा प्राप्त होने की सूचना के बाद निर्धारित समय सीमा शुरू होती है। ठेकेदार परियोजना के अवार्ड से पहले कार्य अनुसूची के अनुसार अनुमोदित समय सीमा के अनुसार एक विस्तृत परियोजना अनुसूची प्रदान करेगा।

7. ठेकेदार द्वारा संपदा का उपयोग

कार्य की साइट एक अधिवासित भवन है। ठेकेदार द्वारा संपदा का उपयोग निम्नलिखित के अधीन होगा:-

ए) साइट पर कार्य संचालन को कानून, अध्यादेशों, परमिट, विशिष्टता और नियोक्ता के विशिष्ट निर्देशों द्वारा अनुमत क्षेत्रों तक सीमित रखें।

बी) सामग्री या उपकरण के साथ साइट पर अनुचित रूप से भार न डालें। स्टेजिंग क्षेत्र नियोक्ता के निर्देशानुसार स्थित होगा।

सी) संपदा में अथवा उसके बाहर संग्रहीत उपकरणों और उत्पादों की सुरक्षा के संबंध में पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।

डी) उन संग्रहीत उत्पादों को स्थानांतरित करें जो भवन के संचालन या अन्य ट्रेडों के संचालन में हस्तक्षेप करते हैं।

ई) संचालन के लिए आवश्यक अतिरिक्त भंडारण या कार्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए लें और भुगतान करें।

9. ठेकेदार को अपनी लागत पर आवश्यक हर चीज उपलब्ध कराने के सम्बंध में

ठेकेदार अपनी लागत पर, चित्रों के आशय और अर्थ के अनुसार कार्यों के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करेगा, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों को एक साथ लिया जाएगा चाहे वह विशेष रूप से दिखाया या वर्णित किया जा सकता है या नहीं, बशर्ते कि उसी से यथोचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यदि ठेकेदार को ड्राइंग में या ड्राइंग, मात्रा की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलती है, तो वह तुरंत और लिखित रूप से नियोक्ता को संदर्भित करेगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाना है। ठेकेदार इस विनिर्देश के तहत सभी कार्यों को स्वास्थ्य और सुरक्षा विनियमों के अनुसार पूर्ण रूप से प्रदान करेगा।

10. कार्यालय के सामान्य कार्यों में कोई व्यवधान नहीं

यह परियोजना एक कब्जे वाले कार्यालय भवन में क्रियान्वित की जानी है। यह आवश्यक है कि ठेकेदार सुरक्षा, धूल और ढीली सामग्री से सुरक्षा, शोर के स्तर में कमी, भवन में पानी और हवा की घुसपैठ से सुरक्षा, और कार्य क्षेत्रों में और आसपास स्वच्छ और व्यवस्थित स्थितियों के रखरखाव से संबंधित सभी मामलों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दे। भवन के अंदर और बाहर। पैकेजिंग, स्क्रेप सामग्री और विध्वंस मलबे को दैनिक आधार पर भवन और साइट से तुरंत हटा दिया जाएगा।

11. यदि अनुबंध में ऐसे कार्य शामिल हैं, जो सामान्य व्यावसायिक संचालन के दौरान विघटनकारी होंगे, या रहने वालों के निर्माण के लिए खतरनाक होंगे, तो कहा गया कार्य घंटों के दौरान किया जाएगा जैसा कि नियोक्ता निर्देश देता है। इस तरह के कार्यों, बिना किसी सीमा के, कंक्रीट की कटिंग, जैक हैमरिंग, वेल्डिंग, मेटल कटिंग, कंक्रीट डालना, स्टील को खड़ा करना या भवन के कब्जे वाले हिस्से पर उत्पादन उपकरण आदि के उदाहरणों में शामिल हैं। ठेकेदार ऐसे कार्यों को नियोक्ता द्वारा निर्धारित घंटों के दौरान करेगा और अपनी निविदा में सभी लागतों को शामिल करेगा।

12 ठेकेदार सामान्य भवन समय के दौरान ध्वनि स्तर 75 डीबी से नीचे रखेगा। जब इस स्तर से ऊपर शोर उत्पन्न करना आवश्यक हो, तो ठेकेदार नियोक्ता को ऐसी जरूरतों के बारे में सलाह देगा और निर्देशानुसार समय निर्धारित किया जाएगा। ठेकेदार किसी भी अत्यधिक शोर उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं का अनुमान लगाएगा और इसके लिए निविदा में एक भत्ता शामिल करेगा।

13. कार्य और संपत्ति की सुरक्षा

ठेकेदार उन क्षेत्रों में सभी तैयार मंजिलों पर एक उपयुक्त सुरक्षात्मक आवरण स्थापित करेगा जहां कार्य किया जा रहा है। किसी भी सामग्री से निपटने के उपकरण को तैयार मंजिलों पर या उसके ऊपर की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि फर्श को नियोक्ता द्वारा अनुमोदित तरीके से संरक्षित नहीं किया गया हो। ठेकेदार की वजह से इमारत की फिनिशिंग को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई नियोक्ता को बिना किसी अतिरिक्त लागत के की जाएगी। ठेकेदार किसी भी आसन्न फिनिश की तस्वीरें लेगा जो एक फोटोग्राफिक रिकॉर्ड के लिए काम के दौरान क्षतिग्रस्त हो सकता है। ठेकेदार काम और नियोक्ता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल करेगा।

14. प्राधिकारी, नोटिस और पेटेंट

ठेकेदार का कार्य संबंधित विधानमंडल के किसी भी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, और किसी भी प्राधिकारी के नियमों और उप-नियमों और बिजली की आपूर्ति और अन्य कंपनियों और/या प्राधिकारियों के साथ, जिनका सिस्टम के साथ सम्बंध है और इस सम्बंध में ड्राइंग या विनिर्देशों से कोई भी बदलाव करने से पहले, जो इस तरह के अनुरूप होने की आवश्यकता हो सकती है, नियोक्ता को लिखित नोटिस, प्रस्तावित बदलाव और इसे बदलने का कारण निर्दिष्ट करना और उस पर निर्देशों के लिए आवेदन करना होगा। यदि ठेकेदार को दस दिनों के भीतर इस तरह के निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो वह संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उप-नियमों के अनुरूप कार्य के साथ आगे बढ़ेगा, और इस प्रकार आवश्यक किसी भी बदलाव को उसके खंड संख्या **22 और 26** के तहत निपटाया जाएगा।

ठेकेदार नियोक्ता के ध्यान में उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-नियमों द्वारा किसी भी प्राधिकारीको दिए जाने वाले सभी नोटिसों को लाएगा और ऐसे प्राधिकारी को, या किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को कार्यों के

लिए सभी शुल्क का भुगतान करेगा, जो उचित रूप से प्रभार्य हो सकता है और नियोक्ता के पास इसकी रसीदें जमा करें।

ठेकेदार अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, और दावों से उत्पन्न होने वाली सभी कार्रवाइयों से उसका बचाव करेगा, और सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, हर्जाना, लागत और सभी प्रकार के शुल्क और लागत का भुगतान करेगा जो कानूनी रूप से उससे संबंधित हो सकते हैं।

15. कार्य की स्थापना

ठेकेदार कार्यों को निर्धारित करेगा और उसकी उचित और सही सेटिंग के लिए और उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरक्षण की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होगा। यदि किसी भी समय इस संबंध में कोई त्रुटि कार्य के पूरा होने के दो वर्ष की अवधि के भीतर कार्य की प्रगति के दौरान प्रकट होती है, तो ठेकेदार, यदि आवश्यक हो, अपने स्वयं के खर्च पर, नियोक्ता की संतुष्टि के लिए ऐसी त्रुटि को सुधारेगा।

16. विवरण के अनुरूप सामग्री और कारीगरी

सभी सामग्री और कारीगरी जहां तक संभव हो मात्राओं और/या विनिर्देशों की अनुसूची में वर्णित संबंधित प्रकार की होगी और नियोक्ता के निर्देशों के अनुसार होगी, और ठेकेदार नियोक्ता के अनुरोध पर उसे सभी चालान, खाता रसीदें प्रस्तुत करेगा और अन्य वाउचर यह साबित करने के लिए कि सामग्री उसका अनुपालन करती है, प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर किसी भी सामग्री के लिए किसी भी परीक्षण की व्यवस्था करेगा और/या करेगा जिसकी नियोक्ता को आवश्यकता हो सकती है।

17. ठेकेदार का अधीक्षण और कार्यों पर प्रतिनिधि

ठेकेदार कार्यों के निष्पादन के दौरान सभी आवश्यक व्यक्तिगत अधीक्षण करेगा, और उसके बाद जब तक नियोक्ता आवश्यक समझे तब तक परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष देयता अवधि" की समाप्ति तक। ठेकेदार पूरे समय के दौरान भी कार्य प्रगति पर रहेगा, एक सक्षम प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा जो लगातार काम पर उपस्थित रहेगा, जबकि पुरुष काम पर होंगे। नियोक्ता द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए किसी भी निर्देश, स्पष्टीकरण, निर्देश या नोटिस को ठेकेदार को दिया जाना माना जाएगा।

18. कामगारों की बर्खास्तगी

ठेकेदार बैंक के नियोक्ता के अनुरोध पर उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति को तत्काल कार्य से बर्खास्त कर देगा, जो बैंक के नियोक्ता की राय में अक्षम या स्वयं कदाचार में शामिल हो और बैंक के नियोक्ता की अनुमति के बिना, ऐसे व्यक्तियों को फिर से काम पर नहीं लगाया जाएगा।

19. कार्यों तक पहुंच

नियोक्ता और उनके प्रतिनिधियों को सभी उचित समय पर कार्यों और/या कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों पर जहां सामग्री पड़ी है या जहां से उन्हें प्राप्त किया जा रहा है, तक मुफ्त पहुंच होगी और ठेकेदार नियोक्ता को हर सुविधा देगा और सामग्री और कारीगरी के निरीक्षण और परीक्षण और जांच के लिए जहां पर उनके प्रतिनिधि आवश्यक हैं। सार्वजनिक प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को छोड़कर नियोक्ता द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्यों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

20. सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी)

शब्द "सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) का अर्थ नियोक्ता द्वारा नियुक्त और भुगतान किया गया वेतनभोगी व्यक्ति होगा और कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नियोक्ता के आदेश के तहत कार्य करेगा। ठेकेदार सहायक प्रबंधक(तकनीकी)/प्रबंधक(तकनीकी) को कार्यों और सामग्रियों के निरीक्षण और समय और सामग्री की जांच और मापने के लिए हर सुविधा और सहायता प्रदान करेगा। सहायक प्रबंधक/प्रबंधक के पास न तो कार्य निर्धारित करने या अनुबंध की किसी भी अपेक्षा को रद्द करने, बढ़ाने या शिथिल करने, या किसी भी काम के परिवर्धन, परिवर्तन, विचलन या चूक या किसी भी अतिरिक्त काम को छोड़कर किसी भी अन्य कार्य को मंजूरी देने की शक्ति नहीं है, जब तक इस तरह के अधिकार को विशेष रूप से नियोक्ता की लिखित में पूर्व सहमति के साथ एक लिखित आदेश द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है।

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) या नियोक्ता के किसी भी प्रतिनिधि को ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को किसी भी काम या सामग्री के गैर-अनुमोदन के लिए नोटिस देने की शक्ति होगी और ऐसा काम निलंबित किया जाएगा या ऐसी सामग्रियों का उपयोग बैंक के निर्णय प्राप्त होने तक बंद कर रखा जाएगा। कार्य का समय-समय पर बैंक, सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा जांच की जाएगी, लेकिन ऐसी परीक्षा किसी भी तरह से ठेकेदार को किसी भी दोष को दूर करने के दायित्व से मुक्त नहीं करेगी। कार्य के किसी भी चरण में या उसके पूरा होने के बाद मौजूद हो सकता है।

21. असाइनमेंट और सब-लेटिंग

अनुबंध में शामिल सभी कार्यों को ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा और ठेकेदार नियोक्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध या उसके किसी हिस्से या हिस्सा को हस्तांतरित, असाइन या अंडर-लेट नहीं करेगा, और कोई भी वचन ठेकेदार को कार्य की प्रगति के दौरान अनुबंध की पूर्ण और संपूर्ण जिम्मेदारी से या कार्यों के सक्रिय अधीक्षण से मुक्त नहीं करेगा।

22. परिवर्तन, परिवर्धन, चूक आदि।

कोई भी परिवर्तन, चूक या भिन्नता इस अनुबंध को निष्क्रिय नहीं करेगी, लेकिन यदि नियोक्ता किसी भी समय कार्यों की प्रगति के दौरान कार्यों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन या चूक या सामग्री के प्रकार या गुणवत्ता में कोई परिवर्तन करने के लिए उचित सोचता है जिसे उपयोग किया जाना है तो ठेकेदार को अपने हाथ से लिखित रूप में नोटिस देगा, ठेकेदार इस तरह के नोटिस के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदल देगा, जोड़ देगा या हटा देगा, लेकिन ठेकेदार बैंक के नियोक्ता और मूल्य की लिखित पूर्व सहमति के बिना संविदा, शर्त, विशिष्टता या संविदा आरेखण के किसी भी प्रावधान से हटकर कोई अतिरिक्त काम नहीं करेगा या कार्यों में बदलाव या परिवर्धन या चूक नहीं करेगा और इसका मूल्य इस तरह के अतिरिक्त, परिवर्तन, परिवर्धन, या चूक संबंधी सभी मामलों में बैंक के इंजीनियरों द्वारा नियोक्ता के पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ क्लॉज 26 के प्रावधानों के अनुसार संविदा राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो, उसी के अनुसार निर्धारित किया जाएगा और तदनुसार उसे अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

23. मात्रा की अनुसूची

मात्राओं की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो, मापन की मानक पद्धति के अनुसार तैयार की गई समझी जाएगी।

विवरण में या मात्रा में या मात्रा की अनुसूची से मर्दों की चूक में कोई भी त्रुटि इस अनुबंध को निष्क्रिय नहीं करेगी, लेकिन इसे ठीक किया जाएगा और इसके खंड 26 के तहत निर्धारित मूल्य को अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा कि मामला हो सकता है) बशर्ते कि ठेकेदार की दरों की अनुसूची में त्रुटियों का कोई सुधार, यदि कोई हो, की अनुमति नहीं दी जाएगी।

24. मात्रा की अनुसूची की पर्याप्तता

ठेकेदार को कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्रा की अनुसूची और / या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों की शुद्धता और पर्याप्तता के बारे में निविदा देने से पहले उसे संतुष्ट माना जाएगा, जो दरें और कीमतें होंगी संविदा के तहत उसके अंतर्गत सभी दायित्वों और कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामलों और चीजों को कवर करेगा।

25. कार्यों का मापन

सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) समय-समय पर ठेकेदार और नियोक्ता को सूचित कर सकते हैं कि उन्हें कार्यों को मापने की आवश्यकता है, और ठेकेदार तुरंत सहायक प्रबंधक (तकनीकी) की सहायता के लिए एक योग्य एजेंट को उपस्थित या भेज देगा। प्रबंधक (तकनीकी) को इस तरह के माप और गणना करने और सभी विवरण प्रस्तुत करने या उनके द्वारा मांगे जाने पर सभी आवश्यक सहायता देगा।

यदि ठेकेदार उपस्थित नहीं होता है या ऐसे एजेंट को भेजने में उपेक्षा या चूक करता है, तो सहायक प्रबंधक (तकनीकी) / प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा लिया गया माप कार्यों का सही माप माना जाएगा। इस तरह के माप विनिर्देशों में विस्तृत माप के तरीके के अनुसार लिए जाएंगे।

ठेकेदार या उसका एजेंट माप के समय ऐसे नोट और माप ले सकता है जिसकी उसे आवश्यकता हो।

सभी अधिकृत अतिरिक्त कार्य, चूक और नियोक्ता के लिखित पूर्व अनुमोदन से किए गए सभी बदलाव ऐसे मापों में शामिल किए जाएंगे।

26. अतिरिक्त कार्य आदि के लिए मूल्य निर्धारण

ठेकेदार, जब नियोक्ता द्वारा अधिकृत किया जाता है, तो ड्राइंग पर दिखाए गए कार्यों को जोड़ सकता है, छोड़ सकता है या बदल सकता है, या विनिर्देश में वर्णित या मात्रा की अनुसूची में शामिल कर सकता है, लेकिन ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त, चूक या बदलाव प्राधिकार या निर्देश के बिना कोई परिवर्तन नहीं करेगा। नियोक्ता द्वारा एक मौखिक अधिकार या निर्देश, यदि उसके द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्टि की जाती है, तो यह माना जाएगा कि वह लिखित रूप में दिया गया है।

किसी भी अतिरिक्त के लिए किसी भी दावे की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि इसे यहां उल्लिखित नियोक्ता की सहमति से क्लॉज 14 और 22 तथा 23 के प्रावधानों के तहत निष्पादित नहीं किया गया हो। इस तरह के किसी भी अतिरिक्त को यहां अधिकृत अतिरिक्त के रूप में संदर्भित किया गया है और इसे निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार बनाया जाएगा।

(ए) (i) मूल निविदा में शुद्ध दरें या कीमतें अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगी जहां इस तरह के अतिरिक्त कार्य समान प्रकार के हैं और समान शर्तों के तहत निष्पादित किए गए कार्य की कीमत में है।

(ii) जहां भी संभव हो, सभी वस्तुओं की दरें, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से प्राप्त की जानी चाहिए।

(बी) मूल निविदा की शुद्ध कीमतें छोड़ी गई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करेंगी, बशर्ते कि यदि चूक उन शर्तों को बदलती है जिनके तहत काम की कोई भी शेष वस्तु की जाती है, तो उसके लिए यहाँ कीमतों का मूल्यांकन उप-खंड (सी) के तहत किया जाएगा।

(सी) जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति के नहीं हैं और/या पूर्वोक्त शर्तों के तहत निष्पादित किए गए हैं या जहां चूक उन परिस्थितियों में भिन्न होती है जिनके तहत कार्य की कोई भी मदें शेष रह जाती हैं या यदि किसी भी चूक या परिवर्धन की राशि संबंधित है तो पूरे अनुबंध कार्यों या उसके किसी भी हिस्से की राशि ऐसी होगी कि नियोक्ता की राय में मात्रा या निविदा की कीमत अनुसूची में निहित शुद्ध दर या मूल्य या कार्यों की किसी भी वस्तु के लिए इससे परे हानि या व्यय में शामिल है जिसे ठेकेदार द्वारा यथोचित रूप से विचार किया गया है या इस तरह की चूक या जोड़ के कारण अनुचित या अनुपयुक्त बना दिया गया है, नियोक्ता ऐसी अन्य दर या कीमत तय करेगा, नियोक्ता के लिखित पूर्व अनुमोदन के साथ होगा जैसा कि वह उचित और सही समझेगा।

(डी) जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है, ठेकेदार को स्थानीय दिवस के काम की दरों और जिले के लिए निर्धारित मजदूरी के अनुसार शुद्ध दरों पर दिन के काम की दरों की कीमतों की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि किसी भी मामले में दैनिक समय निर्दिष्ट करने वाले वाउचर और नियोजित सामग्री, सत्यापन के लिए नियोक्ता को उस सप्ताह के अंत में या उससे पहले वितरित की जाएगी, जिसमें कार्य निष्पादित किया गया है।

साथ ही स्थापना शुल्क, ठेकेदार के ओवरहेड और मुनाफे के लिए 15% अनुबंध के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में वर्णित "अंतिम माप की अवधि" के भीतर पूरा किया जाएगा, या यदि नहीं कहा गया है, तो इसके खंड 30 में परिभाषित किया गया है।

27. अनफिक्स सामग्री जब नियोक्ता की संपत्ति मानी जाती है

जहां किसी प्रमाण पत्र में (जिसका ठेकेदार को भुगतान प्राप्त हुआ है) बैंक के इंजीनियर ने कार्यों के लिए अभिप्रेत और/या रखी गई या उसके बगल में रखी गई किसी भी सामग्री का मूल्य शामिल किया गया है, ऐसी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति बन जाएगी और वे बैंक के इंजीनियर के लिखित प्राधिकार के बिना कार्यों पर उपयोग के अलावा हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

28. अनुचित कार्य/सामग्री को हटाना

कार्य की प्रगति के दौरान, बैंक के इंजीनियर को समय-समय पर लिखित में आदेश देने की शक्ति होगी कि किसी भी सामग्री को ऐसे उचित समय या निर्धारित समय के भीतर हटा दिया जाए जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। बैंक के इंजीनियर की राय विनिर्देशों या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार नहीं है, उचित सामग्री के प्रतिस्थापन और सामग्री या कारीगरी के साथ निष्पादित किसी भी कार्य/वस्तु को हटाने और पुनः उचित निष्पादन ड्राइंग और विनिर्देशों या निर्देश के अनुसार सही नहीं है; ऐसी स्थिति में ठेकेदार ऐसे आदेश को अपने खर्च पर तत्काल पूरा करेगा। इस तरह के आदेश को पूरा करने के लिए ठेकेदार की ओर से चूक

के मामले में, नियोक्ता के पास इसे पूरा करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित करने और भुगतान करने की शक्ति होगी; और उसके परिणामस्वरूप होने वाले या उससे संबंधित सभी खर्च, जैसा कि बैंक के इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया गया है, ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा या नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय किसी भी धन से या जो देय हो सकता है, काट लिया जा सकता है।

29. आभासी पूर्णता के बाद दोष

कोई दोष, संकोचन, निपटान या अन्य दोष जो परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष देयता अवधि" के भीतर प्रकट हो सकते हैं, यदि कोई नहीं कहा गया है, तो काम के आभासी समापन के बाद डीएलपी के भीतर, सामग्री से नियोक्ता की राय में उत्पन्न या कारीगरी अनुबंध के अनुसार नहीं है, नियोक्ता के लिखित निर्देशों पर, और ऐसे उचित समय के भीतर, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा डिफॉल्ट के मामले में, नियोक्ता ऐसे दोषों, अन्य दोषों को संशोधित करने और उन्हें ठीक करने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है और भुगतान कर सकता है, और उसके परिणामस्वरूप या उसके आकस्मिक सभी नुकसान, हानि और व्यय को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा और इस तरह की क्षति, हानि और व्यय की वसूली योग्य होगी नियोक्ता द्वारा या नियोक्ता द्वारा किसी भी देय धन से कटौती की जा सकती है या जो ठेकेदार की हो वजह से हो सकता है, या नियोक्ता इस तरह के संशोधन और ठेकेदार द्वारा चूक के बदले में हो सकता है ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि को ऐसे कार्य में संशोधन की लागत के बराबर और सुरक्षा जमा के रूप में रखी गई राशि अपर्याप्त होने की स्थिति में, ठेकेदार से शेष राशि की वसूली की जाएगी, जो नियोक्ता द्वारा इसके संबंध में खर्च किया गया हो सकता है। यदि कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया है या कार्य पर नियोजित किसी उप-ठेकेदार द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गई है, जिसे नियोक्ता द्वारा नामित या अनुमोदित किया गया है, जैसा कि इसके विभिन्न खंडों में प्रदान किया गया है, ठेकेदार उसी तरह से अच्छा करने के लिए उत्तरदायी होगा जैसे कि काम या सामग्री ठेकेदार द्वारा की गई थी या आपूर्ति कराई गई थी जो इस खंड और खंड 2 के प्रावधानों के अधीन थी। नियोक्ता द्वारा किसी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने या किसी भी खाते के पारित होने के बावजूद, ठेकेदार इस खंड के प्रावधान के तहत उत्तरदायी रहेगा।

30. आभासी पूर्णता और दोष देयता अवधि का प्रमाण पत्र

कार्यों को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि नियोक्ता लिखित रूप में प्रमाणित नहीं कर देता है कि वे वस्तुतः पूरे हो गए हैं। दोष देयता अवधि ऐसे प्रमाण पत्र की तारीख से शुरू होगी।

31. नामित उप-ठेकेदार

मात्रा की अनुसूची में शामिल प्रधान लागत मूल्य या अनंतिम योग हेतु सभी विशेषज्ञों, व्यापारियों, दस्तकारों या आपूर्ति संबंधी अन्य कार्यों को निष्पादित करने वाले और या वे विनिर्दिष्टीकरण जिन्हें नियोक्ता ने नामित या / चयनित किया हो या जिन्हें ठेकेदार ने उप-ठेकेदार के रूप में एतद्वारा घोषित किया हो एवं इन्हें उप-ठेकेदार के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

कोई भी नामित उप- उप-ठेकेदार न तो नामित किया जाएगा या इसके संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध जाएगा एवं वह संविदा में बिना समुचित आपत्ति (नियोक्ता एवं ठेकेदार अन्यथा सहमत हों, इस तथ्य पर ध्यान दिया जाए) के शामिल नहीं हो सकते हैं बशर्ते :-

(ए) नामित उप-ठेकेदार इस अनुबंध के संबंध में ठेकेदार के अधीन उप-ठेकेदार के संबंध में दायित्व के सम्बंध में ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करेंगे।

(बी) उप-ठेकेदार अपने नौकरों या एजेंटों की लापरवाही या स्वयं के द्वारा या उनके द्वारा किसी दुरुपयोग या किसी ढांचे या अन्य किसी प्लांट, ठेकेदार की संपत्ति या लागू कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम से उत्पन्न होने वाले दावों के प्रति ठेकेदार को रक्षित रखेगा।

(सी) ठेकेदार को नियोक्ता प्रमाणपत्र मिलने के चौदह दिन के अंदर नामित उप-ठेकेदारों को भुगतान कर दिया जाए बशर्ते ठेकेदार को कोई प्रमाणपत्र जारी होने से पहले अनुरोध करने पर ठेकेदार बैंक को यह सबूत देगा कि पिछले प्रमाणपत्र में शामिल सभी नामित उप-ठेकेदारों खातों को मोचित कर दिया गया है; इसमें चूक की स्थिति में बैंक के प्रमाणपत्र पर नियोक्ता इसका भुगतान कर सकता है

तता इस राशि की कटौती ठेकेदार को देय राशि में से कर सकता है। इस शक्ति के प्रयोग से नियोक्ता एवं उप-ठेकेदार के बीच निजी संबंध का रूप नहीं बनना चाहिए।

32. नियोक्ता द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह परिसर का उपयोग कर सकता है एवं इस संविदा में शामिल न हुए कार्य के निष्पादन के लिए कार्य स्थल का उपयोग कर सकता है एवं यह कार्य अन्य व्यक्तियों से करा सकता है, एवं ऐसे कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार समुचित सुविधाओं के उपयोग की अनुमति देगा पर नियोक्ता द्वारा की गई विशेष व्यवस्था को छोड़कर ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए प्लांट या सामग्री उपलब्ध नहीं कराएगा। ये ये कार्य इस तरीके से किए जाएंगे कि ये संविदा में शामिल कार्यों की प्रगति में बाधा नहीं डालें एवं ऐसे कार्यों से होने वाली हानि या विलंब या ऐसे अवसरों के लिए ठेकेदार उत्तरदाई नहीं होगा।

33. व्यक्ति एवं संपत्ति को होने वाली हानि के संबंध में बीमा

ठेकेदार के स्वयं के या किसी नामित उप-ठेकेदार के या इनमें से किसी के भी कर्मचारी के परिचालन या लापरवाही से किसी व्यक्ति, मवेशी या वस्तु को कोई चोट पहुंचती है एवं संपत्ति को ढांचागत एवं सजावट संबंधी कोई हानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, चाहे भले ही ऐसी चोट या हानि इस संविदा को पूरा करने में हुई किसी लापरवाही वाली दुर्घटना या अन्य किसी कारण से हुई हो। अन्य बातों के साथ-साथ यह खंड उन भवनों को हुई हानि पर भी लागू होगा जो इससे एकदम सटी हुई या अन्यथा हैं एवं सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों एवं पगडंडियों को हुई हानि के साथ साथ इस संविदा के तहत आने वाले भवनों एवं कार्यों को पाले, बारिश, हवा या खराब मौसम के चलते होने वाली हानि भी शामिल है। उक्त व्यक्ति एवं संपत्ति को लगी ऐसी किसी चोट या हुई हानि के कारण होने वाले सभी या किसी व्यय तथा किसी विधायी या अन्यथा के कारण चोट या हानि हेतु किए गए दावे एवं ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी फैसले या क्षतिपूर्ति या हानि के प्रति ठेकेदार नियोक्ता को रक्षित रखेगा तथा इनका नुकसान नहीं होने देगा। ठेकेदार, अपने स्वयं के खर्च पर, अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ, इस संविदा के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से शुरू होने की तारीख से प्रभावी बीमा के लिए सभी जोखिम पॉलिसी की राशि के बराबर राशि के लिए ठेकेदारों के लिए मानक सभी जोखिम नीति के अनुसार सभी जोखिमों के खिलाफ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में भूकंप और आग जोखिम सहित संविदा (पॉलिसी में आरबीआई का नाम सबसे पहले रखा जाएगा) और ऐसी नीति या नीतियां शुरू करने से पहले नियोक्ता के पास जमा करें। ठेकेदार इस क्लॉज में उल्लिखित हर प्रकार की सभी क्षति को बहाल करेगा, ताकि पूरे अनुबंध के कार्यों की डिलीवरी हर मामले में पूर्ण और सही हो सके और तीसरे पक्ष की संपत्ति को नुकसान के सभी दावों को किया जा सके। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति/सार्वजनिक सदस्य या अन्य तीसरे पक्ष द्वारा नियोक्ता के खिलाफ किए जा सकने वाले सभी दावों के खिलाफ नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा, जो काम के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है और नियोक्ता द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ अनुबंध के पूरा होने तक, नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की एक पॉलिसी (आरबीआई का नाम पहले रखा जाएगा) को अपने स्वयं के खर्च पर प्रभावी और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा, ऐसे जोखिमों के खिलाफ और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या नीतियों को नियोक्ता के पास जमा करें। पॉलिसी के तहत कवरेज की न्यूनतम सीमा ठेकेदार को सामान्य निर्देशों के तहत कहीं और परिभाषित की जाएगी। ठेकेदार भी नियोक्ता को उन सभी दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति करेगा जो नियोक्ता पर किए जा सकते हैं चाहे कामगार मुआवजा अधिनियम या इस अनुबंध की अवधि के दौरान लागू किसी अन्य कानून के तहत या ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी या किसी के संबंध में सामान्य कानून में उप-ठेकेदार और अपने स्वयं के व्यय पर, अनुबंध के पूरा होने तक, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ नियोक्ता और ठेकेदार के संयुक्त नामों में बीमा की नीति (आरबीआई का नाम पहले रखा पहले पॉलिसी में जायेगा) इस तरह के जोखिमों के खिलाफ और अनुबंध की अवधि के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या नीतियों को नियोक्ता के पास जमा करें। ऊपर दिए गए अनुसार सुनिश्चित करने वाले ठेकेदार के डिफॉल्ट में, नियोक्ता ऐसा सुनिश्चित कर सकता है और भुगतान किए गए किसी भी पैसे से भुगतान किए गए प्रीमियम को काट सकता है या जिसका कारण ठेकेदार हो सकता है। ठेकेदार किसी भी दायित्व के लिए जिम्मेदार होगा जिसे ऊपर उल्लिखित बीमा पॉलिसियों से बाहर रखा जा सकता है और

साथ ही इस अनुबंध को पूरा करने में लापरवाही या दोषपूर्ण होने के कारण और किसी भी व्यक्ति, पशु या संपत्ति को अन्य सभी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, जो कुछ भी हो सकता है वे कारण होंगे जिनके कारण क्षति हुई होगी। वह किसी भी दावे या कार्य से संबंधित किसी भी दावे या कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले सभी और किसी भी लागत, शुल्क या व्यय के संबंध में और उससे उत्पन्न होने वाले मुआवजे या नुकसान के किसी भी पुरस्कार के संबंध में नियोक्ता को क्षतिपूर्ति और क्षतिपूर्ति भी करेगा। इस तरह की चूक के संबंध में ठेकेदार के खिलाफ नियोक्ता के अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार को देय किसी भी राशि से नियोक्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी क्षति, मुआवजे, लागत, शुल्क और अन्य खर्चों की कटौती करने का हकदार होगा और जो इस खंड के तहत ठेकेदार द्वारा देय हैं। ठेकेदार इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के अनुसार बीमाकर्ता के खिलाफ किए गए किसी भी दावे के बीमाकर्ता द्वारा निपटारे पर नष्ट या क्षतिग्रस्त कार्यों के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए उचित परिश्रम के साथ आगे बढ़ेगा। इस घटना में इस तरह के नुकसान के संबंध में बीमाकर्ता से प्राप्त सभी धन का भुगतान ठेकेदार को किया जाएगा और ठेकेदार नष्ट या क्षतिग्रस्त सामग्री या माल के पुनर्निर्माण या मरम्मत के लिए किए गए खर्च के संबंध में किसी भी अन्य भुगतान के लिए हकदार नहीं होगा।

ठेकेदार, क्षति के बाद पुनर्निर्माण या बहाली के मामले में, नियोक्ता द्वारा उचित समझे जाने वाले समय के विस्तार के लिए हकदार होगा, लेकिन, नियोक्ता द्वारा किसी भी कमी के लिए यहां निर्धारित किए गए किसी भी दावे के निपटान में बीमाकर्ता द्वारा अंतिम रूप से भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

34. इस खंड के तहत अपने दायित्व के पूर्वाग्रह के बिना, ठेकेदार सभी नामित उप-ठेकेदारों को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार बीमा की समान पॉलिसी के कार्यों को उनके संबंधित हिस्सों को प्रभावी बनायेगा और नियोक्ता के लिए ऐसी पॉलिसी तैयार करायेगा। ठेकेदार नामित उप-ठेकेदार को साइट पर काम शुरू करने की अनुमति नहीं देगा जब तक कि उक्त बीमा पॉलिसियां जमा नहीं की जाती हैं। उप-ठेकेदार द्वारा साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या बीमा पॉलिसियों को निकालने/दिखाने में विफलता की स्थिति में, ठेकेदार उक्त उप-ठेकेदार के कारण होने वाले किसी भी दावे या क्षति के लिए जिम्मेदार होगा।

35. आरंभ तथा पूर्ण होने की तारीख

संविदा में उल्लिखित "आरंभ करने की तारीख" या नियोक्ता द्वारा उल्लिखित बाद की किसी अन्य तारीख से ठेकेदार को कार्य स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जाए एवं उसी दिन से काम शुरू कर दिया जाए तथा नियमित आधार पर इसे किया जाए एवं जैसा कि संविदा में उल्लिखित है उसी के अनुसार इसे "पूर्ण होने की तारीख" पर या इससे पहले पूरा (सिवाय पुताई या अन्य सजावटी कार्यों के लिए, जैसा कि बैंक विलंब के लिए इच्छा जाहिर करे) करे बशर्ते यह उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप हो जो यहां निहित हों।

36. अपूर्णता हेतु क्षतिपूर्ति

यदि संविदा में उल्लिखित तारीख या यहां उल्लिखित खंड 37 के तहत किसी विस्तारित समय के अंदर ठेकेदार कार्य पूर्ण करने में असफल रहता है तो जिस अवधि तक उक्त कार्य अपूर्ण रहा हो उतनी अवधि के लिए ठेकेदार संविदा के अनुसार नियोक्ता को "परिनिर्धारित हर्जाने" का भुगतान करेगा एवं नियोक्ता इस क्षतिपूर्ति की कटौती ठेकेदार को देय राशि में कर सकता है। ठेकेदार एतद्वारा विशेष रूप से सहमत है और नियोक्ता को इस संविदा के अनुसार ठेकेदार देय भुगतान की किसी भी किस्त से या प्रतिधारण राशि से इस तरह के परिनिर्धारित हर्जाने, यदि कोई हो, की कटौती करने के लिए अधिकृत करता है।"

37. विलंब एवं समय विस्तार

यदि (ए) अपरिहार्य घटना या (बी) किसी कारणवश अत्यधिक विषम मौसम या (सी) समीपस्थ या पड़ोसी स्वामियों या लोक प्राधिकारियों की कार्रवाई या धमकी या विवाद के कारण, ठेकेदार की स्वयं की चूक को छोड़कर या (डी) अन्य ठेकेदारों या लगाए गए या नियोक्ता द्वारा नामित शिल्पकारों एवं कार्य की अनुसूची और/ या मात्रा में जिनका संदर्भ न हो उनके कार्य या विलंब या (ई) यहां उल्लिखित खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर करे कारण से या (एफ) सिविल उपद्रव या भवन शिल्प को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे कि कामगार या हड़ताल या तालाबंदी के स्थानीय संयोजन या (जी) जिनके लिए ठेकेदार ने विशिष्टतः लिखित रूप में आवेदन किया हो उनके बारे में उसे बैंक से समय रहते आवश्यक अनुदेश न मिलने के परिणामस्वरूप या (एच) ऐसे अन्य कारक जिनके बारे में बैंक यह प्रमाणित करे कि वे ठेकेदार

के नियंत्रण से बाहर थे या (आई) यदि किसी परिवर्तन के कारण मात्रा की मूल्य अनुसूची के मूल्य के कारण कार्य की लागत बढ़ जाती है तो बैंक को लिखित सूचना देने के तुरंत बाद ही बैंक पूर्णता हेतु सही और उचित समय विस्तार दे सकता है पर ठेकेदार इस विलंब को रोकने का अपने प्रयास जारी रखेगा एवं कार्य को जारी रखने के लिये बैंक के संतोष के स्तर तक अपेक्षित कार्रवाई करेगा।

यदि ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए समय के विस्तार की आवश्यकता है या यदि किसी कारण से काम पूरा होने में देरी हो जाती है, तो ठेकेदार को कम से कम लिखित रूप में समय के विस्तार के लिए नियोक्ता को आवेदन करना होगा। निर्धारित समय की समाप्ति के 7 दिन पहले और समय के विस्तार के लिए आवेदन करते समय, ठेकेदार देरी के लिए दस्तावेजी साक्ष्य (बाधा रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठों की प्रति), यदि कोई हो, के साथ विस्तार से कारण और उसका औचित्य प्रस्तुत करेगा। केवल नियोक्ता द्वारा दी गई समय की विस्तार अवधि (ठेकेदार से आवेदन प्राप्त होने पर या यहां तक कि देरी के आधार की तर्कसंगतता के रूप में इस तरह के किसी भी आवेदन प्रमाणीकरण के अभाव में) परिनिर्धारित हर्जाने के आरोपण से छूट के लिए योग्य होगी। मूल निर्धारित अवधि से अधिक की शेष अवधि के लिए और नियोक्ता द्वारा दिए गए समय के अधिकृत विस्तार के लिए, खंड 36 के तहत बताए अनुसार परिनिर्धारित हर्जाने का प्रावधान लागू हो जाएगा।

इसके अलावा, यह संविदा पूरा होने की नियत तारीख से आगे की अवधि के लिए भी लागू रहेगा चाहे संविदा पूरा होने की नियत तारीख से परे की अवधि के लिए भी ठेकेदार ने आवेदन किया है या नहीं, पूरा होने के लिए समय के विस्तार के लिए आवेदन किया है या नहीं। किसी भी कारण से काम पूरा करने में देरी होने पर ठेकेदार को किसी भी कारण से दरों में संशोधन या किसी अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

38. ठेकेदार का नियोक्ता के अनुदेशों के अनुपालन करने में असफल रहना

यदि नियोक्ता से अनुपालन की अपेक्षा संबंधी कोई लिखित नोटिस प्राप्त होता है और इसकी पावती के 10 के दिन के अंदर ऐसे और आरेखनों और/ या बैंक के अनुदेशों के अनुपालन में ठेकेदार असफल रहता है तो नियोक्ता ऐसे कार्य को प्रभावी रूप देने के लिए एवं इसे निष्पादित करने के लिए नियोक्ता किसी अन्य व्यक्ति को नियोजित कर सकता है एवं उसे भुगतान कर सकता है और इस संबंध में हुए व्यय की वसूली नियोक्ता ठेकेदार से ऋण के रूप में कर सकता है या ठेकेदार को देय राशि में से इसकी कटौती कर सकता है।

39. नियोक्ता द्वारा संविदा निरस्त करना

ठेकेदार के व्यक्ति या फर्म होने की स्थिति में यदि "दिवालियापन की कार्रवाई" होती है या उसके दिवालिया होने का अधिनिर्णय होता है या निगमित कंपनी होने की स्थिति में इसके विरुद्ध अनिवार्य समापन आदेश आया हो या स्वैच्छिक समापन के लिए संकल्प पारित किया गया हो या यह न्यायालय के पर्यवेक्षण के एवं दिवालियापन या समापन, जैसी भी स्थिति हो, के लिए आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक के अधीन हो एवं कार्य करने में सक्षम न हो तो उसे ऐसा नोटिस मिलने के सात दिन के अंदर उसे वास्तुविद के संतोष के स्तर यह समुचित रूप से साबित करना होगा कि वह संविदा को चलाने एवं इसे पूरा करने में सक्षम है तथा आवश्यकतानुसार उसे वास्तुविद की अपेक्षानुसार जमानत देनी होगी।

या यदि ठेकेदार (चाहे व्यक्ति, प्रथम या निगमित निकाय हो) को निष्पादन का सामना करना पड़े या ठेकेदार के विरुद्ध न्यायालय संपत्ति कुर्क करने की अन्य प्रक्रिया जारी करे।

या इस करार के तहत कुर्क किए जाने वाले या ठेकेदार के ऋणदाताओं की ओर से किसी भुगतान का सामना करना पड़े।

या नियोक्ता की अनुमति लिए बिना ही इस संविदा को उप ठेका हेतु समनुदेशित करना।-

या इस संविदा पर चार्ज किया जाता है या इसे भार ग्रस्त किया जाता है या कोई भुगतान देय होता है या निम्नानुसार ठेकेदार पर देय होता है:-

- (i) उसने संविदा त्याग दी हो, या

- (ii) कार्य आरंभ करने में असफल रहा हो या बैंक द्वारा कार्य करने का नोटिस मिलने के बाद 14 दिन तक इन शर्तों के तहत बिना वैध माफी के कार्य की प्रगति को लंबित रखा हो, या
- (iii) उचित विवेक के साथ कार्य करने में असफल रहना एवं सहमत हुए समय के तहत कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक प्रगति करने में असफल रहना, या
- (iv) बैंक से इस आशय का लिखित नोटिस मिलने के बाद कि उक्त सामग्री या कार्य खराब है एवं निम्न शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर ने इसे खारिज कर दिया है, तो ऐसे नोटिस के सात दिन के अंदर कार्य स्थल से सामग्री हटाने या निकालने एवं कार्य को बदलने में असफल रहना, या
- (v) ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य, सामग्री या वस्तुओं को करने में एवं ठेकेदार को सात दिन की लिखित नोटिस देने के बाद भी ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्यों में लगातार असफल रहना इन्हें उपेक्षित करना।

यहां उल्लिखित एवं वर्णित मामलों में पिछली किसी माफी के बावजूद ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद नियोक्ता उस प्रभावी संविदा का इस तरह निर्धारण कर सकता है कि संविदा निर्धारित नहीं है एवं यदि कार्य निष्पादन को बाद में ठेकेदार द्वारा या उसकी तरफ से निष्पादित कराना है। और इसके बाद, नियोक्ता अपने एजेंटों या सेवकों द्वारा इससे जुड़ सकता है एवं कार्य तथा परिसर एवं सभी प्लांटों या पास की भूमि एवं सड़क पर पड़े उपकरण मचानों, शेडों, मशीनरी, स्टीम तथा अन्य पावर उपकरणों को अपने नियंत्रण में ले सकता है एवं इनका उपयोग अपनी संपत्ति के रूप में कर सकता है या कार्य को पूरा करने में अपने सेवकों तथा कामगारों से इनका उपयोग करा सकता है या किसी अन्य ठेकेदार को या अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोजित करके कार्य को पूरा करा सकता है, और ठेकेदार किसी भी रूप में या किसी भी तरीके या वस्तु से नियोजित ऐसे अन्य किसी ठेकेदार या व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्य को पूरा करने से या समाप्त करने से या सामग्री या प्लांट का उपयोग करने से न तो रोकेगा, न ही रुकावट पैदा करेगा। जब कार्य समाप्त हो जाए या इसके बाद सुविधाजनक स्थिति के अनुसार जब बैंक ठेकेदार को लिखित रूप में बेशी सामग्री एवं प्लांट को हटाने का नोटिस देगा एवं यदि नोटिस मिलने के चौदह दिन के अंदर ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहता है तो नियोक्ता सावर्जनिक नीलामी के माध्यम से इसे बेच सकता है तथा प्राप्त निवल आय को ठेकेदार के नामे किया जाएगा। इसके पश्चात नियोक्ता उक्त प्लांट एवं सामग्री का अवलोकन करेगा जो नियंत्रण में ली गई है या नियोक्ता द्वारा नियंत्रण में ली गई है और कार्य पूरा करने में हुए व्यय या हानि तथा राशि को वह अपनी मुहर से अधिप्रमाणित करेगा। इस तरह प्रमाणित राशि की देयता अगर ठेकेदार के पक्ष में बनती है तो नियोक्ता ठेकेदार को या यदि नियोक्ता के पक्ष में बनती है तो ठेकेदार नियोक्ता को, जैसी भी स्थिति हो, भुगतान करेगा तथा इस संबंध में बैंक का प्रमाणपत्र अंतिम तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

40. ठेकेदार द्वारा संविदा निरस्त करना

यदि बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के तहत नियोक्ता द्वारा देय राशि का भुगतान एरियर में हो एवं ठेकेदार द्वारा नियोक्ता को उक्त राशि के भुगतान हेतु लिखित नोटिस देने के बाद भी दिन तक भी 30 इसका भुगतान न किया गया हो या यदि ऐसे किसी अन्य प्रमाणपत्र को जारी करने में नियोक्ता हस्तक्षेप करे या बाधा बने या यदि नियोक्ता संविदा का परित्याग कर दे या यदि वास्तुविद या नियोक्ता या न्यायालय के समादेश या अन्य किसी आदेश पर कार्य तीन महीने तक रुका रहे तो एवं उक्त मामलों में ठेकेदार को यह छूट होगी कि वह नियोक्ता को लिखित नोटिस देकर संविदा का निर्धारण कर सकता है और वह नियोक्ता से निष्पादित कार्य के भुगतान तथा संविदा के लिए आपूर्ति किए गए या खरीदे गए या तैयार किए गए प्लांट या सामग्री के लिए उसने जो नुकसान सहा है उसकी वसूली के लिए वह पात्र होगा। ऐसे भुगतान की राशि का निर्धारण करने के लिए ठेकेदार के मूल निविदा में निहित निवल दर का पालन किया जाएगा या जहां इसे लागू न किया जा सके वहां खंड 26 के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

41. प्रमाणपत्र एवं भुगतान

निष्पादित कार्य हेतु बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी अंतरिम प्रमाणपत्र के अनुसार नियोक्ता किस्तों में समय-समय पर ठेकेदार को भुगतान करेगा, यह भुगतान उस अनुमानित मूल्य के आधार पर किया जाएगा जिसका उल्लेख निविदा में 'अंतरिम प्रमाणपत्र हेतु कार्य का मूल्य' के रूप में संविदा में कार्य निष्पादन हेतु किया गया है, तथापि इसके लिए शर्त यह होगी कि इस मूल्य का कुछ प्रतिशत निविदा में उल्लिखित 'कुल प्रतिधारण धन' के रूप में प्रतिधारित रका जाएगा, जिसके पश्चात निष्पादित एवं भवन में फिक्स किए जाने वाले कार्यों के लिए पूरे मूल्य का भुगतान किया जाएगा। और जब कार्य वास्तविक रूप से पूरा हो जाए तब बैंक के इंजीनियर द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर नियोक्ता ठेकेदार को संविदा में 'वास्तविक पूर्णता के पश्चात किस्त' के रूप में उल्लिखित राशि का भुगतान करेगा जो कि उक्त कुल प्रतिधारित राशि का अंग होगी। कार्य के वास्तविक रूप से समाप्त होने के बाद इसके साथ संलग्न संविदा में उल्लिखित 'खराबी बाध्यता अवधि' में वर्णित या ऐसी अवधि के समाप्त होने पर देय अंतिम प्रमाणपत्र के आधार पर ठेकेदार अंतिम रूप से शेष का भुगतान पाने का पात्र होगा क्योंकि तब कार्य अंततः पूरा हो चुका हो एवं मूल आशय के मुताबिक सभी खराबियों को पूरा कर दिया गया हो बशर्ते अंतिम कार्य भी हो गया हो या खंड 2 एवं 29 के तहत कार्य या सामग्री या प्रमाणपत्र से संबंधित किसी कपट, बेईमानी या कपटपूर्ण छुपाव के कारण ठेकेदार की अक्षमता के चलते एवं कार्य या सामग्री की समस्त त्रुटियों एवं कमियों से संबंधित समुचित जांचों को प्रकट न किया गया हो। कोई भी प्रमाण पत्र अपने आप में निर्णायक सबूत नहीं होगा कि कोई भी कार्य या सामग्री, जिससे वह संबंधित है, संविदा के अनुसार है और न ही ठेकेदार किसी भी राशि के लिए दावा करेगा जिसे नियोक्ता ने किसी अंतरिम बिल में प्रमाणित किया हो और नियोक्ता द्वारा भुगतान किया हो और जिसे बाद में देय नहीं पाया जा सकता है और इस संबंध में नियोक्ता का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

यदि कार्य या इसका कोई भी अंश यदि नियोक्ता के संतोष के अनुसार न हुआ हो तो उसे यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी प्रमाणपत्र को रोक सकता है।

नियोक्ता किसी भी प्रमाण पत्र द्वारा किसी भी पिछले प्रमाण पत्र में कोई सुधार कर सकता है जो उसके द्वारा जारी किया गया हो।

नियोक्ता को इस तरह के प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद भुगतान परिशिष्ट में नामित अवधि के भीतर "प्रमाणपत्रों 'प्रमाणपत्रों के भुगतान की निर्धारित अवधि' के रूप में किया जाएगा।

42. विलंबित भुगतान

नियोक्ता द्वारा ठेकेदार को देय कोई भी राशि, यदि परिशिष्ट में 'प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि' के भीतर भुगतान नहीं की जाती है, तो परिशिष्ट में नामित दर पर "विलंबित भुगतान के लिए ब्याज की दर" के रूप में तब तक ब्याज लगाया जाएगा जिस तारीख को नियोक्ता द्वारा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था।

43. नियोक्ता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित किए जाने वाले मामले

खंड 2, 9, 15, 16, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 37 (ए,बी,सी,डी,एफ), 38,39,41 के तहत सभी या किसी भी मामले के संबंध में निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाणपत्र (भुगतान को छोड़कर) (जिन मामलों को यहां अपवादित मामलों के रूप में संदर्भित किया गया है) अंतिम और निर्णायक होंगे और इसके पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे और अपील भी नहीं होगी। नियोक्ता का कोई भी अन्य निर्णय, राय, निर्देश, प्रमाण पत्र या मूल्यांकन या नियोक्ता द्वारा इनमें से कोई भी देने से इनकार करने का अधिकार मध्यस्थता के अधिकार के अधीन होगा और सभी मामलों में उसी तरह से इसकी धारा 44 के तहत समीक्षा की जाएगी (जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं) संदर्भ खोलने के लिए प्रावधान) जैसे कि यह नियोक्ता का निर्णय था।

44. मध्यस्थता द्वारा विवादों का निपटारा

सभी विवाद और किसी भी प्रकार के मतभेद जो संविदा से या उसके संबंध में या कार्यों को पूरा करने के संबंध में उत्पन्न होते हैं (चाहे कार्यों की प्रगति के दौरान या पूरा होने के बाद और चाहे निर्धारण से पहले या बाद में या संविदा का उल्लंघन) बैंक द्वारा संदर्भित और निपटाया जाएगा जो लिखित रूप में अपना निर्णय बताएगा। ऐसा निर्णय अंतिम प्रमाण पत्र के रूप में या अन्यथा हो सकता है। किसी भी अपवादित मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और अपील के बिना होगा जैसा कि यहां खंड 43 में कहा गया

है। लेकिन यदि ठेकेदार किसी भी अपेक्षित मामले को छोड़कर किसी भी मामले पर, जिस पर बैंक द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है, से असंतुष्ट है, तो ठेकेदार ऐसे निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस दे सकता है जिसमें कहा गया हो कि विवादित मामलों पर मध्यस्थता की जाए। इस तरह की लिखित सूचना में उन मामलों का उल्लेख होगा, जो विवाद में हैं या जिनके बीच ऐसी लिखित सूचना दी गई है। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो इस उद्देश्य के लिए एक एकल मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। यदि एकल मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई समझौता नहीं हो पाता है, तो दोनों पक्ष अपनी ओर से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगे। पक्षों द्वारा नामित दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के रूप में कार्य करने के लिए एक और व्यक्ति को नामित करेंगे।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, को यह शक्ति होगी कि वे प्रत्याशित मामलों, पिछले खंड में जिसका संदर्भ दिया गया है, से संबंधित किसी प्रमाणपत्र, राय, निर्णय, अनुरोध या नोटिस को देख सकते हैं, इसकी समीक्षा कर सकते हैं एवं इसमें संशोधन कर सकते हैं एवं उन सभी विवादित मामलों में निर्णय दे सकते हैं जो मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत किए गए हों एवं जिनके लिए उक्त नोटिस दिया गया है।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, को संदर्भ मिलने की तारीख से एक वर्ष के अंदर (या ऐसी कोई विस्तारित अवधि जिसका उन्होंने दोनों पक्षों की सहमत से निर्णय लिया हो) अपना निर्णय दे देना होगा। मध्यस्थता कार्रवाई के दौरान अगर दोनों पक्ष अपने विवाद या मतभेद को आपसी सहमति या समझौते से निपटाना चाहें तो दोनों पक्षों द्वारा सहमति या समझौते का संयुक्त ज्ञापन प्रस्तुत करने पर मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, को उक्त सहमति या समझौते के अनुसार निर्णय देना होगा।

ऐसा संदर्भ मिलने पर संदर्भ एवं निर्णय की आनुषंगिक लागत के बारे में मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, निर्णय लेना होगा जो कि राशि का निर्धारण करेंगे या दोनों पक्षों पर इसके भार का निदेश देंगे तथा यह निदेश देंगे कि कौन पक्ष किसको एवं किस तरीके से इसका भुगतान करेंगे एवं इसको वहन करेंगे।

इस तरह की गई प्रस्तुति को भारतीय माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके संशोधन में अन्य कोई संविधि के तहत प्रस्तुत मध्यस्थता समझी जाएगी।

मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, का निर्णय अंतिम तथा दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। इस पर सहमति है कि मध्यस्थता हेतु भेजे गए ऐसे किसी मामले, प्रश्न या विवाद के चलते ठेकेदार कार्य करने में कोई विलंब नहीं करेगा एवं तब तक बैंक के निर्णयों का पूरी तरह पालन करते हुए सभी कार्य पूरी सावधानी से करेगा जब तक कि मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, का निर्णय न आ जाए। मध्यस्थ या मध्यस्थों, जैसी भी स्थिति हो, का कोई भी निर्णय कार्य को वास्तविक रूप से पूरा करने के बारे में बैंक के अनुदेशों का पूर्णतः पालन करने की ठेकेदार की बाध्यता से उसे मुक्त नहीं करेगा। नियोक्ता एवं ठेकेदार इसके लिए सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता इस संविधा के तहत किसी भी कार्रवाई के अधिकार से पूर्ववर्ती शर्त होगी।

मध्यस्थता का स्थान लखनऊ, भारत होगा।

45. अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार

नियोक्ता को अधिकार होगा कि वह अंतिम बिल के भुगतान के समय समर्थन वाउचरों, उद्धरणों आदि सहित ठेकेदार के अंतिम बिल तथा कार्य की तकनीकी जांच करवा सकता है। यदि इस जांच के परिणामस्वरूप यहा पाया जाता है कि कुछ अधिक भुगतान हुआ है या अधिक राशि का प्रमाणन हुआ है तो नियोक्ता के लिए यह विधि सम्मत होगा कि वह इसकी वसूली करे।

46. कामगारों को दी गई क्षतिपूर्ति की वसूली के लिए नियोक्ता पात्र

यदि किसी कारणवश कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के प्रावधानों या किसी सांविधिक आशोधन या अधिनियम के पुनः अधिनियमित होने के चलते ठेकेदार द्वारा नियुक्त कामगारों को नियोक्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़े तो नियोक्ता को अधिकार होगा कि वह क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की राशि की वसूली ठेकेदार से कर सके और इससे इस अधिनियम के तहत नियोक्ता को हासिल अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियोक्ता को छूट होगी कि वह इस राशि या इसके किसी अंश की वसूली

जमानत राशि में से या नियोक्ता द्वारा देय राशि में से कटौती कर के कर सकता है जिसके प्रति वह इस अधिनियम के तहत कोई दावा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है सिवाय उस स्थिति के जब ठेकेदार सभी लागत के लिए नियोक्ता के संतोष के स्तर तक पूर्ण जमानत के लिए नियोक्ता को लिखित अनुरोध करे जिसके लिए नियोक्ता ऐसा दावा करने का पात्र हो।

47. कार्य त्यागना

निविदा स्वीकार करने के पश्चात किसी भी समय और किसी भी कारण से यदि नियोक्तता संपूर्ण कार्य या इसके अंश को न कराना चाहे तो बैंक ठेकेदार को लिखित नोटिस देगा जिसके लिए ठेकेदार को इस कार्य के निष्पादन से प्राप्त लाभ या फायदे के लिए किसी तरह की क्षतिपूर्ति या अन्यथा का दावा करने का हक नहीं होगा जो किसी भी लाभ या लाभ के कारण मुआवजे का भुगतान या अन्यथा जो भी हो, जो पूरे कार्यों के निष्पादन से प्राप्त हो सकता है।

48. अतिरिक्त सामग्री वापस करना

इस संविदा में निहित किसी या सभी खंडों में किसी भी तथ्यों के बावजूद, संविदा के निष्पादन हेतु कोई सामग्री यदि नियोक्ता की सहायता से सरकार द्वारा जारी किसी आदेश या परमिट या लाइसेंस से हासिल की जाती है तो ठेकेदार उक्त सामग्री को किफायत से रखेगा एवं इसका उपयोग केवल संविदा के लिए ही करेगा तथा नियोक्ता की लिखित पूर्वानुमति के बिना इसका निपटान नहीं करेगा और यदि नियोक्ता अपेक्षा करे तो इसे नियोक्ता को वापस करेगा, जिसके मूल्या का निर्धारण बैंक सामग्री की हालत को देखते हुए करेगा पर यह मूल्य क्रय मूल्य से अधिक नहीं होगा जिसमें कि बिक्री कर, चुंगी तथा ठेकेदार द्वारा भुगतान की ऐसी अन्य लेवी भी शामिल होंगी, उक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में ठेकेदार लाइसेंस या परमिट की शर्तों के उल्लंघन और/ या विश्वास का आपराधिक उल्लंघन की कार्रवाई के अलावा नियोक्ता के प्रति उस धन, फायदा या लाभ के प्रति भी देय होंगे जो ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप बनता हो।

49. ठेकेदार यदि व्यक्ति है तो उसकी मृत्यु की स्थिति में नियोक्ता का संविदा निरस्त करने का अधिकार

इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि एक व्यक्ति होने के नाते ठेकेदार की मृत्यु हो जाती है तो नियोक्ता को यह विकल्प होगा कि वह इस संविदा को निरस्त कर दे, ऐसे निरसन के लिए कोई देयता नहीं होगी।

50. दुर्घटना रिपोर्ट

किसी भी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में, ठेकेदार ग्राहक को सभी दुर्घटना रिपोर्ट की प्रतियाँ प्रदान करेगा। रिपोर्ट बिना किसी देरी के उसी समय भेजी जाएगी जब किसी अन्य पक्ष को अग्रेषित की जा रही है।

51. सीमांत टिप्पणियाँ

बॉक्स में नोट्स और कैच लाइन्स में और इसके अनुलग्नकों में केवल संदर्भ की सुविधा के लिए हैं और किसी भी तरह से इन प्रस्तुतियों और अनुलग्नकों की व्याख्या में इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

52. कार्य की प्रगति

कार्य दिए जाने पर, ठेकेदार अपने टेंडर फॉर्म में प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर प्रोजेक्ट शेड्यूल (सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के विवरण सहित) के आधार पर, लिखित रूप में, उपकरण डिलीवरी की तारीखों सहित, शुरू करने और पूरा करने की समय-सारणी की फिर से पुष्टि करेगा।

53. ठेकेदार, अनुमोदित/स्वीकृत कार्यक्रम से विचलन के लिए, यदि कोई हो, कारणों के साथ, लिखित रूप में, वर्तमान उपकरण वितरण तिथियों और व्यक्तिगत गतिविधि के लिए अनुमानित समापन तिथियों को दर्शाने वाली मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

54. गैर प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी जानकारी, सामग्री और बैंक के बुनियादी ढांचे / प्रणाली / उपकरण आदि का खुलासा नहीं करेगा, जो अनुबंध के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के पेशे या ज्ञान में आ सकता है। तृतीय पक्ष और हर समय इसे सबसे अधिक विश्वास के साथ धारण करेगा। इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर,

ठेकेदार अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्य जगहों पर कार्यों के चींटी विवरणों को प्रकाशित करने, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपायों का पीछा करने का हकदार होगा।

ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति के बाद बने रहेंगे।

55. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी:

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सभी कामगारों को वैधानिक आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाए।

56. लेबर लाइसेंस :

ठेकेदार अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों का पालन करेगा, यदि उक्त अनुबंध के तहत लागू होता है, और सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

57. महिलाओं का यौन उत्पीड़न :

a) ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में। बैंक, शिकायत को ठेकेदार/एजेंसी या स्थानीय शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर किया जाएगा और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ख) सेवा प्रदाता के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में कार्यरत किसी अन्य फर्म के किसी कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।

ग) ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा घटना में शामिल होने पर भुगतान किए जाने वाले किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होती है।

घ) ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

ङ) ठेकेदार उन कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

स्थान:

दिनांक:

बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर

खंड V

विशेष शर्तें

1. कामगारों को परिसर के भीतर रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति भी इसी प्रकार साइट पर उपलब्ध निःशुल्क आपूर्ति से ली जा सकती है।
3. स्थानीय निकायों से आवश्यक अनुमति, यदि कोई हो, ठेकेदार द्वारा प्राप्त की जाएगी।
4. इच्छुक निविदाकार किसी भी बैंक के कार्य दिवस पर विभाग से निविदा ड्राइंग, विनिर्देशों आदि के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं।
5. निविदाकार कृपया ध्यान दें कि कार्य दिन के समय या बैंक के निर्देशों के अनुसार किया जाना है। अतः इसमें शामिल समस्त कार्य कार्यालय/कॉलोनी के कर्मचारियों/रहने वालों को कम से कम व्यवधान के साथ किया जाएगा और ठेकेदार द्वारा दिन-प्रतिदिन सफाई भी की जानी है। दीवार/स्लैब/स्तंभ को चेस कटर से ही काटा जाना चाहिए
6. कार्य के लिए समस्त सामग्री सीढ़ियों के माध्यम से कार्य क्षेत्र में लाई जाएगी और सामग्री उठाने के लिए कोई माल ढुलाई उपलब्ध नहीं होगी।
7. उपरोक्त कार्य से उत्पन्न मलबा/धूल या किसी भी प्रकार की बर्बादी को बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार जितनी बार आवश्यक हो उतनी बार साफ किया जाएगा।
8. सभी निराकरण कार्य एवं शोर उत्पन्न करने का कार्य दिन के समय एवं अवकाश के समय तथा दिन के समय का कार्य प्रतिबंधित समय पर करना होगा। ठेकेदार को शाम और रात के समय आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। ठेकेदार दरों को उद्धृत करते समय उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखेगा।
9. निविदाकार प्रतिदिन आधार पर साइट पर (बैंक के परिसर से) एकत्र किए गए सभी मलबे को हटा देगा। बैंक के इंजीनियरों की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार, मजदूरों द्वारा उपयोग की जाने वाली सीढ़ियों और मार्गों को ठीक से साफ किया जाएगा।

10. ठेकेदार कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति करेगा। साइट पर बिना पर्यवेक्षण के कोई कार्य नहीं किया जाएगा।
11. निविदाकर्ता केवल अनुमोदित ब्रांड की सामग्री का ही उपयोग करेगा।
12. गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार / बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार विक्रेता को उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों के लिए सभी COVID-19 संबंधित उपाय/सावधानियां जैसे हर समय मास्क जारी करना और पहनना, हाथों को बार-बार साफ करना आदि का पालन करना होगा।

धारा VI

परिशिष्ट यहाँ पहले से संदर्भित करने के लिए

1.	दोष दायित्व अवधि	वर्चुअल पूर्णता प्रमाणपत्र की तारीख से एक वर्ष
2.	अंतिम मापन की अवधि	3 महीने
3.	प्रारंभ होने की तिथि	स्वीकृति पत्र की तिथि से 10वें दिन।
4.	समापन की तिथि	वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र की तिथि।
5.	कार्य पूरा न करने पर की दर से परिसमापन क्षति	निविदा में उल्लिखित खंड 2.16 के अनुसार
6.	अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्यों का मूल्य	निविदा में उल्लिखित खंड 2.22 के अनुसार
7.	प्रमाण पत्र प्रदान करने की अवधि	अंतरिम बिल के लिए एक महीना और अंतिम बिल के लिए 3 महीने।
8.	विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	3% प्रति वर्ष

ठेकेदार की मुहर और हस्ताक्षर

खंड - VII तकनीकी विनिर्देश

6.0 कार्य का दायरा

(ए) कार्य का दायरा इस विनिर्देश के तहत विस्तृत रूप से आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और एयर हैंडलिंग यूनिट (एचयू) की कमीशनिंग को कवर करेगा और जैसा कि सामग्री के बिल / मात्रा की अनुसूची में प्रदान किया गया है।

(बी) इकाई डबल स्किन प्रकार की होगी। बाहरी आवरण 0.6 मिमी मोटा जस्ती इस्पात होगा और आंतरिक आवरण 0.6 मिमी मोटा जस्ती इस्पात होगा। स्टेनलेस स्टील SS-304 ग्रेड का होना चाहिए। इन्सुलेशन सामग्री निर्माता के मानकों के अनुसार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनों द्वारा 38 किलोग्राम / घन मीटर से कम घनत्व वाले दो पैनेलों के बीच कम से कम 25 मिमी मोटी सैंडविच वाली पीयूएफ सामग्री होनी चाहिए। इन पैनेलों को जोड़ों को वायुरोधी बनाने के लिए बीच में नरम रबर गैसकेट के साथ ढांचे पर अंदर से/बाहर से पेंचदार किया जाएगा। एचयू में रखरखाव की आवश्यकता वाले विभिन्न हिस्सों में भाग लेने के लिए निरीक्षण कवर/दरवाजे होंगे, साथ ही प्रकाश को चालू/बंद करने के लिए दरवाजा सीमा स्विच के साथ, जब इसके कवर/दरवाजे क्रमशः बंद/खोले जाते हैं।

(सी) ड्रेन पैन 18 एसडब्ल्यूजी स्टेनलेस स्टील सामग्री (एसएस-304) का होना चाहिए जो 1.2 मिमी से कम मोटा न हो और 10 मिमी मोटी बंद सेल पॉलीथीन फोम इंसुलेशन या नाइट्राइल रबर या पीयूएफ के साथ बाहरी रूप से अछूता हो, जिसमें तेजी से हटाने की सुविधा के लिए आवश्यक दोहरी ढलान हो। घनीभूत। नाली कनेक्शन 32 मिमी दोनों सिरों पर प्रदान किया जाएगा और निकटतम नाली में उपयुक्त रूप से पाइप किया जाएगा।

(डी) ब्लोअर जस्ती निर्माण के डीआईडीडब्ल्यू पिछड़े घुमावदार प्ररित करनेवाला होगा। शाफ्ट स्टील का होना चाहिए, पर्याप्त आकार के हेवी ऊ्यूटी बॉल बेयरिंग पर उदारतापूर्वक डिजाइन और समर्थित होना चाहिए। ब्लोअर AMCA (एयर मूवमेंट एंड कंट्रोल एसोसिएशन) होना चाहिए जो ध्वनि, वायु और FEG के लिए 70% से कम प्रमाणित न हो। पंखे के आउटलेट को अग्निरधी कपड़े की मदद से केसिंग से जोड़ा जाएगा।

(ई) ड्राइव मोटर अधिमानतः प्रत्यक्ष युग्मित होगी। यदि यह सुविधा संभव नहीं है, उपयुक्त रूप से डिजाइन किए गए वी बेल्ट जिसमें दो समान रूप से मिलान किए गए बेल्ट से कम न हो, प्रदान किया जाएगा।

(एफ) कूलिंग कॉइल एचआरआई प्रमाणित होना चाहिए। ठंडा पानी का तार एल्यूमीनियम पंखों के साथ तांबे की ट्यूब का होगा। कॉइल को सीमलेस सॉलिड ड्रॉ कॉपर ट्यूब से बनाया जाएगा। कूलिंग/हीटिंग के लिए ट्यूब की न्यूनतम मोटाई 0.5 मिमी होगी। कॉइल 6 पंक्तियों के साथ 11 से 13 फिन प्रति इंच रिक्ति के साथ होना चाहिए। पंखों की न्यूनतम मोटाई 0.15 मिमी नाममात्र होगी। कॉइल को 10 किलोग्राम / वर्ग सेमी (जी) के दबाव के लिए डिजाइन और परीक्षण किया जाएगा और इसके लिए परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यू-बेंड्स तांबे के होंगे, जो ब्रेजिंग द्वारा ट्यूबों से जुड़े होंगे।

(छ) प्रत्येक इकाई को फैक्ट्री असेंबल्ड फिल्टर सेक्शन प्रदान किया जाएगा जिसमें 99% की दक्षता के साथ 03 माइक्रोन कण आकार की निस्पंदन क्षमता के साथ एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम फ्रेम वाले प्री-फिल्टर्स वाटर वॉशेबल सिंथेटिक टाइप एयर फिल्टर होंगे। फिल्टर MERV-13 और EU-7 शिकायतकर्ता से कम नहीं होना चाहिए। मीडिया को एक तरफ एचडीपीई जाल और दूसरी तरफ एल्यूमीनियम जाल के साथ समर्थित किया जाएगा। फिल्टर फिट होंगे ताकि पास को रोका जा सके। बैंकों में कई फिल्टर सेल स्थापित करने के लिए

होल्लिंग फ्रेम एल्यूमीनियम की 50 मिमी मोटी होनी चाहिए। इन सेलों को मार्गदर्शक चैनलों के बीच सेलों को स्लाइड करके फ्रेम के भीतर रखा जाएगा।

(एच) औद्योगिक प्रकार के थर्मामीटरों से डायरेक्ट रीडिंग वी, उपयुक्त रेंज से भरा अल्कोहल और उपयुक्त रेंज के बोझ टाइप प्रेशर गेज ट्यूबिंग और गेज कॉक के साथ चिल्ड वॉटर लाइन के इनलेट और आउटलेट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(i) कूलिंग कॉइल की क्षमता, ब्लोअर पंखे से हवा की मात्रा और ब्लोअर पंखे का स्थिर दबाव निविदा दस्तावेजों में निर्धारित अनुसार होगा। जहां निविदाकर्ता द्वारा गणना किए गए ये पैरामीटर निर्दिष्ट मूल्यों से अधिक हैं, कॉइल्स और ब्लोअर फैन इन गणना मूल्यों को पूरा करेंगे।

(जे) कॉइल को 155 मीटर / मिनट से अधिक नहीं होने वाली हवा के चेहरे के वेग के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

(के) वायु सर्किट द्वारा मांगे जाने वाले अपेक्षित स्थैतिक दबाव को पंखे द्वारा चयनित संचालन गति पर विकसित किया जाएगा। पंखा मोटर एचपी इन आवश्यकताओं और ड्राइव घाटे को पूरा करने के लिए उपयुक्त होगा।

(एल) ब्लोअर पंखे से हवा का आउटलेट वेग 610 मीटर/मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए।

(म) AHU से 2M की दूरी पर शोर का स्तर 75dBA से अधिक नहीं होना चाहिए।

(एन) एयर हैंडलिंग यूनिट को इस तरह स्थापित किया जाएगा कि भवन संरचना में कंपन की न्यूनतम मात्रा संचारित हो सके। पर्याप्त कंपन अलगाव 10 मिमी रबर / नियोप्रीन पैड और / या कंपन अलगाव वसंत माउंटिंग के उपयोग से प्रदान किया जाएगा।

(ओ) सभी उपकरणों की आपूर्ति निर्माता के मानक फिनिश पेंटिंग के अनुसार की जाएगी।

6.1 यूवीजीआई असेंबली इकाइयां

पराबैंगनी रोगाणुनाशक विकिरण (यूवीजीआई) एक कीटाणुशोधन विधि है जो न्यूक्लिक एसिड को नष्ट करके और उनके डीएनए को बाधित करके सूक्ष्मजीवों को मारने या निष्क्रिय करने के लिए लघु-तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश का उपयोग करती है, जिससे वे अपने महत्वपूर्ण सेलुलर कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। यूवीजीआई का उपयोग लंबे समय तक संपर्क में रहने वाली हवा को कीटाणुरहित करने के लिए किया जा सकता है। कीटाणुशोधन यूवी तीव्रता और समय के साथ एक कार्य है।

कार्य का दायरा: मौजूदा AHU में COVID-19 सुरक्षा के लिए UVGI असेंबली लगाई गई है। फर्म को बिना किसी अतिरिक्त लागत के मौजूदा यूवीजीआई असेंबली को नए एएचयू के साथ शामिल/एकीकृत करना होगा।

6.2 इलेक्ट्रिकल मोटर्स और स्टार्टर्स:

यह खंड पंपों, एयर हैंडलिंग इकाइयों, कूलिंग टावरों आदि के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की मोटरों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग से संबंधित है।

6.2.1 मोटरों का निर्माण

(ए) मोटर्स का निर्माण निर्दिष्ट उपकरण / सामग्री के निर्माण की अनुमोदित सूची में से एक होगा।

(बी) सभी मोटर पूरी तरह से संलग्न फैन कूल्ड (टीईएफसी) गिलहरी केज प्रकार के होंगे और बिना किसी शोर या ह्रम के सभी भारों पर चलने चाहिए। मोटर आईपी 54 सुरक्षा होनी चाहिए।

(सी) मोटर्स की वाइंडिंग क्लास एफ इंसुलेशन की होगी और स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त होगी। मोटर्स की डिजाइन, निर्माण विशेषताएं और परीक्षण आईएस 325-1978 के नवीनतम संस्करण के अनुसार होंगे। शोर का स्तर 85 डीबी से अधिक नहीं होना चाहिए। उपयोग की जाने वाली मोटर ऊर्जा कुशल प्रकार की होनी चाहिए, जो IS 12615: 2018 की पुष्टि करने वाली IE3 रेटेड से कम न हो। मोटर VFD के साथ उपयोग के लिए उपयुक्त डिजाइन की जानी चाहिए।

(डी) मोटर्स को फुट माउंटेड मोटरों के लिए आईएस: 325, आईईसी 34.1 या बीएस 2313, आईईसी 72.1 का पालन करना होगा। मोटर के लिए नियमित परीक्षण प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ई) मोटरों की रेटिंग उपकरण की अनुसूची और मात्रा के बिल में इंगित की जाएगी। मोटर्स का चयन परिवेश के तापमान और स्वीकार्य अधिकतम तापमान वृद्धि के आधार पर किया जाएगा।

(एफ) 1 एचपी से ऊपर की मोटर तीन चरण की होगी जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। 5HP तक और इसमें शामिल मोटर्स में DOL स्टार्टर होगा और इस रेटिंग से ऊपर की रेटिंग में स्टार/डेल्टा स्टार्टर होगा। सभी बिजली/नियंत्रण केबल और तार एफआरएलएस/एफआरएलएसएच (FRLS/FRLSH) ग्रेड के होने चाहिए।

(जी) सभी मोटरों को आईएस 325 के अनुसार निरंतर ड्यूटी के लिए रेट किया जाएगा। मोटर 415 वोल्ट + 10% 3 चरण, 50 हर्ट्ज + 5%, एसी आपूर्ति (या 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसपी एसी आपूर्ति) पर संचालन के लिए उपयुक्त होगी। मोटर को विशेष रूप से शांत संचालन के लिए डिजाइन किया जाएगा और मोटर की गति 1440 RPM + 5% से अधिक नहीं होगी।

(एच) मोटर्स को एल्युमिनियम कंडक्टर, पीवीसी इंसुलेटेड, पीवीसी शीथ और आर्मर्ड केबल रखने के लिए उपयुक्त केबल बॉक्स प्रदान किया जाएगा।

(आई) सभी मोटरों को बॉल और रोलर बेयरिंग के संयोजन के साथ प्रदान किया जाएगा। बेयरिंग को फिर से ग्रीस करने के लिए उपयुक्त ग्रीस निपल्स प्रदान किए जाएंगे।

(जे) 0.25 एचपी से अधिक की मोटर्स वर्तमान सुरक्षा के साथ होगी। 100 एचपी से ऊपर के मोटर्स को स्टेटर वाइंडिंग में पूर्ण थर्मल संरक्षण और थर्मिस्टर डिटेक्टर प्रदान किया जाएगा।

6.2.2 मोटर स्टार्टर्स

(ए) उपयोग किए जाने वाले स्टार्टर का प्रकार जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो निम्नानुसार होगा।

मोटर का प्रकार	आरंभिक करंट	स्टार्टिंग मेथड
स्केरल केज मोटर 05 एचपी तक	फुल लोड करंट का 6 गुना	लाइन पर प्रत्यक्ष
05 एचपी से ऊपर	फुल लोड करंट का 2.5 गुना	स्टार/डेल्टा

(बी) सभी स्टार्टर्स आईएस 1882 की पुष्टि करेंगे। स्टार्टर शीट धातु के एनक्लोजर में संलग्न होगा या क्यूबिकल एमसीसी के अंदर लगाया जाएगा जो डस्ट, वर्मन प्रूफ आदि होगा।

(सी) सभी स्टार्टर निर्दिष्ट वोल्टेज और फ्रीकेंसी के होने चाहिए।

(डी) सभी स्टार्टर्स में अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के इंटीग्रल स्टॉप/स्टार्ट पुश बटन होंगे।

(ई) ठेकेदार के पास उपयुक्त ड्यूटी के लिए आवश्यक संख्या में पोल होंगे। संपर्क ठोस चांदी के बने हो सकते हैं और प्रति घंटे कम से कम 40 संपर्क के लिए उपयुक्त होना चाहिए।

(एफ) सभी स्टार्टर्स के लिए थर्मल ओवरलोड रिले प्रदान किया जाएगा।

(छ) सभी स्टार्टर्स (स्टार/डेल्टा) में एडजस्टेबल टाइमर होंगे।

(एच) प्रत्येक स्टार्टर के लिए इंटीग्रल इंसुलेटिंग बैरियर के साथ टर्मिनल ब्लॉक प्रदान किए जाएंगे।

(i) स्केरल केज मोटरों के लिए डीओएल/स्टार-डेल्टा/सॉफ्ट स्टार्टर्स जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, प्रदान किया जाएगा। स्टार्टर्स ड्राइव और चालित उपकरणों के अनुकूल एयर ब्रेक प्रकार के होंगे।

(जे) स्टार्टर में इंटरलॉकिंग उद्देश्य के लिए अतिरिक्त संपर्क प्रदान किया जाएगा।

6.2.3 मोटर्स की स्थापना:

(ए) बेल्ट और अन्य समायोजन की सुविधा के लिए मोटर और ड्राइव मशीन को स्लाइड रेल पर लगाया जाएगा।

(बी) कंपन अलगाव व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

(सी) मोटर की स्थापना आईएस 900 के अनुसार की जाएगी।

(डी) ड्राइविंग उपकरण के साथ मोटर नींव पर लगाया जाएगा और गार्ड के साथ लचीले युग्मन के साथ एक दूसरे से जुड़ा होगा।

(ई) सभी मोटर विनिर्देशों के अनुसार वायर्ड किए जाएंगे। मोटर फ्रेम की अर्थिंग बिल ऑफ क्वांटिटीज में निर्दिष्ट जीआई/कॉपर स्ट्रिप्स के साथ की जाएगी।

6.3 जल पाइपिंग:

3.3.1 यह खंड आपूर्ति, पाइप की स्थापना, पाइप फिटिंग और वाल्व, सभी कंडेनसर के परीक्षण और संतुलन, ठंडा पानी, नाली के पानी आदि से संबंधित है, जैसा कि विनिर्देशों में विस्तृत है। सभी पाइपिंग, फिटिंग और वाल्व आदि, प्रासंगिक भारतीय मानकों की पुष्टि करेंगे। पाइप, फिटिंग और वाल्व अनुमोदित मेक के होंगे।

3.3.2 चिल्ल/कंडेनसर पानी के पाइप एमएस "सी" क्लास (ब्लैक स्टील) ट्यूब होंगे जो आईएस: 1239 (भाग I) -1991 के अनुरूप होंगे, जिसमें 150 मिमी तक के आकार के लिए नवीनतम संशोधन शामिल हैं। एमएसईआरडब्ल्यू ब्लैक स्टील पाइप, नवीनतम संशोधनों सहित IS: 3589 के अनुरूप, 150 मिमी से अधिक आकार के लिए उपयोग किया जाएगा। "सी" वर्ग एमएसईआरडब्ल्यू ब्लैक पाइप की दीवार की मोटाई इस प्रकार होगी:

	नॉमिनल पाइप व्यास मिमी में	पाइप की दीवार की मोटाई मिमी में
(ए)	25	4.00
(बी)	32	4.00
(सी)	40	4.00
(डी)	50	4.50
(ई)	65	4.50
(एफ)	80	4.80
(जी)	100	5.40
(एच)	125	5.40
(आई)	150	5.40
(जे)	200	6.00

ड्रेन वाटर/मेकअप वॉटर पाइप पीवीसी का होना चाहिए जिसमें 4 किग्रा/सेमी² प्रेशर रेटिंग हो।

6.3.3 पाइप फिटिंग

(ए) सामान्य

पेंचदार पाइपिंग के लिए पाइप फिटिंग लचीले लोहे की होनी चाहिए और वेल्डेड जोड़ों के साथ पाइपिंग के लिए वेल्ड योग्य गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसके अलावा, फिटिंग पाइपिंग सिस्टम के लिए समान दबाव रेटिंग के लिए उपयुक्त होगी। सभी झुकाव 150 मिमी व्यास आकार तक हेवी ड्यूटी रेडीमेड होंगे।

200 मिमी और उससे अधिक आकार के सभी मोड़ एक ही व्यास से निर्मित किए जाने चाहिए। और कम से कम चार खंडों में पाइप की मोटाई और पाइप के व्यास के कम से कम 1.5 गुना के त्रिज्या में एक केंद्र होना चाहिए। फिटिंग जैसे टीज़, रेड्यूसर आदि एक ही पाइप से और सबसे कम लंबाई के पाइप के व्यास से दोगुने होने चाहिए।

आखिरी सिरों को फ्लैंग्ड जोड़ों के साथ बनाया जाना है और 150 मिमी और उससे अधिक के लिए निकला हुआ किनारा जोड़ी के बीच 6 मिमी मोटी खाली जगह हो, ताकि भविष्य में विस्तार किया जा सके। अन्यथा, रिक्त अंत डिस्क 6 मिमी मोटाई को 50एमएमX50एमएम भारी कोणों से अतिरिक्त कठोरता के साथ वेल्ड किया जाना है। 350 मिमी से ऊपर के आकार के लिए सभी 400 मिमी व्यास से बड़े हों जो डिश के सिरे और परीक्षण किए गए होंगे।

(बी) फ्लैजेस

सभी फ्लैजेस आईएस: 6392/71 (नवीनतम संशोधनों के साथ) के अनुसार माइल्ड स्टील के होने चाहिए और पाइप से वेल्डेड टाइप पर स्लिप होंगे। निकला हुआ किनारा मोटाई द्वितीय श्रेणी के दबाव के अनुरूप होना

चाहिए। फ्लैजेस के बीच में 3 मिमी मोटी गैसकेट का उपयोग किया जाएगा। फ्लैजेड जोड़ी का उपयोग ऐसे सभी उपकरणों पर किया जाएगा, जिन्हें अलग करने या सर्विस के लिए हटाने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए कंडेनसर/चिल्ड पानी पंप, चिलिंग एम/सी, एएचयू इत्यादि।

उपरोक्त पैरा में निर्दिष्ट बिंदुओं पर दबाव गेज और थर्मामीटर को जोड़ने की सभी व्यवस्थाएं पाइपिंग कार्य का हिस्सा होंगी और दबाव गेज और थर्मामीटर की लागत सहित इसकी लागत को पाइपिंग के लिए उद्धृत दर/राशि में शामिल किया जाएगा।

6.4 पाइपों का इन्सुलेशन:

3.4.1 यह खंड इसमें दिए गए विनिर्देश के अनुसार पाइप आदि के थर्मल इन्सुलेशन की आपूर्ति और फिक्सिंग से संबंधित है।

3.4.2 इन्सुलेशन की सामग्री

इन्सुलेशन सामग्री पूर्वनिर्मित पाइप सेक्शन या रासायनिक रूप से क्रॉस लिंकड क्लोज्ड सेल पॉलीइथाइलीन (FR-XPE) / पॉलीइथिलीन एयर बबल फिल्म की शीट, K मान के साथ अग्निरोधी ग्रेड 23°C माध्य तापमान पर 0.029 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन्सुलेशन सतह को 28 गेज (0.4 मिमी) एल्यूमीनियम शीट क्लैडिंग के साथ फिनिश किया जाएगा या फिर एक तरफ एल्यूमीनियम लेमिनेशन के साथ इन्सुलेशन शीट का उपयोग किया जाएगा या डक्ट सील के साथ 25 मिमी मोटी क्लास "1" नाइट्राइल शीट इन्सुलेशन का उपयोग किया जाएगा।

6.5 डक्टिंग कार्य:

3.5.1 डक्ट वर्क गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट (जीएसएस), कक्षा VIII से निर्मित किया जाएगा जो आईएस 277-1962 (संशोधित) के अनुरूप है। डक्ट का निर्माण सख्ती से आईएस 655-1963 के अनुरूप होगा। आयताकार डक्ट वर्क के निर्माण के लिए शीट की मोटाई निम्नानुसार होगी:

अधिकतम साइड मिमी	शीट की मोटाई मिमी	अनुप्रस्थ संयुक्त कनेक्शन का प्रकार	ब्रेसिंग (यदि कोई हो)	सपोर्ट का आकार (हैंगिंग रॉड)
1	2	3	4	5
400 तक	0.63	25 मिमी जीएसएस फ्लैजेस	कोई नहीं	10 मिमी
401 से 800	0.63	25 x 25 x 3 मिमी एमएस कोण फ्लैजेस	25 x 25 x 3 मिमी एमएस कोण 1.2एम पर	10 मिमी
801 से 1500	0.8	40 x 40 x 3 मिमी एमएस कोण फ्लैजेस	1.2 मीटर पर 40 x 40 x 3 मिमी एमएस कोण	12 मिमी

1501 से 2250	1.00	50 x 50 x 6 मिमी एमएस कोण फ्लेंजेस	40 x 40 x 3 मिमी एमएस कोण फ्लेंजेस	16 मिमी
2251 और ऊपर	1.25	50 x 50 x 6 मिमी एमएस कोण फ्लेंजेस	40 x 40 x 3 मिमी एमएस कोण फ्लेंजेस	16 मिमी

3.5.2 डक्ट का निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

i. सभी डक्ट को वर्कमैन की तरह गढ़ा और स्थापित किया जाएगा, जो आमतौर पर संबंधित आईएस कोड की पुष्टि करता हो।

ii. डक्ट अंदर से सीधे और चिकने होने चाहिए, जिसमें साफ-सुथरे जोड़ हों। जोड़ों को वायुरोधी बनाया जाना चाहिए। रबर गैसकेट सभी कनेक्शनों और जोड़ों में डक्ट फ्लेंजेस के बीच स्थापित किया जाएगा।

iii. डक्ट के आयाम और आकार में परिवर्तन क्रमिक होगा। एयर टर्न को वेन के साथ स्थापित किया जाना चाहिए, हवा को अशांति के बिना मोड़ बनाने के लिए व्यवस्थित किया जाना चाहिए। सभी ब्रांच टेक ऑफ और कॉलर में टर्निंग वेन्स उपलब्ध कराए जाने चाहिए। सभी फ्लेंजेस और सपोर्ट को इरेक्शन से पहले सभी सतहों पर प्राइमर कोटेड होना चाहिए और उसके बाद एल्युमिनियम पेंट से पेंट किया जाना चाहिए।

iv. सभी डक्ट को सीलिंग/स्लैब से एमएस 9 मिमी व्यास के रॉड के माध्यम से नीचे एमएस कोण के साथ सहारा दिया जाएगा। डैश फासनों की मदद से डक्ट को छत से लटकना चाहिए।

v. सभी डक्ट कठोर होनी चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां पर्याप्त रूप से समर्थित और ब्रेस्ड होना चाहिए, डक्ट को सही आकार में रखने और बकलिंग, कंपन और टूटने को रोकने के लिए पर्याप्त आकार के खड़े सीम, टी या कोण के साथ लगाया जाना चाहिए। 610 मिमी चौड़ाई तक के डक्ट में कम से कम 40X40X3 मिमी कोण का समर्थन होना चाहिए और इससे बड़ी नलिकाओं में 50X50X6 मिमी कोण का समर्थन होना चाहिए।

vi. संचालन की सभी शर्तों के तहत सभी नलिकाएं कंपन से पूरी तरह मुक्त होंगी। जब भी डक्ट का काम एएचयू से जुड़ा होता है जो डक्ट में कंपन पैदा कर सकता है, तो डक्ट्स को कम से कम 150 मिमी लंबे सुरक्षित रूप से बंधे और दोनों तरफ बोल्ट के आग प्रतिरोधी लचीले डबल कैनवास कनेक्शन के साथ लगाया जाना चाहिए।

6.5.3 डक्ट पर थर्मल इंसुलेशन :

इन्सुलेशन सामग्री 13 मिमी मोटी रासायनिक रूप से क्रॉस लिंकड क्लोज्ड सेल पॉलीइथाइलीन FR-XPE अग्निरोधी ग्रेड होगी जिसमें न्यूनतम घनत्व 33 ± 3 किलो / Cu.m, $0.035W / mK$ की तापीय चालकता और जल वाष्प प्रसार प्रतिरोध कारक (μ) 6000, पिडिलाइट का उपयोग करके एल्यूमीनियम पन्नी के साथ टुकड़े-टुकड़े में एसएसआर 998 चिपकने वाला तरल बनाते हैं। सामग्री ओजोन क्षयकारी पदार्थों (सीएफसी/एचसीएफसी) से मुक्त होनी चाहिए।

कंपनी की मुहर और हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

दिनांक

खंड VIII

7.1 बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला डेटा

क्रमांक	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरा जाए
1.	एएचयू निर्माता	
2.	एएचयू की मॉडल संख्या	
3.	बॉडी निर्माण की सामग्री और मोटाई (आंतरिक / बाहरी)	
4.	सीएफएम में एएचयू इकाई की क्षमता	
5.	टीआर में एएचयू इकाई की क्षमता	
6.	एएचयू इकाई (LXBXH) का आकार मिमी. में	
7.	इन्सुलेशन सामग्री की मोटाई (पीयूएफ)	
8.	नाली पैन निर्माण की सामग्री	
9.	ड्रेन पैन सामग्री की मोटाई	
9.	पूर्व फ़िल्टर की संख्या	
10.	पूर्व फ़िल्टर का आकार (LXBXH) मिमी. में	
11	फिल्टर की मोटाई मिमी. में	
12.	पूर्व फिल्टर का प्रकार और विनिर्देश	
13.	पंखे का प्रकार	
14.	फैन मेक	
15.	पंखे का व्यास/स्वीप क्षेत्र मिमी. में	
16.	पंखे की गति आरपीएम में	
17.	एचपी/किलोवाट में फैन रेटिंग	
18.	पंखों की संख्या	
19.	स्थैतिक दबाव डबल्यूजी के एमएम में	
20.	मोटर निर्माता	
21.	मोटर प्रकार	
22.	मोटर क्षमता एचपी/किलोवाट में	
23.	मोटर आरपीएम	
24.	स्टार्टर प्रकार	

25.	स्टार्टर निर्माता		
26.	ड्राइव		
27.	फ़िल्टर क्षेत्र (वर्ग फीट)		
28.	फिल्टर पर वेग		
29.	फिल्टर पर दबाव ड्रॉप मिमी. में		
30.	कोइल बनाना		
31.	कोइल / ट्यूब की मोटाई मिमी. में		
32.	कोइल पंक्तियाँ		
33.	ट्यूब की सामग्री		
33.	ट्यूब की लंबाई मिमी. में		
34.	ट्यूब का बाहरी व्यास मिमी. में		
35.	फिन सामग्री		
36.	फिन्स प्रति इंच (एफ़पीआई) में फिन रिक्ति		
37.	कॉइल्स की संख्या		
38.	सहायक उपकरण और नियंत्रण		
	(ए) पुली और वी-बेल्ट		
	(बी) डक्ट के लिए कैनवास कनेक्शन		
	(सी) कंपन-रोधी पैड		
39.	बीयरिंग बॉल / रोलर		
40.	बीयरिंगों का निर्माण		
41.	डक्ट इंसुलेशन	थर्मल ध्वनिक	
ए	निर्माता का नाम		
बी	सामग्री		
सी	घनत्व किलो / सेमी		
डी	तापीय चालकता Kcal/H deg.C		

खंड IX

सामग्री निर्माता

8.1 सामग्री के अनुमोदित निर्माताओं की सूची

उपकरण का निर्माण नीचे उल्लिखित में से होगा। बिजली के सभी सामान, उपकरण, फिटिंग जिन पर बीआईएस मार्क हो और जो बैंक के अनुमोदन के अधीन हों। हालांकि, वैध आईएसआई अंकन वाली और नवीनतम आईएस मानकों की पुष्टि करने वाली और विशिष्टताओं और लागत में समान किसी भी सामग्री को समकक्ष माना जाएगा और बैंक के विवेक के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

क्रमांक	मद का विवरण	स्वीकृत निर्माता
1.	एएचयू	जेको/ब्लूस्टार/कैरियर/वोल्टास/ईटीए/एज/टेक/वेक्स बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित समकक्ष
2.	पंखा निर्माता	कूगर/निकोत्रा/लौ
3.	मोटर निर्माता	एबीबी/सीमेंस/किर्लोस्कर/क्रॉम्पटन
4.	बिजली की तारें	सीसीआई/फिनोलेक्स/पॉलीकैब/यूनिवर्सल/ग्लोस्टर
5.	नियंत्रण केबल	सीसीआई/फिनोलेक्स/पॉलीकैब/ग्लोस्टर
6.	एमसीसीबी/एमसीबी/आरसीसीबी	लेग्रान्ड / एबीबी / श्राइडर / हैगर
7.	जीआई शीट्स	टाटा/जिंदल/सेल
8.	इन्सुलेशन सामग्री	UPTwiga/Owen Carning/K-flex/Armacell या बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित समकक्ष मेक।
9.	मर्व-13 फिल्टर	मेचमार्क, थर्माडाइन, स्पेक्ट्रम
10.	ट्रेन पाइप यूपीवीसी	सुप्रीम/एस्ट्रल/प्लास्टो
11	एसएस दबाव नापने का यंत्र	एच.गुरु/फीबिग/एमराल्ड
12.	थर्मामीटर	एच.गुरु/फीबिग/एमराल्ड
13.	एमएस ब्लैक पाइप	टाटा/जिंदल/सेल

- उपयोग की जाने वाली मोटर ऊर्जा कुशल प्रकार की होनी चाहिए, जिसकी आईई3 रेटिंग IS 12615: 2018 से कम न हो।

जांच सूची
वाणिज्यिक शर्तों की अनुसूची

क्रमांक	विवरण	बैंक की शर्तें	बोलीदाता को स्वीकार्य है या नहीं (कृपया हां या नहीं बताएं)
1.	वैधता	भाग I खोलने की तारीख से 90 दिन।	
2.	ईएमडी	सभी बोलीदाताओं से निविदा के साथ ₹.17,600/- की वसूली की जाएगी।	
3.	कीमते	फर्म, अनुबंध अवधि के दौरान सभी करों, शुल्कों, बीमा, लेवी सहित।	
4.	समापन अवधि	जारी होने की तिथि के 10 ^{वें} दिन से दो माह।	
5.	कार्य पूरा होने में देरी के लिए परिसमापन हर्जाना	अनुबंध राशि का विलंब के 0.25% प्रति सप्ताह के अधीन अधिकतम 10% अनुबंध मूल्य के अधीन।	
6	वारंटी के दौरान जुर्माना	यदि सूचना के 24 घंटों के भीतर दोष को ठीक नहीं किया जाता है, तो ₹1,000/- प्रति दिन, अधिकतम ₹.10,000/- प्रति घटना के अधीन।	
7	गारंटी	आभासी पूर्ण होने की तिथि के बाद एक वर्ष	
8	फैक्टरी और फील्ड परीक्षण	वाणिज्यिक शर्तों के खंड II के पैरा 2.21 के अनुसार	
9	भुगतान की शर्तें	वाणिज्यिक शर्तों के खंड II के पैरा 2.22 के अनुसार	
11	बीमा	इसके लिए निम्नलिखित शामिल होंगे <ol style="list-style-type: none"> 1. ठेकेदार आपूर्ति, पारगमन, भंडारण, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग आदि के लिए आग सहित सभी जोखिम पॉलिसी, और अग्नि पॉलिसी। 2. कामगार मुआवजा पॉलिसी और 3. नियम और शर्तों के अनुसार तृतीय पक्ष देयता पॉलिसी 	

स्थान:

दिनांक:

बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर

ठेकेदार के कार्य-निष्पादन संबंधी ग्राहक का प्रमाणपत्र

ग्राहक का नाम और पता

श्री / मैसर्स. द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

1 संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम

2 अनुबंध संख्या और तारीख

3 अनुबंध राशि

4 कार्य प्रारंभ होने की तिथि

5 पूर्ण होने की निर्धारित तिथि

6 पूर्ण होने की वास्तविक तिथि

7 विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि दर्शाएं) यदि कोई हो

8 पूर्ण और भुगतान किए गए कार्य की कुल राशि

9 उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया

10 क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया है?

11 i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग इंगित करें) उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

ii) कम दरों पर भुगतान किया गया कार्य की राशि, यदि कोई हो।

12 i) क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया था?

ii) यदि हां, तो दावे की कुल राशि

iii) प्रदान की गई कुल राशि

13. ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ

a) तकनीकी दक्षता

उत्कृष्ट/बहुत अच्छी/

अच्छा/संतोषजनक/खराब

b) वित्तीय सुदृढ़ता

बकाया/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/ खराब

c) पर्याप्त टी एंड पी

बकाया/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/ खराब

d) जनशक्ति का संग्रहण

बकाया/बहुत अच्छा/

अच्छा/संतोषजनक/ खराब

e) सामान्य व्यवहार

उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: (i) सभी कॉलम उचित रूप से प्रतिहस्ताक्षरित भरे जाने चाहिए।

(ii) प्रत्येक पूर्व अर्हता कार्य/कार्यों के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iii) ग्राहक के प्रमाण पत्र पर सरकारी/अर्ध सरकारी संगठन या सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में अधिशासी अभियंता के पद के अधिकारी या समकक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और निजी संगठनों के मामले में जारी किया गया ग्राहक प्रमाण पत्र, साथ में **स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)** प्रमाण पत्र भी हो।

बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप

1. फर्म की संरचना (पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमिटेड/प्रोपराइटरशिप/पब्लिक लिमिटेड)
2. फर्म के मालिक/भागीदारों/निदेशकों के नाम
3. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा
4. डीलिंग:
5. वह अवधि जब से फर्म आपके बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है
6. क्या उपरोक्त फर्म को 10 लाख रुपये की अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए ठेका सौंपने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत माना जाता है। हां/नहीं (कृपया सही का निशान लगाएं)
7. कोई अन्य टिप्पणी।

(हस्ताक्षर) बैंक के लिए

टिप्पणी:

1. बैंकर प्रमाणपत्र बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के पास दर्ज सभी भागीदारों के नाम शामिल होने चाहिए।

बयाना जमा राशि के एवज में बैंक गारंटी के लिए प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना है)

गारंटी के इस विलेख को _____ हजार _____ के इस _____ दिन को _____ (बैंकर का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय _____ (स्थान) और अपने स्थानीय कार्यालय में _____

(इसके बाद ज़मानतदार के रूप में संदर्भित), और भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 द्वारा गठित निकाय, जिसका केंद्रीय कार्यालय केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई -400 001, भारत में है (इसके बाद बैंक) कहा गया है, के बीच किया जाता है।

जबकि _____ (निविदाकर्ता का नाम इसके बाद 'निविदाकर्ता' के रूप में संदर्भित) एक कंपनी जो _____ के तहत पंजीकृत है और इसका पंजीकृत कार्यालय _____ में है, अपनी निविदाओं के संबंध में बयाना राशि रु. _____ (रुपये _____ मात्र) के रूप में बैंक के पास जमा करने के लिए बाध्य है जो कि बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ की तीसरी मंजिल पर एयर हैंडलिंग यूनिट (एचयू) के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने के लिए और उसमें संलग्न विनिर्देशों और नियम और शर्तों के अधीन है।

जबकि निविदाकर्ता, निविदाकर्ताओं को दिए गए निर्देशों के भाग संख्या _____ खंड II और विशेष शर्तों के अनुसार नकद बयाना जमा करने के बजाय _____ तक वैध बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए सहमत है।

1. यह कि बैंक को निविदाकर्ता द्वारा की गई उपरोक्त निविदा पर विचार करते हुए, बैंक को बिना किसी आपत्ति के मांग पर भुगतान की गारंटी देने के लिए रु. _____ (रु. _____ मात्र) की राशि प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर देने का वचन देता है। गारंटी के इस विलेख की प्रस्तुति पर बैंक से मांग की जाएगी, जिसे निविदाकर्ता अपनी निविदा के संबंध में बयाना राशि के रूप में बैंक के पास जमा करने के लिए बाध्य है।

2. यह गारंटी निविदाकर्ता की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या बैंक, निविदाकर्ता या ज़मानत के विघटन या संविधान में किसी भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।

3. बैंक इस गारंटी के तहत कोई भी दावा करने के लिए पात्र होगा यदि निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने के बाद, अपने प्रस्ताव को रद्द कर देता है या उसके नियमों और शर्तों को संशोधित करता है जो बैंक को स्वीकार्य नहीं है या बाद में आदेश को स्वीकार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त करता है। बैंक ने बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ की तीसरी मंजिल पर एयर हैंडलिंग यूनिट (एचयू) के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के कार्य के लिए निविदाकर्ता के साथ आदेश देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4. ज़मानतदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस गारंटी को इसकी अवधि के दौरान न रद्द नहीं कर सकता है।

5. पूर्वगामी में निहित कुछ भी होने के बावजूद, गारंटी के तहत ज़मानतदार की देयता रु. _____ (रु. _____ मात्र) तक सीमित है।

6. यह गारंटी _____ तक लागू और प्रभावी रहेगी और बैंक द्वारा ज़मानतदार को इसकी सूचना दिए जाने पर समाप्त और अप्रभावी हो जाएगी, जिस स्थिति में यह गारंटी समाप्त हो जाएगी।

7. निविदाकर्ता और बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के बीच मौजूद या उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के बावजूद, ज़मानतदार बैंक द्वारा जारी मांग नोटिस के अनुसार भुगतान करेगा।

8. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से किसी भी तरह की चूक या बैंक द्वारा निविदाकर्ता के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही दिखाने पर किसी भी तरह से ज़मानतदार को भारमुक्त नहीं किया जाएगा और ज़मानतदार के दायित्वों से मुक्त नहीं किया जाएगा। यह गारंटी केवल बैंक द्वारा ज़मानतदार को दी जाने वाली सूचना पर ही समाप्त होगी।

9. इसमें उक्त निहित होने के बावजूद, जब तक कि इस गारंटी के तहत कोई मांग या दावा लिखित रूप में _____ को या उससे पहले ज़मानतदार पर नहीं किया जाता है, ज़मानतदार उसके बाद गारंटी के तहत सभी देनदारियों से मुक्त हो जाएगा।

10. ज़मानतदार के पास अपने मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत इस गारंटी को जारी करने की शक्ति है और जो व्यक्ति एतद्वारा इस विलेख को निष्पादित कर रहा है, उसके पास ज़मानतदार द्वारा उसे दी गई पावर ऑफ़ अटॉर्नी के तहत ऐसा करने की आवश्यक शक्तियाँ हैं।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(उपरोक्त नामित बैंक के लिए और उनकी ओर से)

के लिए और की ओर से

(बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता _____

करार की शर्तें

यह करार वर्ष 2022 का _____ तारीख को लखनऊ में, प्रथम पक्षकार भारतीय रिज़र्व बैंक जिसका कार्यालय गोमती नगर –लखनऊ - 226010, में है (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) तथा द्वितीय पक्षकार मेसर्स -----
----- जिसका पंजीकृत कार्यालय -----
----- में स्थित है जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच किया जाता है।

ARTICLES OF AGREEMENT made theday of....., 2022 between the Reserve Bank of India (hereafter called "Bank") having its office at Gomti Nagar, Lucknow - 226010 on the one part and M/s _____ having its Registered Office at _____ (Thereinafter called "the Contractor") on the other part.

चूंकि,

नियोक्ता, बैंक के कार्यालय गोमती नगर –लखनऊ - 226010 में **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Air Handling Unit (AHU) at Third Floor of Bank's Main Office building, RBI, Lucknow** का इच्छुक है और (जिसे आगे उक्त कार्य कहा जाएगा) उसने निर्धारित कार्य का वर्णन करते हुये ड्राइंग, विशिष्टताओं और परिमाणों की सूची आमंत्रित की है। तथा चूंकि संख्या _____ से, तक की उक्त ड्राइंग, विशिष्टताओं, और परिमाणों की सूची पर पार्टियों या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

WHEREAS the Employer is desirous of **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Air Handling Unit (AHU) at Third Floor of Bank's Main Office building, RBI, Lucknow (hereinafter called "the said work")** and has caused drawings, specifications and schedule of quantities describing the work to be done. AND WHEREAS the said drawings from Numbers _____ to _____, the specifications, and the schedule of quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और चूंकि ठेकेदार निर्धारित शर्तों और विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शर्तों के अनुसार और संविदा की परिमाणों की सूची और संशोधित शर्तों के अधीन काम करने के लिए सहमत हो गया है और अंतिम रूप से दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत है (जिसे आगे सामूहिक रूप से "उक्त शर्तें" कहा जाएगा), उक्त ड्राइंग में दर्शाए गए और / या उक्त विशिष्टताओं में वर्णित कार्यों और इसमें निर्धारित दरों पर परिमाणों की सूची में शामिल, राशि के बराबर या इस तरह का अन्य योग (जिसे आगे "उक्त अनुबंध राशि" कहा जाएगा) इसके लिए देय हो जाएगा।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject work to the conditions set forth herein and to the conditions set forth in the special conditions and in the schedule of quantities and conditions of Contract as modified and finally accepted by both the parties (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said Specifications and included in the Schedule of quantities at the respective rates

therein set forth, amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there under (hereinafter referred to as "the said Contract Amount").

अब दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से इस पर निम्नानुसार सहमत हैं :

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

उक्त संविदा के संबंध में भुगतान समय पर और संविदा की उक्त शर्तों के अनुसार किया जाना है, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन ड्राइंग में दर्शाए गए और उक्त विशिष्टताओं तथा परिमाणों की अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित करेगा और पूरा करेगा।

In consideration of the said Contract amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall, upon and subject to the said conditions, execute and complete the work shown upon the said drawings and described in the said specifications and the schedule of quantities.

2.1. नियोक्ता ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या किसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उस समय और उक्त शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से देय हो।

The Employer shall pay the Contractor the said Contract amount or such other sum as shall become payable at the times and in the manner specified in the said conditions.

2.2. उक्त शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ मुख्य महाप्रबंधक, परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, से है और किसी भी कारण से इस अनुबंध के प्रयोजन हेतु उनको आर्किटेक्ट नहीं होने पर, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोक्ता द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए नामित किया जाएगा, जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर ठेकेदार किसी कारण से आपत्ति उठाए और नियोक्ता उसे उपर्युक्त माने, बशर्ते कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिसे बाद में आर्किटेक्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो उस समय लिखित में दिए गए किसी भी पिछले निर्णयों या अनुमोदन या निर्देश को अनदेखा या ओवररूल करने का अधिकार नहीं होगा।

The term "Architect" in the said conditions shall mean CGM, Premises Department, Central Office, Reserve Bank of India, Lucknow and on his ceasing to be the architect for the purpose of this Contract for whatever reason, such other person or persons as shall be nominated for that purposes by the Employer, not being a person to whom the Contractor shall object for reasons considered to be sufficient by the Employer provided always that no person or perhaps persons subsequently appointed to be architect under this Contract shall be entitled to disregard or overrule any previous decisions or approval or direction given or expressed in writing by the architect for the time being.

2.3. उक्त शर्तों और परिशिष्ट और उक्त कार्य के संबंध में निविदा स्वीकृति पत्र की तिथि तक नियोक्ता और ठेकेदार के बीच में हुये किसी भी पत्राचार को इस करार का हिस्सा माना जाएगा और पक्षकारों द्वारा इनका क्रमशः पालन किया जाएगा, स्वयं को उक्त शर्तों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उक्त शर्तों के अनुसार करार का निष्पादन करेंगे।

The said conditions and Appendix thereto and any correspondence exchanged between the Employer and the contractor in connection with the said work till the date of letter of acceptance of their tender shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

2.4. उक्त शर्तों और उसके परिशिष्ट को इस करार के एक भाग के रूप में माना जाएगा और इसके पक्षकार उक्त शर्तों का पालन करेंगे और शर्तों के अनुसार इस करार को निष्पादित करेंगे।

The said Conditions, Annexures and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and perform the agreements on their part respectively in the said conditions contained.

2.5. मूल निविदा दस्तावेज की धारा II, III, IV, V, VI, VII, VIII और IX तक के साथ यहां उल्लिखित ड्राइंग, करार और दस्तावेज और बैंक द्वारा उक्त प्रणाली के रखरखाव हेतु ठेकेदार को भविष्य में जारी किए जानेवाले सभी व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध कार्य आदेश इस अनुबंध का आधार रहेंगे, जो निविदा दस्तावेज में उल्लिखित उपकरणों के जीवनकाल तक मान्य रहेंगे।

The drawings, agreement and documents mentioned herein along with the Sections II, III, IV, V, VI VII, VIII and IX of the original tender document, Appendix and Annexures, work orders that would be issued by the Bank to the Contractor for the said work shall form the basis of this Contract which will be valid as mentioned in the tender document.

2.6. यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही काम का एक हिस्सा है, लेकिन यह **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Air Handling Unit (AHU) at Third Floor** के संबंध में काम करने हेतु एक संविदा है, जिसके लिए दर अनुसूची और प्रोबेबल क्वान्टिटी या उक्त शर्तों में निहित दरों/राशि के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

This Contract is neither a fixed lump sum contract nor a piece work but is a contract to carry out the work in respect of provision of **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Air Handling Unit (AHU) at Third Floor**, to be paid for at the rates/amount contained in the Schedule of Rates and Probable Quantities or as provided in the Said Conditions.

2.7. ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सिविल कार्यों, विद्युत अधिष्ठापन, फिटिंग और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हर उचित सुविधा को वहन करेगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुये किसी भी नुकसान को ठीक करेगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for carrying out of all works relating to civil works, electrical installations, fittings and other ancillary works in the manner laid down in the said conditions, and shall make good any damages done to walls, floors, etc., after the completion of such works.

2.8. नियोक्ता इस संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य के स्वरूप और ड्राइंग में कुछ जोड़कर अथवा कुछ हटाकर अथवा उसके कुछ भाग को रखकर परिवर्तन करने का स्वयं अधिकार सुरक्षित रखता है जो इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

The Employer reserves to itself the right of altering the drawings and nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out at any time during the currency of Contract, without prejudice to this Contract.

2.9. समय अवधि इस करार का महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा और ठेकेदार यहाँ सहमति व्यक्त करता है कि उक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र जारी होने के 10वें दिन से कार्य प्रारम्भ कर देगा और समय के विस्तार

के प्रावधानों के अधीन सम्पूर्ण कार्य **दो महीने** के भीतर पूरा करेगा, अन्यथा नियोक्ता उक्त शर्तों के अनुसार परिसमापन क्षति की वसूली करने का हकदार होगा।

Time shall be considered as the essence of this Contract and the Contractor hereby agrees to commence the work from the tenth day of issue of works order/letter of acceptance as provided for in the said Conditions and to complete the entire work within **two months** subject nevertheless to the provisions for the extension of time, failing which the employer shall be entitled to recover liquidated damages as per the said conditions.

2.10. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ में किए जाएंगे।

All payments by the Employer under this Contract will be made only at Reserve Bank of India, Lucknow.

2.11. इस करार या इससे संबंधित सभी विवाद लखनऊ में उत्पन्न माने जाएंगे और इनके निर्धारण का क्षेत्राधिकार सिर्फ लखनऊ में स्थित न्यायालयों को होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Lucknow and only Courts in Lucknow shall have jurisdiction to determine the same.

2.12. यह कि इस संविदा के सभी भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया गया है।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor.

2.13. **गैर प्रकटीकरण खंड Non-disclosure clause:**

ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे उपकरणों आदि के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी सूचना / प्रणालियों / सामग्री तथा विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के संज्ञान में आ सकते हैं, का खुलासा तृतीय पक्ष को नहीं करेगा तथा हर समय इस कठोर विश्वास को बनाए रखेगा। ठेकेदार लागू कानून के अनुपालन तथा दायित्व का निर्वहन करने के लिए वर्तमान आवश्यकता के अतिरिक्त करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी व्यापार अथवा तकनीकी दस्तावेज़ में कार्य के किसी भी विवरण को प्रकाशित करना, प्रकाशित करने की अनुमति तथा खुलासा नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफल होने पर इसे ठेकेदार की ओर से करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक नुकसान का दावा करने तथा कानूनी कदम उठाने के लिए पात्र होगा। ठेकेदार इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के गैर प्रकटीकरण के दायित्व को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा। गैर प्रकटीकरण तथा गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की बाध्यता, जो भी कारण हो, इस करार को समाप्त होने से बचाए रखेगी।

The contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and of the Bank's infrastructure/ system/equipment's etc. which may come to the profession or knowledge of the contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with the agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The contractor shall not publish, permit to be publish, or disclose any particulars of the works in any trade or technical

paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

2.14. यौन उत्पीड़न खंड Sexual harassment Clause:

ए) ठेकेदार, "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथान, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार / एजेंसी या स्थानीय शिकायत समिति द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी जैसे भी मामला हो और ठेकेदार / एजेंसी के शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्यवाई सुनिश्चित करेगा।

बी) बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में कार्यरत किसी अन्य फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संग्रहण लिया जाएगा।

सी) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसका भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।

डी) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

ई) ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

a) The contractor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the internal complaints committee constituted by the contractor/Agency or Local Complaints committee as the case may be and the contractor/ agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect of the Complaint.

b) Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the service provider against any employee of the Bank or any employee of any other firm working in the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

c) The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee or other firm's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved.

d) The Contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at work place and related issues.

e) The Contractor shall provide a complete and updated list of employees who are deployed within the Bank's premises.

2.15. अप्रत्याशित घटना Force Majeure:

इस करार के तहत दायित्वों को पूरा करने में किसी चूक के लिए कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी, यदि चूक किसी पार्टी के नियंत्रण से परे कार्य के परिणामस्वरूप हुई हो (जैसे दैवी संकट, युद्ध की स्थिति, विद्रोह, महदूर हड़ताल, किसी सरकारी कार्य, भूकंप, तूफान, टाइफून और अन्य प्राकृतिक आपदा आदि)। प्रत्येक पक्ष इस करार के तहत निष्पादन किए जाने वाले कार्यों को जारी रखने के सभी संभव प्रयास करने के लिए सहमति व्यक्त करती है। यदि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण कार्य निष्पादन में बाधा की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो पार्टी जिसकी कार्य निष्पादन क्षमता प्रभावित नहीं हुई है, लिखित सूचना देते हुए इस करार को निरस्त कर सकती है।

If either party is unable to perform its obligations under this Agreement due to the occurrence of an event beyond its control (such as acts of God, war like situations, riots, labor strike, government actions, earthquakes, cyclones, typhoons, and other natural calamities, etc.), that party will not be deemed to have defaulted under this Agreement. Each party agrees to use all reasonable efforts to enable performance under this Agreement to continue. If the period of non-performance due to a force majeure event exceeds 30 days, the party whose ability to perform has not been so affected may, by giving written notice, terminate this Agreement.

2.16 मैं _____ कि _____ मुझे प्रदत्त किया गया है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मुझे प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए मेरे द्वारा लगाए जाने वाले सभी मजदूरों को सभी प्रकार की मजदूरी का वास्तविक भुगतान उस दर पर किया जाएगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है तथा सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और साथ ही ऐसे वेतन का भुगतान और सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के कारण सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल नियोक्ता के विरुद्ध प्रारंभ की जाने वाली सभी कार्रवाइयों के लिए प्रिंसिपल नियोक्ता को क्षतिपूरित रखने का वचन देता/देती हूँ। मैं समय-समय पर सरकारी अधिकारियों/बैंक के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकॉर्ड रखूंगा/रखूंगी और उनका रख-रखाव करूंगा/करूंगी।

I _____ that the work of _____ awarded to me. I undertake to actually pay wages to all labourers of all description to be engaged by me for completion of _____ work awarded to me at the rate which is not less than the one prescribed under Minimum Wages Act 1948 and to ensure compliance to the provisions of CLRA Act 1970 and also keep the principle Employer indemnified against all the actions that may be initiated against the Principle Employer by the Statutory Authorities for his failure to pay such wages and for failure to comply with the provisions of CLRA Act 1970. I shall keep and maintain all necessary documents/records for inspection of Government authorities/Bank's officials from time to time.

<p>यदि ठेकेदार एक साझेदारी फार्म अथवा व्यक्ति हो</p> <p>If the Contractor is a partnership or an individual</p>	<p>गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने इस करार को निष्पादित करने हेतु हस्ताक्षर किया है और यह डुप्लीकेट में तैयार की गई है।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Employer and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first herein above written.</p>
<p>यदि ठेकेदार एक कंपनी हो</p> <p>If the Contractor is a company</p>	<p>गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस करार को निष्पादित करने हेतु नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से मुहर सहित हस्ताक्षर किया है तथा यह डुप्लीकेट में तैयार की गई है।</p> <p>IN WITNESS WHEREOF the Employer has set its hands to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicates / has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.</p>

करार की शर्तें / Articles of Agreement

यह करार वर्ष 2022 का _____ तारीख को लखनऊ में, प्रथम पक्षकार भारतीय रिज़र्व बैंक जिसका कार्यालय गोमती नगर –लखनऊ - 226010, में है (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) तथा द्वितीय पक्षकार मेसर्स -----
----- जिसका पंजीकृत कार्यालय -----
----- में स्थित है जिसे आगे "ठेकेदार" कहा जाएगा) के बीच किया जाता है।

ARTICLES OF AGREEMENT made theday of....., 2022 between the Reserve Bank of India (hereafter called "Bank") having its office at Gomti Nagar, Lucknow - 226010 on the one part and M/s _____ having its Registered Office at _____ (Thereinafter called "the Contractor") on the other part.

चूंकि,

नियोक्ता, बैंक के कार्यालय गोमती नगर –लखनऊ - 226010 में **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Air Handling Unit (AHU) at Third Floor of Bank's Main Office building, RBI, Lucknow** का इच्छुक है और (जिसे आगे उक्त कार्य कहा जाएगा) उसने निर्धारित कार्य का वर्णन करते हुये ड्राइंग, विशिष्टताओं और परिमाणों की सूची आमंत्रित की है। तथा चूंकि संख्या _____ से, तक की उक्त ड्राइंग, विशिष्टताओं, और परिमाणों की सूची पर पार्टियों या उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

WHEREAS the Employer is desirous of **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Air Handling Unit (AHU) at Third Floor of Bank's Main Office building, RBI, Lucknow (hereinafter called "the said work")** and has caused drawings, specifications and schedule of quantities describing the work to be done. AND WHEREAS the said drawings from Numbers _____ to _____, the specifications, and the schedule of quantities have been signed by or on behalf of the parties hereto.

और चूंकि ठेकेदार निर्धारित शर्तों और विशेष परिस्थितियों में निर्धारित शर्तों के अनुसार और संविदा की परिमाणों की सूची और संशोधित शर्तों के अधीन काम करने के लिए सहमत हो गया है और अंतिम रूप से दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत है (जिसे आगे सामूहिक रूप से "उक्त शर्तें" कहा जाएगा), उक्त ड्राइंग में दर्शाए गए और / या उक्त विशिष्टताओं में वर्णित कार्यों और इसमें निर्धारित दरों पर परिमाणों की सूची में शामिल, राशि के बराबर या इस तरह का अन्य योग (जिसे आगे "उक्त अनुबंध राशि" कहा जाएगा) इसके लिए देय हो जाएगा।

AND WHEREAS the Contractor has agreed to execute upon the subject work to the conditions set forth herein and to the conditions set forth in the special conditions and in the schedule of quantities and conditions of Contract as modified and finally accepted by both the parties (all of which are collectively hereinafter referred to as "the said Conditions") the works shown upon the said drawings and/or described in the said Specifications and included in the Schedule of quantities at the respective rates

therein set forth, amounting to the sum as therein arrived at or such other sum as shall become payable there under (hereinafter referred to as "the said Contract Amount").

अब दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से इस पर निम्नानुसार सहमत हैं :

NOW IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

उक्त संविदा के संबंध में भुगतान समय पर और संविदा की उक्त शर्तों के अनुसार किया जाना है, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन ड्राइंग में दर्शाए गए और उक्त विशिष्टताओं तथा परिमाणों की अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित करेगा और पूरा करेगा।

In consideration of the said Contract amount to be paid at the times and in the manner set forth in the said conditions, the Contractor shall, upon and subject to the said conditions, execute and complete the work shown upon the said drawings and described in the said specifications and the schedule of quantities.

2.1. नियोक्ता ठेकेदार को उक्त संविदा राशि या किसी अन्य राशि का भुगतान करेगा जो उस समय और उक्त शर्तों में निर्दिष्ट तरीके से देय हो।

The Employer shall pay the Contractor the said Contract amount or such other sum as shall become payable at the times and in the manner specified in the said conditions.

2.2. उक्त शर्तों में "आर्किटेक्ट" शब्द का अर्थ मुख्य महाप्रबंधक, परिसर विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, से है और किसी भी कारण से इस अनुबंध के प्रयोजन हेतु उनको आर्किटेक्ट नहीं होने पर, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को नियोक्ता द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए नामित किया जाएगा, जो ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिस पर ठेकेदार किसी कारण से आपत्ति उठाए और नियोक्ता उसे उपर्युक्त माने, बशर्ते कि कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों जिसे बाद में आर्किटेक्ट के रूप में नियुक्त किया गया हो उस समय लिखित में दिए गए किसी भी पिछले निर्णयों या अनुमोदन या निर्देश को अनदेखा या ओवररूल करने का अधिकार नहीं होगा।

The term "Architect" in the said conditions shall mean CGM, Premises Department, Central Office, Reserve Bank of India, Lucknow and on his ceasing to be the architect for the purpose of this Contract for whatever reason, such other person or persons as shall be nominated for that purposes by the Employer, not being a person to whom the Contractor shall object for reasons considered to be sufficient by the Employer provided always that no person or perhaps persons subsequently appointed to be architect under this Contract shall be entitled to disregard or overrule any previous decisions or approval or direction given or expressed in writing by the architect for the time being.

2.3. उक्त शर्तों और परिशिष्ट और उक्त कार्य के संबंध में निविदा स्वीकृति पत्र की तिथि तक नियोक्ता और ठेकेदार के बीच में हुये किसी भी पत्राचार को इस करार का हिस्सा माना जाएगा और पक्षकारों द्वारा इनका क्रमशः पालन किया जाएगा, स्वयं को उक्त शर्तों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उक्त शर्तों के अनुसार करार का निष्पादन करेंगे।

The said conditions and Appendix thereto and any correspondence exchanged between the Employer and the contractor in connection with the said work till the date of letter of acceptance of their tender shall be read and construed as forming part of this Agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said Conditions and perform the agreements on their part respectively in the said Conditions contained.

2.4. उक्त शर्तों और उसके परिशिष्ट को इस करार के एक भाग के रूप में माना जाएगा और इसके पक्षकार उक्त शर्तों का पालन करेंगे और शर्तों के अनुसार इस करार को निष्पादित करेंगे।

The said Conditions, Annexures and Appendix thereto shall be read and construed as forming part of this agreement and the parties hereto shall respectively abide by, submit themselves to the said conditions and perform the agreements on their part respectively in the said conditions contained.

2.5. मूल निविदा दस्तावेज की धारा II, III, IV, V, VI, VII, VIII और IX तक के साथ यहां उल्लिखित ड्राइंग, करार और दस्तावेज और बैंक द्वारा उक्त प्रणाली के रखरखाव हेतु ठेकेदार को भविष्य में जारी किए जानेवाले सभी व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध कार्य आदेश इस अनुबंध का आधार रहेंगे, जो निविदा दस्तावेज में उल्लिखित उपकरणों के जीवनकाल तक मान्य रहेंगे।

The drawings, agreement and documents mentioned herein along with the Sections II, III, IV, V, VI VII, VIII and IX of the original tender document, Appendix and Annexures, work orders that would be issued by the Bank to the Contractor for the said work shall form the basis of this Contract which will be valid as mentioned in the tender document.

2.6. यह संविदा न तो एक निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही काम का एक हिस्सा है, लेकिन यह **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Air Handling Unit (AHU) at Third Floor** के संबंध में काम करने हेतु एक संविदा है, जिसके लिए दर अनुसूची और प्रोबेबल क्वांटिटी या उक्त शर्तों में निहित दरों/राशि के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

This Contract is neither a fixed lump sum contract nor a piece work but is a contract to carry out the work in respect of provision of **Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Air Handling Unit (AHU) at Third Floor**, to be paid for at the rates/amount contained in the Schedule of Rates and Probable Quantities or as provided in the Said Conditions.

2.7. ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सिविल कार्यों, विद्युत अधिष्ठापन, फिटिंग और अन्य सहायक कार्यों से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हर उचित सुविधा को वहन करेगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुये किसी भी नुकसान को ठीक करेगा।

The Contractor shall afford every reasonable facility for carrying out of all works relating to civil works, electrical installations, fittings and other ancillary works in the manner laid down in the said conditions, and shall make good any damages done to walls, floors, etc., after the completion of such works.

2.8. नियोक्ता इस संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय कार्य के स्वरूप और ड्राइंग में कुछ जोड़कर अथवा कुछ हटाकर अथवा उसके कुछ भाग को रखकर परिवर्तन करने का स्वयं अधिकार सुरक्षित रखता है जो इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

The Employer reserves to itself the right of altering the drawings and nature of the work by adding to or omitting any items of work or having portions of the same carried out at any time during the currency of Contract, without prejudice to this Contract.

2.9. समय अवधि इस करार का महत्वपूर्ण भाग माना जाएगा और ठेकेदार यहाँ सहमति व्यक्त करता है कि उक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार कार्य आदेश/स्वीकृति पत्र जारी होने के 10वें दिन से कार्य प्रारम्भ कर देगा और समय के विस्तार

के प्रावधानों के अधीन सम्पूर्ण कार्य **दो महीने** के भीतर पूरा करेगा, अन्यथा नियोक्ता उक्त शर्तों के अनुसार परिसमापन क्षति की वसूली करने का हकदार होगा।

Time shall be considered as the essence of this Contract and the Contractor hereby agrees to commence the work from the tenth day of issue of works order/letter of acceptance as provided for in the said Conditions and to complete the entire work within **two months** subject nevertheless to the provisions for the extension of time, failing which the employer shall be entitled to recover liquidated damages as per the said conditions.

2.10. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान केवल भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ में किए जाएंगे।

All payments by the Employer under this Contract will be made only at Reserve Bank of India, Lucknow.

2.11. इस करार या इससे संबंधित सभी विवाद लखनऊ में उत्पन्न माने जाएंगे और इनके निर्धारण का क्षेत्राधिकार सिर्फ लखनऊ में स्थित न्यायालयों को होगा।

All disputes arising out of or in any way connected with this agreement shall be deemed to have arisen at Lucknow and only Courts in Lucknow shall have jurisdiction to determine the same.

2.12. यह कि इस संविदा के सभी भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़ और पूरी तरह से समझ लिया गया है।

That the several parts of this Contract have been read by the Contractor and fully understood by the Contractor.

2.13. **गैर प्रकटीकरण खंड Non-disclosure clause:**

ठेकेदार बैंक के बुनियादी ढांचे उपकरणों आदि के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी सूचना / प्रणालियों / सामग्री तथा विवरण, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के संज्ञान में आ सकते हैं, का खुलासा तृतीय पक्ष को नहीं करेगा तथा हर समय इस कठोर विश्वास को बनाए रखेगा। ठेकेदार लागू कानून के अनुपालन तथा दायित्व का निर्वहन करने के लिए वर्तमान आवश्यकता के अतिरिक्त करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी स्थान पर अथवा किसी भी व्यापार अथवा तकनीकी दस्तावेज़ में कार्य के किसी भी विवरण को प्रकाशित करना, प्रकाशित करने की अनुमति तथा खुलासा नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति ठेकेदार करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफल होने पर इसे ठेकेदार की ओर से करार का उल्लंघन माना जाएगा तथा बैंक नुकसान का दावा करने तथा कानूनी कदम उठाने के लिए पात्र होगा। ठेकेदार इस करार के तहत गोपनीय जानकारी के गैर प्रकटीकरण के दायित्व को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में उचित कार्रवाई करेगा। गैर प्रकटीकरण तथा गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की बाध्यता, जो भी कारण हो, इस करार को समाप्त होने से बचाए रखेगी।

The contractor shall not disclose directly or indirectly any information, materials and of the Bank's infrastructure/ system/equipment's etc. which may come to the profession or knowledge of the contractor during the course of discharging its contractual obligations in connection with the agreement, to any third party and shall at all times hold the same in strictest confidence. The contractor shall treat the details of the contract as private and confidential, except to the extent necessary to carry out the obligations under it or to comply with applicable laws. The contractor shall not publish, permit to be published, or disclose any particulars of the works in any trade or technical

paper or elsewhere without the previous written consent of the Employer. The contractor shall indemnify the Employer for any loss suffered by the Employer as a result of disclosure of any confidential information. Failure to observe the above shall be treated as breach of contract on the part of the contractor and the Employer shall be entitled to claim damages and pursue legal remedies. The contractor shall take all appropriate actions with respect to its employees to ensure that the obligations of non-disclosure of confidential information under this agreement are fully satisfied. The contractor's obligations with respect to non-disclosure and confidentiality will survive the expiry or termination of this agreement for whatever reason.

2.14. यौन उत्पीड़न खंड Sexual harassment Clause:

अ) ठेकेदार, "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथान, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर में अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार / एजेंसी या स्थानीय शिकायत समिति द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी जैसे भी मामला हो और ठेकेदार / एजेंसी के शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्यवाई सुनिश्चित करेगा।

आ) बैंक के किसी कर्मचारी या बैंक में कार्यरत किसी अन्य फर्म के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ सेवा प्रदाता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संग्रहण लिया जाएगा।

इ) ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसका भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि घटना में ठेकेदार के कर्मचारी शामिल हैं, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी या अन्य फर्म के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।

ई) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा।

उ) ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

a) The contractor shall be solely responsible for full compliance with the provisions of "the Sexual Harassment of women at work place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. In case of any complaint of sexual harassment against its employee within the premises of the Bank, the complaint will be filed before the internal complaints committee constituted by the contractor/Agency or Local Complaints committee as the case may be and the contractor/ agency shall ensure appropriate action under the said Act in respect of the Complaint.

b) Any complaint of sexual harassment from any aggrieved employee of the service provider against any employee of the Bank or any employee of any other firm working in the Bank shall be taken cognizance of by the Regional Complaints Committee constituted by the Bank.

c) The Contractor shall be responsible for any monetary compensation that may need to be paid in case the incident involves the employees of the contractor, for instance any monetary relief to Bank's employee or other firm's employee, if sexual violence by the employee of the contractor is proved.

d) The Contractor shall be responsible for educating its employees about prevention of sexual harassment at work place and related issues.

e) The Contractor shall provide a complete and updated list of employees who are deployed within the Bank's premises.

2.15. अप्रत्याशित घटना Force Majeure:

इस करार के तहत दायित्वों को पूरा करने में किसी चूक के लिए कोई भी पार्टी जिम्मेदार नहीं मानी जाएगी, यदि चूक किसी पार्टी के नियंत्रण से परे कार्य के परिणामस्वरूप हुई हो (जैसे दैवी संकट, युद्ध की स्थिति, विद्रोह, महदूर हड़ताल, किसी सरकारी कार्य, भूकंप, तूफान, टाइफून और अन्य प्राकृतिक आपदा आदि)। प्रत्येक पक्ष इस करार के तहत निष्पादन किए जाने वाले कार्यों को जारी रखने के सभी संभव प्रयास करने के लिए सहमति व्यक्त करती है। यदि अप्रत्याशित घटनाओं के कारण कार्य निष्पादन में बाधा की अवधि 30 दिनों से अधिक हो जाती है, तो पार्टी जिसकी कार्य निष्पादन क्षमता प्रभावित नहीं हुई है, लिखित सूचना देते हुए इस करार को निरस्त कर सकती है।

If either party is unable to perform its obligations under this Agreement due to the occurrence of an event beyond its control (such as acts of God, war like situations, riots, labor strike, government actions, earthquakes, cyclones, typhoons, and other natural calamities, etc.), that party will not be deemed to have defaulted under this Agreement. Each party agrees to use all reasonable efforts to enable performance under this Agreement to continue. If the period of non-performance due to a force majeure event exceeds 30 days, the party whose ability to perform has not been so affected may, by giving written notice, terminate this Agreement.

2.16 मैं _____ कि _____ मुझे प्रदत्त किया गया है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मुझे प्रदत्त कार्य को पूरा करने के लिए मेरे द्वारा लगाए जाने वाले सभी मजदूरों को सभी प्रकार की मजदूरी का वास्तविक भुगतान उस दर पर किया जाएगा जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित दर से कम नहीं है तथा सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और साथ ही ऐसे वेतन का भुगतान और सीएलआरए अधिनियम 1970 के प्रावधानों का पालन करने में विफलता के कारण सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा प्रिंसिपल नियोक्ता के विरुद्ध प्रारंभ की जाने वाली सभी कार्रवाइयों के लिए प्रिंसिपल नियोक्ता को क्षतिपूरित रखने का वचन देता/देती हूँ। मैं समय-समय पर सरकारी अधिकारियों/बैंक के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकॉर्ड रखूंगा/रखूंगी और उनका रख-रखाव करूंगा/करूंगी।

I _____ that the work of _____ awarded to me. I undertake to actually pay wages to all labourers of all description to be engaged by me for completion of _____ work awarded to me at the rate which is not less than the one prescribed under Minimum Wages Act 1948 and to ensure compliance to the provisions of CLRA Act 1970 and also keep the principle Employer indemnified against all the actions that may be initiated against the Principle Employer by the Statutory Authorities for his failure to pay such wages and for failure to comply with the provisions of CLRA Act 1970. I shall keep and maintain all necessary documents/records for inspection of Government authorities/Bank's officials from time to time.

यदि ठेकेदार एक साझेदारी फार्म अथवा व्यक्ति हो	गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने इस करार को निष्पादित करने हेतु हस्ताक्षर किया है और यह डुप्लीकेट में तैयार की गई है।
If the Contractor is a partnership or an individual	IN WITNESS WHEREOF the Employer and the Contractor have set their respective hands to these presents and two duplicates hereof the day and year first herein above written.
यदि ठेकेदार एक कंपनी हो	गवाह जिनकी मौजूदगी में ऊपर उल्लिखित दिनांक और वर्ष को इस करार को निष्पादित करने हेतु नियोक्ता और ठेकेदार दोनों ने अपने विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों के माध्यम से मुहर सहित हस्ताक्षर किया है तथा यह डुप्लीकेट में तैयार की गई है
If the Contractor is a company	IN WITNESS WHEREOF the Employer has set its hands to these presents through its duly authorized official and the Contractor has caused its common seal to be affixed hereunto and the said two duplicates / has caused these presents and the said two duplicates hereof to be executed on its behalf, the day and year first hereinabove written.

हस्ताक्षर खण्ड

Signature Clause:

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षर और सुपुर्द किया गया।

SIGNED AND DELIVERED by the Reserve Bank of India by the hand of

श्री /Shri (नाम और पदनाम)/(Name and designation)

.....

.....की उपस्थिति में/in the presence of

(1)

(नाम और पदनाम)

(Name & Designation)

संपदा विभाग

Estate Department

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ कार्यालय

Reserve Bank of India, Lucknow

(2)

(गवाह/Witness)

(नाम और पदनाम)
(Name & Designation)

संपदा विभाग

Estate Department

भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ कार्यालय

Reserve Bank of India, Lucknow

(गवाह/Witness)

द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द SIGNED AND DELIVERED BY

यदि पार्टी साझेदारी फ़र्म या एक व्यक्ति है तो सभी साझेदारों द्वारा या उन सभी की ओर से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए
If the party is a partnership firm or an Individual should be signed by all or on behalf of all the Partners
निम्न की उपस्थिति में In the presence of:

(1)

पता/Address: -----

(गवाह/Witness)

(2)

पता/Address: -----

(गवाह/Witness)

Note:

बैंक, ठेकेदार के साथ करार से पहले करार की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

Bank reserves the right to modify the contents of the Articles of the Agreement before the agreement is entered with the contractor.

पिछले 5 वर्षों के दौरान निष्पादित समान अर्हक कार्यों का विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम और पता	आपूर्ति की गई यूनिटों की संख्या	काम का मूल्य	कार्य समय से पूरा हुआ है अथवा नहीं (शुरू होने की तारीख दें और समापन की तारीख)	कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण होने की अवधि	फर्म का फैक्स / फोन नंबर और संपर्क व्यक्ति

(यदि आवश्यक हो तो शीट संलग्न करें)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

शिकायत एस्कलेशन मैट्रिक्स

	नाम और पदनाम के साथ पता	संपर्क विवरण (मोबाइल/लैंडलाइन)	ई-मेल आईडी
लेवल 1			
लेवल 2			
लेवल 3			
लेवल 4			

स्थना :
दिनांक:

ठेकेदार के हस्ताक्षर और मुहर

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हेतु मुख्तारनामे (पावर ऑफ अटार्नी) का फॉर्मेट
(समुचित मूल्य के गैर-न्यायिक मुद्रांक पत्र पर)

यहां उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि हम (बोलीदाता का नाम तथा उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद्वारा श्री/ सुश्री (मुख्तारनामा धारक का नाम तथा पता), जो कि हमारे यहां नियुक्त हैं एवं का पद धारण किए हैं, को अपने अटार्नी के रूप में गठित, नियुक्त तथा प्राधिकृत करते हैं ताकि वे हमारे नाम से एवं हमारी तरफ से **बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के तृतीय तल लगी एयर हैंडलिंग यूनिट (एचयू) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग** की हमारी बोली से संबंधित ऐसे सभी कार्य, विलेख एवं इससे संबंधित कार्य अथवा अनुषंगी कार्य कर सकें। इसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचना उपलब्ध कराने/ प्रत्युत्तर देने, सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करने, एवं आम तौर पर इस प्रोजेक्ट के संबंध में हमारे प्रस्ताव से संबंधित सभी मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ संपर्क करेंगे।

हम एतद्वारा इसकी अभिपुष्टि के लिए सहमत हैं कि इस पावर ऑफ अटार्नी के अनुसरण में हमारे कथित अटार्नी के सभी कार्य, विलेख एवं किए गए विधिसम्मत कार्यों को हमेशा हमारे द्वारा किए गए कार्य समझे जाएंगे और माना जाएगा कि यह हमने किया है।

नोट :

पावर ऑफ अटार्नी को समुचित रूप से मुद्रांकित एवं नोटरीकृत किया जाए।
प्रस्तुत पावर ऑफ अटार्नी अप्रतिसंहरणीय है।

बोलीदाता (बोलीदाताओं) के हस्ताक्षर
नाम
बोलीदाता की स्टैम्प/ मुहर

(एनबी : जिस राज्य में गारंटी निष्पादित की गई है उसमें लागू अनुसार मुद्रांक शुल्क (स्टैम्प ड्यूटी) लगेगा एवं इस पर वह अधिकारी हस्ताक्षर करे जिसके हस्ताक्षर एवं प्राधिकार सत्यापित है।)

वचनपत्र
(निविदाकर्ता द्वारा कार्य को समझने हेतु साइट का दौरा करने के संबंध में)

सेवा में,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ, 226010

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम : बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के तृतीय तल लगी एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

We, _____, the tenderer for the above work confirm that we have visited the site and understood the proper details of the existing Air handling Unit working presently and also the scope of work for the proposed AHU.

भवदीय,

()
प्राधिकृत हस्ताक्षर
(कंपनी की मुहर के साथ कंपनी का नाम और पता)
दिनांक

नोट: फर्म को साइट का दौरा करने की आवश्यकता है और जमा करने से पहले इसे बैंक के इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

मात्रा का मूल्यरहित बिल

कार्य का नाम : बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के तृतीय तल लगी एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू) की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग

क्र.सं.	विवरण	मात्रा
1.	<p>डबल स्किन्ड टाइप, फ्लोर माउंटेड (25mm+/- 2mm की PUF पैनल मोटाई) की आपूर्ति, न्यूनतम 15,000 CFM वायु एअर फ्लो क्षमता वाली एयर हैंडलिंग यूनिट, जो नीचे दिए गए विनिर्देशों की पुष्टि करती है:</p> <p>ए) सीएफसी फ्री पीयूएफ इन्सुलेशन (तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार) के साथ आंतरिक और बाहरी आवरण दोनों के लिए 0.60 मिमी मोटी जीआई शीट के साथ मॉड्यूलर एएचयू पैनल। बाहरी पैनल में संक्षारण प्रतिरोध के लिए तथा अच्छी फिनिशि प्रदान करने के लिए पूर्व-कोटिंग होगी।</p> <p>बी) Blower section with DIDW backward curved centrifugal fan with TEFC squirrel cage Induction motor with VFD compatible (IP 55 protected, class F insulation and energy efficient not less than IE3 rated) driven with V- belt suitable for 415+/-10% volts, 50Hz, 3 phase AC supply mounted on vibration isolators. Necessary starter panel for the AHU may be incorporated.</p> <p>सी) 1.2 मिमी मोटी एसएस ड्रेन पैन के साथ ड्रेन सेक्शन</p> <p>डी) 50 मिमी मोटी एआई फ्रेम एचडीपीई 3 प्लाई एयर मर्व-8 प्री-फिल्टर (बॉक्स प्रकार) 90 से 95% की दक्षता के साथ 10 माइक्रोन तक और MERV-13/EU-7 के बैग फिल्टर 99% से 3 माइक्रोन तक की दक्षता के साथ यूवीजीआई व्यवस्था के साथ।</p> <p>ई) एल्युमिनियम फिन्स और कॉपर ट्यूब्स, Cu हेडर आदि के साथ 6 पंक्ति गहरी ठंडा पानी का कूलिंग कॉइल, संपूर्ण।</p>	1 यूनिट
2.	<p>उपरोक्त एयर हैंडलिंग यूनिट की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग- कार्य में मौजूदा एएचयू (12500 सीएफएम क्षमता) के स्थान पर स्थापित की जाने वाली नई एएचयू (15000 सीएफएम) इकाई को नष्ट करना, पानी की पाइपिंग को हटाना, साइट की आवश्यकता के अनुसार नॉन-रिटर्नेबल जीआई कॉलर डैम्पर/वीसीडी और डबल फ्लेक्सिबल फायर-रिटार्डेंट कैनवास कनेक्शन व्यवस्था के माध्यम से मौजूदा एसी डक्ट को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करना और वाइब्रेशन ट्रांसमिशन से बचने के लिए एंटी-वाइब्रेशन पैड के साथ फाउंडेशन/फ्लोर पर यूनिट को माउंट करना आदि शामिल है। यूनिट को XLPE एल्युमिनियम आर्मर्ड केबल, 8 एसडब्ल्यूजी जीआई डबल अर्थ वायर, जीआई केबल ट्रे, ब्रास ग्लैंड्स और लग्स प्रदान करके एएचयू रूम में उपयुक्त स्टार्टर के साथ इलेक्ट्रिकल पैनल से जोड़ा जाना है और निविदा के भाग I के खंड VI के अनुसार विस्तृत रूप से परीक्षण किया जाना है।</p>	1 जॉब
3.	<p>चिल्ड वॉटर पाइपिंग</p> <p>डक्ट सील के साथ पाइप के नीचे के लिए 25 मिमी मोटाई क्लास 1 के नाइट्राइल रबर इन्सुलेशन के साथ नाममात्र आकार के पानी के पाइपिंग (एमएस सी-क्लास) की आपूर्ति, स्थापना, निर्माण और कमीशनिंग और कोहनी, फ्लैंगेस, गास्केट, नट बोल्ट आदि जैसे सभी सामान, निविदा के भाग I खंड VII, में विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। इनलेट और आउटलेट चिल्ड वॉटर लाइन के लिए 02 नंबर 100 मिमी बटरफ्लाई वाल्व को फिट करने की आवश्यकता है।</p> <p>ए) 100 मिमी व्यास के साथ 5 मिमी मोटी इन्सुलेशन</p>	20 मीटर

4.	बॉल वाल्व: ब्रॉन्ज बॉडी के साथ 40 मिमी बॉल वाल्व की पोजीशन में फिक्सिंग, एसएस डिस्क पीएन 16 प्रेशर रेटिंग के लिए उपयुक्त विनिर्देशों के अनुसार विधिवत इंसुलेटेड।	सं. 2
5.	स्वचालित एयर वेंट 20 मिमी व्यास के ऑटो एयर वेंट पर्जिंग वाल्व की आपूर्ति और फिक्सिंग, विनिर्देशानुसार आइसोलेटिंग वाल्व के साथ पूर्ण किया हुआ।	सं. 2
6.	एसएस प्रेशर गेज 4" डायल टाइप बॉल वाल्व ½" व्यास की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, आवश्यक सामान आदि के साथ इनलेट और आउटलेट दोनों के लिए।	सं. 2
7.	आवश्यक सामान आदि के साथ इनलेट और आउटलेट दोनों के लिए थर्मामीटर डायल प्रकार की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	सं. 2
8.	आयताकार जीआई डक्टिंग और एक्सेसरीज़ आईएस 655 के अनुसार जीआई डक्ट्स 18/20 जीआई शीट्स की आपूर्ति, स्थापना, निर्माण और कमीशनिंग के लिए एचयू को आवश्यक नियोप्रीन रबर गैसकेट, एल्बो, जी.आई एंगल सपोर्ट के साथ निलंबित छड़ों के मौजूदा वितरण से जोड़ने के लिए, जैसा कि निर्देशित किया गया है।	10 वर्ग मीटर
9.	डक्ट थर्मल इन्सुलेशन सप्लाइ एयर डक्ट के लिए 13 मिमी की मोटाई वाले क्लास ओ क्लोज्ड सेल नाइट्राइल रबर के साथ डक्ट के थर्मल इन्सुलेशन की आपूर्ति, स्थापना, निर्माण और कमीशनिंग (ईएन12667/आईएसओ 8497 के अनुसार तापीय चालकता 0.035 w/m है और μ मान ≥ 6000 है)	10 वर्ग मीटर
10.	32/40 मिमी व्यास के यूपीवीसी ड्रेन पाइप की आपूर्ति और स्थापना सभी एक्सेसरीज़ जैसे कि, चिपकने वाला, मोड़, टीज़, कपलर, एल्बो आदि के साथ।	12 मीटर
11.	कम: मौजूदा एचयू यूनिट को मोटर और सभी एक्सेसरीज़ (यूवीजीआई सिस्टम को छोड़कर) के साथ डिसमेंटल करने और हटाने के लिए रिबेट, जैसा है जहां है के आधार पर।	एल. एस

नोट: सभी इच्छुक बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे दरों को उद्धृत करने से पहले स्थापना स्थल का दौरा करें और साइट की स्थितियों से स्वयं परिचित हो लें। साइट दौरे के अनुबंध पर बैंक के इंजीनियरों द्वारा हस्ताक्षर किया जाना और इसे अन्य निविदा दस्तावेजों के साथ जमा किए जाने की आवश्यकता है। **(अनिवार्य)**

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ का एक ई-प्रोक्योरमेंट ईवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदा आमंत्रण सूचना और उसके बाद के शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को अवश्य पढ़ और समझ लें। दस्तावेजी प्रमाण के साथ शर्तों का अनुपालन नहीं करने वाले निविदाकार (जहां आवश्यक हो) निविदा में, मूल्य बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1. ई-निविदा की प्रक्रिया:

ए) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में MSTC ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ वेंडर का पंजीकरण शामिल है जो कि निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, वेंडर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोली प्रस्तुत कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली-प्रक्रिया इंटरनेट पर की जाएगी। वेंडर के पास हस्ताक्षर करने के लिए तृतीय श्रेणी का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। वेंडरों को बोली लगाने के लिए इंटरनेट से जुड़े पीसी की स्वयं व्यवस्था करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने के लिए MSTC जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)

विशेष ध्यान दें : तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली केवल आनलाइन माध्यम से www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind पर प्रस्तुत की जाए।

1). वेंडरों को www.mstcecommerce.com → e-Procurement → PSU /govt depts → RBI Lucknow → Register as Vendor Filling up details and creating own user id and password → Submit पर अपने को रजिस्टर करना होगा।

2). वेंडरों को पंजीकरण फॉर्म भरने के समय दिए गए ईमेल पर उनके पंजीकरण की पुष्टि का एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में कृपया आरबीआई / एमएसटीसी से (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पूर्व) संपर्क करें।

सम्पर्क व्यक्ति (भारतीय रिज़र्व बैंक):

i) श्री मुकेश राज (सहायक प्रबंधक): 9905803320 (edLucknow@rbi.org.in)

ii) लक्ष्मी नारायण सामंतरा, सहायक प्रबंधक (इलेक्ट्रिकल) 7044091683, (Lnsamantara@rbi.org.in)

सम्पर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लि.):

i) श्री विजयंत नारायण, सीनियर एक्जिक्यूटिव, 09909080178

ii) एमएसटीसी साइट पर तकनीकी सहायता, 0522-4244702, **IVRS No:**07969066600

कोलकाता प्रधान कार्यालय का नंबर - 033-35013220/21/22

बी) सिस्टम संबंधी आवश्यकताएं:

	<p>i) Windows 7 Operating System & above</p> <p>ii) IE-7 and above Internet browser.</p> <p>iii) Signing type digital signature</p> <p>iv) JRE 7 update 9 and above software to be downloaded and installed in the system.</p> <p>To enable ALL active X controls and disable 'use pop up blocker' under Tools→Internet Options→ custom level</p> <p>अधिक विवरण/जानकारी के लिए, वेंडर www.mstcecommerce.com/eprochome पर उपलब्ध वेंडर गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का संदर्भ ले सकता है।</p>
2.	<p>(ए) भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई निर्दिष्ट तिथि व समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी।</p> <p>(बी) भाग II मूल्य बोली केवल उन्हीं बोलीदाताओं की इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी जिनकी भाग I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ को तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को भाग II मूल्य बोली खोले जाने के संबंध में तारीख की सूचना उनके द्वारा प्रदान किए गए वैध ईमेल के माध्यम से दी जाएगी।</p> <p>नोट:</p> <p>निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपनी सर्वोत्तम संभव दरों की पेशकश करें। आम तौर पर इस संबंध में कोई बात-चीत नहीं की जाएगी। अतः कृपया मूल्य बोली जमा करते समय अपनी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतें/दरें प्रस्तुत करें। हालांकि, यदि बाजार की मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दर उचित प्रतीत होती है, तो सबसे कम बोली लगाने वाले को ऑर्डर अवॉर्ड किया जा सकता है और यदि दर अभी भी अधिक मानी जाती है, तो मौजूदा/प्रचलित निर्देश/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।</p>
3.	<p>निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।</p>
4.	<p><u>लेन-देन शुल्क हेतु विशेष ध्यान देने योग्य बातें:</u></p> <p>लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी साइट पर ऑनलाइन किया जाना है, लेनदेन शुल्क का भुगतान करने के बाद, विक्रेता को वेंडर लॉगिन में "My Menu" के अंतर्गत "Transaction Fee entry" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का विवरण दर्ज करना चाहिए। यहां पर वेंडर उस विशेष निविदा का चयन कर सकता है जिसमें वे भाग लेना चाहता है, दाईं ओर टिक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर पेज के नीचे "सबमिट" बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात पेज उपलब्ध होगा जहां पर वेंडर प्रदान किए गए बॉक्स को को लेनदेन विवरण भरना होगा, जैसे कि यूटीआर नंबर, लेन-देन की दिनांक, और विप्रेषित करने वाले बैंक का नाम भरना होगा और फिर "Confirm" बटन पर क्लिक करना होगा।</p> <p>नोट: बोलीदाताओं को लेनदेन शुल्क निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से समय-पूर्व ही जमा कर देना चाहिए क्योंकि एमएसटीसी द्वारा लेनदेन शुल्क की प्राप्ति के पश्चात ही, बोली जमा करने के लिए वे एक्टिवेट होंगे।</p>

	<p>वेंडरों को सूचित किया जाता है कि वे बैंक में नकदी जमा न करें क्योंकि ऐसे नकद लेनदेन से विप्रेषक के विवरण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।</p> <p>सम्पर्क विवरण: फैक्स नं. : 033- 22831002 ई-मेल आईडी: sanjibpoddar@mstcindia.co.in, arindam@mstcindia.co.in, rpradhan@mstcindia.co.in, smukherjee@mstcindia.co.in, umesh@mstcindia.co.in, smohanta@mstcindia.co.in</p> <p>बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि लेनदेन शुल्क केवल बोली लगाने वाले के खाते से डेबिट करके जमा किया जाना चाहिए; किसी अन्य पार्टी के खाते से अथवा डेबिट करके जमा किया गया लेनदेन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेन-देन शुल्क गैर-वापसी योग्य है।</p> <p>किसी भी कारण से लेनदेन शुल्क का भुगतान करने में विफल होने की स्थिति में, वेंडर के पास, ई-निविदा को ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाएगा।</p>
5.	<p>बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे एमएसटीसी शुल्क और ईएमडी को अलग-अलग एनईएफटी/मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक लखनऊ को अग्रिम रूप से विप्रेषित करें।</p> <p>दस्तावेज़ (डॉक्यूमेंट) लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए वेंडरों को My menu मेरे मेनू में दस्तावेज़ अपलोड करें, लिंक का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं। अपलोड करने के लिए एक दस्तावेज़ का अधिकतम साइज़ 5 एमबी है।</p> <p>एक बार लाइब्रेरी में दस्तावेज़ अपलोड हो जाने के पश्चात, वेंडर निर्दिष्ट निविदा के लिए Attach Document लिंक के माध्यम से दस्तावेज़ अटैच कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें, यदि किसी निविदा के साथ दस्तावेज़ अटैच नहीं हैं, तो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ द्वारा डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा और यह माना जाएगा कि वेंडर द्वारा दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए हैं। अधिक सहायता के लिए कृपया वेंडर मार्गदर्शिका के निर्देशों का पालन करें।</p>
6.	<p>निविदा को अंतिम रूप देने तक की प्रक्रिया के दौरान निविदा को अंतिम रूप देने तक भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ और एमएसटीसी (ई-प्रोक्योरमेंट सर्विस प्रोवाइडर) द्वारा बोलीदाताओं को सभी नोटिस और पत्राचार केवल ईमेल द्वारा भेजे जाएंगे। अतः बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि, उनके द्वारा प्रदान किया गया उनका ईमेल पता वैध है और एमएसटीसी (अर्थात सर्विस प्रोवाइडर) के साथ वेंडर के पंजीकरण के चरण में अद्यतन किया गया है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
7.	<p>(i) कृपया ध्यान दें कि एनआईटी में उल्लिखित, वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने वाले टीमों की सूची निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खुलने की निर्धारित तिथि से पहले एक बार पुनः वेबसाइट देखें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके द्वारा निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने के पश्चात उक्त निविदा के संबंध में अपलोड किया गया कोई भी शुद्धिपत्र उनसे नहीं छूटा है। संबंधित शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को डाउनलोड करने की जिम्मेदारी केवल बोलीदाताओं की होगी।</p> <p>(ii) इस एनआईटी के संबंध में, शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) के संबंध में कोई भी सूचना अलग से उन निविदाकारों को नहीं भेजी जाएगी जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ डाउनलोड किए हैं। कृपया एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind देखें।</p>
8	<p>एनआईटी में उल्लिखित निर्धारित तारीख और समय के पश्चात ई-निविदा को एक्सेस नहीं किया जा सकता है।</p>
9.	<p>ई-निविदा में बोली लगाना</p>

ए) बोलीदाता (बोलीदाताओं) को ई-निविदा के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क अलग से जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा वापस कर दी जाएगी।

बी) इस प्रक्रिया में टेक्नो कमर्शियल बिड के साथ-साथ प्राइस बिड जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है।

सी) उपरोक्त शुल्क जमा करने वाले बोलीदाता केवल एमएसटीसी की वेबसाइट पर www.mstcecommerce.com → e-procurement → PSU /Government Departments → RBI Lucknow Login → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event → Techno Commercial Bid पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी वाणिज्यिक बोलियां और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।

डी) वेंडर के पास रनिंग जावा एप्लिकेशन होना चाहिए। यह एक्सरसाइज़ बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद करनी है। उसके पश्चात उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सेव करना होगा। इसके बाद उन्हें टेक्निकल बिड पर क्लिक करना होगा। यदि यह जावा एप्लिकेशन रन नहीं करता है, तो वेंडर अपनी तकनीकी बोली को सेव/सबमिट नहीं कर पाएगा। (विवरण के लिए वेंडर गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न देखें)।

ई) पहले वेंडर को वाणिज्यिक विनिर्देश, यदि कोई हो तो भरना होगा और उसे सेव करना होगा। उसके पश्चात वेंडर को तकनीकी-कमर्शियल बिड भरनी होगी। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद, बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली को रिकॉर्ड करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना होगा। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होगा और फिर बोलीदाता को अपनी मूल्य बोली दर्ज करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना होगा। फिर एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली दोनों सेव हो जाने के बाद, बोलीदाता अपनी बोली रजिस्टर करने के लिए "फाइनल सबमिशन (Final Submission)" बटन पर क्लिक करना है।

नोट:- फाइनल सबमिशन पर क्लिक करने के बाद दो और विकल्प दिखाई देंगे, "विडडॉ बिड" और "डिलीट बिड"। यदि वेंडर अपनी बोली को स्थायी रूप से वापस लेना चाहता है तो उन्हें बोली वापस लेने के लिंक पर क्लिक करना चाहिए। इसके बाद वह दोबारा बोली नहीं लगा सकेगा/सकेगी। यदि वेंडर फाइनल सबमिशन के बाद बोली को डिलीट करना चाहता है और बोली को फिर से जमा करना चाहता है तो उसे डिलीट बिड बटन पर क्लिक करना होगा और उसे फिर से सबमिट करना होगा और फिर से फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना होगा।

एफ) सभी मामलों में, बोलीदाता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी स्वयं की आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।

जी) पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक दूसरे के लिए और अन्य सभी के लिए भी पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।

एच) ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से तथा उपरोक्त उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा।

आई) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित वैध बोली के रूप में माना जाएगा और

	<p>खरीदार द्वारा उसकी स्वीकृति आपूर्ति/कार्य के निष्पादन के लिए क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी संविदा होगी। ऐसे सफल निविदाकार को इसके बाद आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार कहा जाएगा।</p> <p>जे) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियों को डिजिटल हस्ताक्षर सर्टिफिकेट के साथ प्रस्तुत किया जाए अन्यथा इसे सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>के) क्रेता के पास बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रद्द करने अथवा अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है।</p> <p>एल) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों से कोई भी विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा ई-निविदा फ्लोर पर बोली प्रस्तुत करना निविदा के लिए नियम और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।</p> <p>एम) माप की इकाई (UOM) का ई-निविदा फ्लोर में उल्लेख किया गया है। उद्धृत की जाने वाली दरें ई-निविदा फ्लोर/निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए यूओएम के अनुसार भारतीय रुपए में होनी चाहिए।</p>
10.	इस खुली ई-निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश इसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
11.	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों से विचलन की अनुमति नहीं है।
12.	भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ के पास बिना कोई कारण बताए बिना, इस ई-निविदा को रद्द करने अथवा बोली (बोलियों) की प्राप्ति की नियत तारीख को आगे बढ़ाने का अधिकार है।
13.	ऑनलाइन निविदा एमएसटीसी लिमिटेड की वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eprochome/rbind में निर्धारित नियमों और शर्तों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए।
14.	बोलीदाताओं को एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किया गया कोई भी अन्य दस्तावेज जो कि एनआईटी की शर्तों के अनुसार आवश्यक नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
15.	भरे गए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर बोली का मूल्यांकन किया जाएगा।
16.	बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की संवीछा की जाएगी। यदि संवीछा के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी जानकारी झूठी पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।



**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ**

**बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के तृतीय तल लगी एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू)
की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग
के लिए ई-निविदा**

मूल्य बोली

आरबीआई/लखनऊ/संपदा/225/22-23/ईटी/343

फर्म का नाम : _____

पता: _____

ई-मेल: _____ **टेलीफोन:** _____

संपर्क व्यक्ति का नाम :

मोबाइल नंबर :

निविदा के भाग-I की संवीक्षा के पश्चात, पात्र पाए जाने पर फर्मों को भाग II/मूल्य बोली के खुलने की तिथि/समय की सूचना ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

**भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
लखनऊ**

**बैंक के मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, लखनऊ के तृतीय तल लगी एयर हैंडलिंग यूनिट (एएचयू)
की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग**

क्र. सं.	वस्तुओं का विवरण	मात्रा	यूनिट	रेट (रु.) जीएसटी सहित	जीएसटी सहित राशि (रु.)
1	<p>डबल स्किन्ड टाइप, फ्लोर माउंटेड (25mm+/- 2mm की PUF पैनल मोटाई) की आपूर्ति, न्यूनतम 15,000 CFM वायु एअर फ्लो क्षमता वाली एयर हैंडलिंग यूनिट, जो नीचे दिए गए विनिर्देशों की पूर्ति करती है:</p> <p>ए) सीएफसी फ्री पीयूएफ इन्सुलेशन (तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार) के साथ आंतरिक और बाहरी आवरण दोनों के लिए 0.60 मिमी मोटी जीआई शीट के साथ मॉड्यूलर एएचयू पैनल। बाहरी पैनल में संक्षारण प्रतिरोध के लिए तथा अच्छी फिनिशि प्रदान करने के लिए पूर्व-कोटिंग होगी।</p> <p>बी) Blower section with DIDW backward curved centrifugal fan with TEFC squirrel cage Induction motor with VFD compatible (IP 55 protected, class F insulation and energy efficient not less than IE3 rated) driven with V- belt suitable for 415+/-10% volts, 50Hz, 3 phase AC supply mounted on vibration isolators. एएचयू के लिए आवश्यक स्टार्टर पैनल शामिल किया जा सकता है।</p> <p>सी) 1.2 मिमी मोटी एसएस ड्रेन पैन के साथ ड्रेन सेक्शन</p> <p>डी) 50 मिमी मोटी एआई फ्रेम एचडीपीई 3 प्लाई एयर मर्व-8 प्री-फिल्टर (बॉक्स प्रकार) 90 से 95% की दक्षता के साथ 10 माइक्रोन तक और MERV-13/EU-7 के बैग फिल्टर 99% से 3 माइक्रोन तक की दक्षता के साथ यूवीजीआई व्यवस्था के साथ।</p> <p>ई) एल्युमिनियम फिन्स और कॉपर ट्यूब्स, Cu हेडर आदि के साथ 6 पंक्ति गहरी ठंडा पानी का कूलिंग कॉइल, संपूर्ण।</p>	01	यूनिट Unit		
2	<p>उपरोक्त एयर हैंडलिंग यूनिट की स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग- कार्य में मौजूदा एएचयू (12500 सीएफएम क्षमता) के स्थान पर स्थापित की जाने वाली नई एएचयू (15000 सीएफएम) इकाई को नष्ट करना, पानी की पाइपिंग को हटाना, साइट की आवश्यकता के अनुसार नॉन-रिटर्नेबल जीआई कॉलर डैम्पर/वीसीडी और डबल फ्लेक्सिबल फायर-रिटार्डेंट कैनवास कनेक्शन व्यवस्था के माध्यम से मौजूदा एसी डक्ट को डिस्कनेक्ट और कनेक्ट करना और वाइब्रेशन ट्रांसमिशन से बचने के लिए एंटी-वाइब्रेशन पैड के साथ फाउंडेशन/फ्लोर पर यूनिट को माउंट करना आदि शामिल है। यूनिट को XLPE एल्युमिनियम आर्मर्ड केबल, 8 एसडब्ल्यूजी जीआई डबल अर्थ वायर, जीआई केबल ट्रे, ब्रास ग्लैंड्स और लग्स प्रदान करके एएचयू रूम में उपयुक्त स्टार्टर के साथ इलेक्ट्रिकल पैनल से जोड़ा जाना है और निविदा के भाग।</p>	01	जॉब Job		

	के खंड VI के अनुसार विस्तृत रूप से परीक्षण किया जाना है।				
3	चिल्ड वॉटर पाइपिंग डक्ट सील के साथ पाइप के नीचे के लिए 25 मिमी मोटाई क्लास 1 के नाइट्राइल रबर इन्सुलेशन के साथ नाममात्र आकार के पानी के पाइपिंग की आपूर्ति (क्लास-एमएस सी), स्थापना, निर्माण और कमीशनिंग और कोहनी, फ्लैंगेस, गास्केट, नट बोल्ट आदि जैसे सभी सामान, निविदा के भाग। खंड VII, में विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। इनलेट और आउटलेट चिल्ड वॉटर लाइन के लिए 02 नंबर 100 मिमी बटरप्लाई वाल्व को फिट करने की आवश्यकता है। मिमी मोटी इन्सुलेशन 5 मिमी व्यास के साथ 100	20	मीटर		
4	बॉल वाल्व: ब्रॉन्ज बॉडी के साथ 40 मिमी बॉल वाल्व की पोजीशन में फिक्सिंग, एसएस डिस्क पीएन 16 प्रेशर रेटिंग के लिए उपयुक्त विनिर्देशों के अनुसार विधिवत इंसुलेटेड।	02	संख्या		
5	स्वचालित एयर वेंट मिमी व्यास के ऑटो एयर वेंट पर्जिंग वाल्व 20 की आपूर्ति और फिक्सिंग, विनिर्देशानुसार आइसोलेटिंग वाल्व के साथ पूर्ण किया हुआ।	02	संख्या		
6	एसएस प्रेशर गेज 4" डायल टाइप बॉल वाल्व ½" व्यास की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, आवश्यक सामान आदि के साथ इनलेट और आउटलेट दोनों के लिए।	02	संख्या		
7	आवश्यक सामान आदि के साथ इनलेट और आउटलेट दोनों के लिए थर्मामीटर डायल प्रकार की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।	02	संख्या		
8	आयताकार जीआई डक्टिंग और एक्सेसरीज़ आईएस 18 के अनुसार जीआई डक्ट्स 655/जीआई शीट्स 20 की आपूर्ति, स्थापना, निर्माण और कमीशनिंग के लिए एचयू को आवश्यक नियोप्रीन रबर गैसकेट, एल्बो, जीआई एंगल सपोर्ट के साथ निलंबित छड़ों के मौजूदा वितरण से जोड़ने के लिए, जैसा कि निर्देशित किया गया है।	10	वर्ग मीटर		
9	डक्ट थर्मल इन्सुलेशन सप्लाई एयर डक्ट के लिए 13 मिमी की मोटाई वाले क्लास ओ क्लोज्ड सेल नाइट्राइल रबर के साथ डक्ट के थर्मल इंसुलेशन की आपूर्ति, स्थापना, निर्माण और कमीशनिंग (ईएन12667/आईएसओ 8497 के अनुसार तापीय चालकता 0.035 w/m है और μ मान ≥ 6000 है)।	10	वर्ग मीटर		
10	32/40 मिमी व्यास के यूपीवीसी ड्रेन पाइप की आपूर्ति और स्थापना सभी एक्सेसरीज़ जैसे कि, चिपकने वाला, मोड़, टीज़, कपलर, एल्बो आदि के साथ।	12	मीटर		
11	उपकरण की कुल पूंजी लागत : (ए) Total Capital Cost of Equipment : (A)	क्र.सं. 01 से 10 का योग Sum of SI No. 01 to 10			
12	कम: मौजूदा एचयू यूनिट को मोटर और सभी एक्सेसरीज़ (यूवीजीआई सिस्टम को छोड़कर) के साथ डिसमैंटल करने और हटाने के लिए रिबेट, जैसा है जहां है के आधार पर। (बी) Less: Rebate for dismantling and taking away the existing AHU unit along with motor and all accessories (except UVGI system), as is where is basis. (B)	01	एकमु शत Lump sum		

13 बाय बैक राशि को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित रेट: शब्दों में _____)	उपकरण की पूंजीगत लागत (ए) - पुराने उपकरण बाय बैक (बी)	
---	--	--

नोट: क्रम संख्या "13" में सबसे कम कीमत वाली फर्म एल1 होगी।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :

नाम

मुहर सहित फर्म का नाम

पदनाम